राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के षष्ठम सत्र, १९६४ का ११ वां दिवस [संख्या ६

बृहस्पतिवार, दिनांक १३ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रातः ८-०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, नियुक्ति, चिकित्सा, राजस्थान कैनाल, खाद्य, स्वायत्त शासन, राजस्व, कृषि खनिज, सप्लाइज, उपनिवेशन तथा सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री केदारनाथ।

मन्त्री, सादूल टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन, को जेल में 'बी' क्लास

२०४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पहले जब भी श्री रामसिंह अटल, मन्त्री, सादूल टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन, पर मुकदमें बने तो उन्हें गंगानगर जेल में 'बी' क्लास दी गई थी ? यदि हां तो इस बार जब कि वे ताजीरात हिन्द की दफा ११० के तहत जेल में हैं तो उन्हें 'बी' क्लास क्यों नहीं दी गई ?

उपमन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : यह सही नहीं है कि पहले जब भी श्री रामसिंह अटल पर मुकदमें बने तो उन्हें गंगानगर जेल में 'बी' श्रेणी दी गई थी क्योंकि वह जब दिनांक १०-१-६१ को जेर दफा ३४१ आई० पी० सी० के मुकदमें में और दिनांक १२-७-६१ को ३०९ के मुकदमें में गंगानगर जेल में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गंगानगर द्वारा भेजा गया तो आर्डिनरी श्रेणी में रखे जाने की आज्ञा थी। उसके पश्चात् दिनांक ३-१०-६१ व ६-४-६२ को जब सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, गंगानगर व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट गंगानगर द्वारा जेल में भेजा गया तो 'बी' श्रेणी में रखने की अदालत से आज्ञा प्राप्त हुई। फिर २१-५-६३ को जब वह जेल में भेजा गया तो अदालत ने 'ए' या 'बी' श्रेणी मे रखने की कोई आज्ञा नहीं दी इसलिए उन्हें कारागृह में मामूली विचाराधीन बन्दी की तरह रखा गया।

श्री केदारनाथ : यह 'ए' और 'बी' में रखने का आधार क्या होता है ? सोशियल स्टेट्स भी होता है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसका आधार सोशियल स्टेट्स भी है, एज्युकेशन भी है, मोड ऑफ लिविंग और हेबिट ऑफ लिविंग आदि ३--४ आधार हैं, जिसके आधार पर यह 'ए' और 'बी' क्लास दी जाती है।

Page No. 2

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, यह रामसिंह अटल १० साल से ट्रेड युनियन का काम करते हैं और मिडिल पास हैं और इनके खिलाफ अनसोशियल एक्टीविटीज और मोरल टरपीट्यूड का केस नहीं बना है तो एक ही अदालत ने दो केसेज में इनका अलग अलग स्टेट्स कैसे माना है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह अदालत का प्रश्न है कैसे माना है और कैसे जुडिशियल जस्टिस 'ए' और 'बी' के क्लासिफिकेशन के सम्बन्ध मे लिया, मैं उसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

भ्रष्टाचार के मामले

२०५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री एम० एल० सेठी, डाईरेक्टर, खनिज विभाग के द्वारा श्री चान्दमल जैन, असिस्टेन्ट इन्जी--नियर, खनिज विभाग को २--६--५५ को लिखे गये एक पत्र का फोटो चित्र विधान संभा मे गत २६--३--६३ को पेश किया गया था जिसमें श्री एम० एल० सेठी द्वारा रिश्वत लेने की बात सिद्ध होती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फोटो चित्र का ओरीजिनल पत्र दो बार हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा चुका है और दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी राय यह दी है कि इस पत्र पर हस्ताक्षर श्री एम० एल० सेठी के ही हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह मामला एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा तफतीश किया गया है और आई० जी० एन्टीकर--प्शन ने सरकार को एम० एल० सेठी के खिलाफ वैधानिक जांच करने की सिफा--रिश की है ?

(४) क्या यह सही है कि सन् १९५७ में एन्टीकरप्शन विभाग ने इन्ही श्री एम० एल०. सेठी के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगभग सात केस पकड़े थे और इस आधार पर सरकार से सिफारिश की थी कि इसकी नियुक्ति स्थायी न की जावे लेकिन सरकार ने इस सिफारिश के बावजूद उन्हें स्थायी कर दिया ?

(५) क्या सरकार ने श्री एम० एल० सेठी के खिलाफ इस पत्र के आधार पर एन्टीकरप्शन विभाग की सिफारिश आने के बाद कोई एक्शन लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस प्रकार के पत्र का फोटो चित्र इस तिथि को विधान सभा में पेश हुआ था।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने

Page No. 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

श्री एम० एल० सैठी के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले भेजे थे। मगर उन्होंने श्री सैठी को स्थायी न करने की कोई सिफारिश अपनी रिपोर्ट में नहीं की थी। फिर भी सरकार ने इन मामलों को विशेष ध्यान से देखा और श्री एम० एल० सैठी को स्थायी रूप से संचालक खनिज एवं भूगर्भ विभाग के पद पर नियुक्त किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक क्वेश्चन और रह गया।

श्री रामप्रसाद लड्डा : (५) मामला इस समय विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब दो हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट्स की यह रिपोर्ट आ गई कि यह सिगनेचर उसी के हैं, जेनुइन हैं और एन्टी करप्शन डिपाटमेंट ने एक्शन के लिए कह दिया तो क्या आपने मि० एम० एल० सैठी को सस्पेंड किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सस्पेंड नहीं किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सस्पेन्ड क्यों किया जब कि उसके खिलाफ इस तरह यह साबित हो गया कि हैंड राइटिंग उसका है और लेटर बहुत इन्क्रीमिनेटिंग है, फिर भी सस्पेंड क्यों नहीं किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मामला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के पास चल रहा है। वह सारे मामले की एन्क्वारी कर रहे हैं। इसलिए जब कि यह मामला उनके पास चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में मै विशेष कुछ नहीं कहना चाहता केवल यही कहना जाहता हूं सारे मामले की जांच कर रहे हैं और सस्पेंड नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने मार्च, १९६३ को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश कर दी और उसमें इनके खिलाफ एक्शन रिकमण्ड किया और डिपार्टमेंट एन्क्वायरी के लिए भी रिकमण्ड किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने जो कुछ भी रिपोर्ट पेश की है उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, इस सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन यह आप स्वीकार करते हैं कि मार्च, १९६३ को उन्होंने अपनी एन्क्वायरी समाप्त करके आपको रिपोर्ट पेश कर दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके बाद २४ अक्तूबर, १९६३ को यह फैसला किया गया कि यह सारा मामला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द किया जाय इसलिए न केवल जो कुछ भी शिकायत इस सम्बन्ध में आई है और भी कुछ शिकायतें हैं उन सारों को छानबीन होकर मामला स्पष्ट हो जाय इसलिए सारा मामला उनके पास चल रहा है।

श्री रामकिशन (वैर) : स्पेशनल पुलिस में जो केस दिया गया है उस पर भी उनको सस्पेंड करने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सस्पेंड नहीं किया गया।

श्री रामकिशन : यह तो मै समझा, लेकिन क्या ऐसे नियम हैं कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में देने के बाद गम्भीर आरोप होते हुए भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ? इस तरह का कोई नियम बना रखा है क्या आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो परिस्थितियां हमारे सामने थीं उनके अन्तर्गत सस्पेन्शन के लिए सरकार ने आवश्यक नहीं समझा।

श्री रामकिशन : परिस्थितियां आपके सामने क्या थीं जबकि आरोप गम्भीर था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परिस्थितियां आरोपों से ही बनती हैं, परिस्थितियों का मतलब और नहीं है।' सारी कार्यवाही थी उसको देखते हुए मुनासिब नहीं समझा कि उनको सस्पेन्ड किया जाय बल्कि यह मुनासिब समझा कि मामला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री रामानंद अग्रवाल : फेक्ट्स जब आपके सामने आ गए। वह लेटर प्रोड्यूस हो गया जिसमें रिश्वत लेना तय है। उसके सिगनेचर्स दो बार हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजे जिन्होंने उनको जेनुइन करार दिया। एन्टीकरप्शन ने भ्रष्टाचार का इल्जाम सही माना है उसके बाद भी यदि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले, उसको सस्पेन्ड नहीं करे, वह ऑफिसर हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट बना रहे इसको गवर्नमेंट ने क्यों मुनासिब माना है सस्पेन्ड नहीं करने के लिये ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस बारे में क्या इन्क्वायरी रिपोर्ट एन्टीकरप्शन की थी क्यों नहीं सस्पेन्ड करना वाजिब समझा इसको इस समय बताना वाजिब नहीं होगा जबकि एस० पी० के अन्दर उसकी इन्क्वायरी हो रही है। इन सब बातों को यहां कहने से उस इन्क्वायरी पर असर पड़ेगा इसलिए नहीं कहना चाहते।

श्री रामकिशन : जवाब नहीं आयगा तो क्या ऐसा नियम है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को केस देने से पहले किसी को सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा भी नियम नहीं है कि सस्पेन्ड किया ही जाय।

श्री रामकिशन : हजारों केसेज में आप सस्पेन्ड करते हैं। यह केस अभी का नहीं है ५-१० साल से चल रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का जवाब देने के लिये मुझे केस के मेरिट्स पर जाना पड़ेगा जिसमेंमैं अभी नहीं जाना चाहता। सस्पेन्ड करना जस्टिफाइड है या नहीं यह मैं इस समय नहीं बता सकता जब कि कन्ट्री की हाइएस्ट बॉडी उसकी छानबीन कर रही है।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह(आसपुर): यह मेरिट और डीमेरिट का प्रश्न भले ही हो लेकिन कम से कम सरकार से यह आशा तो करनी ही चाहिए कि इसको डिस्पोज ऑफ करें और सस्पेन्स में नहीं रखे।

Page No. 5

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार ने इसे सस्पेन्स में नहीं रखा है। इससे ज्यादा सदन को सन्तुष्ट होने के लिए और चीज नहीं हो सकती, इस मसले को एस० पी० जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी है उसको दिया है। वह इन्वेस्टिगेट कर रही है। फाइनल एक्शन उसके पास जो मेटीरियल होगा उसके आधार पर जो वाजिब होगा वह कार्यवाही होगी।

श्री रामकिशन : सस्पेन्शन फाइनल एक्शन नहीं है जब तक वह सस्पेन्ड नहीं होगा तब तक अगर इन्क्वायरी में किन्हीं पत्रों की आवश्यकता होगी तो वह कभी पेश नहीं कर पायगा।

श्री अध्यक्ष : स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट सरकार के अधीनस्थ नहीं है। इस सारे मामले को उनके पास राज्य सरकार ने भेजा या सेन्टर ने भेजा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मामला उनके नोटिस में था और जब उनकी तरफ से बात आई कि वे इस मामले में जांच करना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया और वे इसे देख रहे है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह जरूरी नहीं है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन्क्वायरी कर रही है, इनको सस्पेन्ड कर दिया जाय तो ज्यादा सहूलियत मिलेगी और ज्यादा दबाव उन पर नहीं पड़ेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कौन सी बाधा है कि सस्पेन्ड किये बिना पुलिस इन्क्वायरी नहीं कर सकती?

श्री रामकिशन : यह गम्भीर मामला है इसलिए सस्पेन्ड करना चाहिए।

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : आपकी निगाह में गम्भीर है लेकिन हम भी जानते हैं कि क्या करना चाहिये। सारा मामला उनके पास चल रहा है। तथ्य सामने आयेंगे, हमें भी मालूम होगा उस समय सारी मुनासिब कार्यवाही की जायगी। इस समय उनके द्वारा जांच चल रही है। सस्पेन्ड करके ही चलाई जाय यह दलील समझ में नहीं आई!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): ऐसा लगता है कि नीचे मामला पूरी तरह से साबित हुआ तब यह सोचा गया कि दूसरी एजेन्सी को फिर से जांच करने को दे दो तब तक गवाह वगैरा को तोड़ लिया जायगा, इधर उधर हो जायेंगे। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को कह देंगे कि गवाहों को विन ओवर कर लिया गया। इस तरह मामला रफा दफा हो जायगा। सस्पेन्ड नहीं करने का मतलब और क्या हो सकता है? वरना आप न्याय करना चाहते हों ऐसी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के भाग संख्या ४ के उत्तर में कहा है कि एन्टी करप्शन ने, उनको स्थाई करने से पहले, जो ७ केसेज करप्शन के उनके खिलाफ कहे थे उनके बारे में यह तो स्वीकार किया है कि कुछ केसेज उनके नोटिस में लाए गए थे लेकिन आपने फिर भी उनको स्थाई किया। क्या आपको पुलिस और एन्टीकरप्शन ने यह नहीं कहा कि स्थाई नहीं किया जाय? क्या यह सही नहीं है कि आपने यह कहकर पुलिस की रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया कि केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर किसी आदमी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को स्थाई करने से रोका नहीं जा सकता? यह सही नहीं है कि क्या पुलिस ने रिकमन्डेशन स्थाई नहीं करने की कीं थीं और यह कह कर कि केवल पुलिस की रिपोर्ट पर स्थाई करने से नहीं रोका जा सकता और आपने उनको स्थाई कर दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे फिर यह कहने को बाध्य होना पड़ेगा कि गवर्नमेन्ट ने स्थाई करने पर किस प्रकार इसको समझा, क्या ओब्जेक्शन्स माने, क्या नहीं माने, सारे तथ्यों में जाने के लिये मुझे सारी बातें डिस्कस करनी होंगी जो मैं न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं समझता। क्या केसेज बनते हैं क्या नहीं इन सारी चीजों को मैं इस समय यहां डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि सारा मामला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट के पास चल रहा है। पी. एस. सी. ने स्थाई करने के लिये कहा था मैं और बातें इस समय नहीं कह सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं जस्टिफिकेशन तो यह है— Delay defeats equity कितने दिनों तक मामले को सस्पेन्स में रखेंगे? यह अशोभनीय है सरकार के लिये। सरकार का यह केरेक्टरस्टिक हो गया है हरेक मामले को टालना और फैसला नहीं करना। कम से कम फैसला करके, one way or the other do it for God's sake.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि फोटो स्टेट कोपी सदन में सन् ६३ में पेश की गई उससे पहले आपकी नोटिस में सन् ६० में भी यह मामला लाया गया था। गर्वमेन्ट ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १९५७ में शुरू होता है................

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

पीने के पानी तथा सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना

२०६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर क्षेत्र एवं बीकानेर जिले के अन्य खारे पानी वाले गांवों के पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु तथा सिंचाई हेतु राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना तैयार की जा रही है?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस इलाके की प्रचुर मात्रा में सिंचाई योग्य कृषि आदि का ध्यान रखते हुए प्रस्तावित एक हजार क्यूसेक क्षमता वाली नहर के बजाय कम से कम ३ हजार क्यूसेक क्षमता की नहर की योजना बनाने का विचार रखती है?

उप-मन्त्र, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) लूणकरणसर क्षेत्र एवं बीकानेर जिले के अन्य कुछ भाग की सिंचाई हेतु राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना तैयार की जा रही है।

(२) उपरोक्त योजना के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु सरकार ने लिफ्ट इनवेस्टिगेशन

(श्री दौलतराम सारण)
डिवीजन खोल दिया है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही यह कहा जा सकता है कि लिफ्ट कैनाल की क्षमता क्या हो सकती है ?

श्री भीमसेन : क्या सरकार बता सकती है कि सरकार के पास कितना पानी सरप्लस है जिससे योजना सरकार बना सकती है ?

श्री दौलत राम सारण : इस क्षेत्र में जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी सरकार के पास है लेकिन अभी सर्वेक्षण हो रहा है इसलिये निश्चित नहीं कह सकते। लगभग ३ लाख एकड़ जमीन सींची जाने की सम्भावना है उसके लिये जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी है।

श्री भीमसेन : सर्वे कब तक कम्प्लीट हो जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : अभी कुछ समय लगेगा।

प्रश्न संख्या २०७

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०८

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०९

वैद्य श्री गोविन्द सहाय

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थिति—कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

चित्तौड़गढ़ किले के सैटलमेन्ट की कार्यवाही

२११. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चित्तौड़गढ़ किले का सैटलमेन्ट हो चुका है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि मुकर्रर लगान मंजूरशुदा सैटलमेन्ट का कृषकों से लिया जा रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इन किसानों को अपनी जमीन रहन व बय करने का अधिकार है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां, चित्तौड़गढ़ किले का सैटलमेन्ट सम्वत् १९८७ में हुआ था।

(२) बन्दोबस्त में खातेदार लगान कायम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं किया गया था सिर्फ शरह कायम की थी।

(३) जी हां, इन किसानों को भूमि रहन व बय करने का अधिकार है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : आपको शरह के अनुसार लगान लिया जाता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, सम्वत् १९८७ में जब इस किले का सैटलमेन्ट हुआ तब तत्कालीन महाराणा के हुक्म से इस किले के रहने वालों के लिये यह आदेश दिया था कि उनसे लगान नहीं लिया जाय। इस वजह से सन् ५९ तक उनसे लगान नहीं लिया। जब ५९ में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट और टेनेन्सी एक्ट लागू हुए तब उनकी दफा की तहत कोई जमीन लगान बगैर नहीं रह सकती थी इसलिये तब से लगान लिया जा रहा है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : खातेदार लगान क्यों नहीं लगाया जब कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में जमीन का लगान फिक्स होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि रेट तो लिख दी गई कि इस रेट से चाहो का लगान लिया जायगा और इस रेट से बारानी का लगान लिया जायगा पर फलावट कर के कि इस खाते पर कितनी लगान की रकम हुई है यह इसलिये नहीं रखा कि उदयपुर के उस वक्त के महाराणा थे उन्होंने हुक्म दे दिया था कि इस किले में रहने वालों से कोई लगान नहीं लिया जाय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : कब तक फलावट हो जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फलावट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : फलावट नहीं हुई है तो खातेदार से किस हिसाब से लगान वसूल करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें यह लिखा हुआ है कि बारानी जमीन यह रेट, चाही जमीन यह रेट। रकबा भी लिखा हुआ है। तो उसे रकबे का और बारानी और चाही कितना है, उसका इतना लगान होता है इसका केल्कुलेशन कलेक्टर ने किया है, उसको देख रहे हैं कि वह सैटलमेंट के अनुसार है या नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अलग अलग रकम लगा दी जाय तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चाही और बारानी की रेट्स अलग-अलग सैटलमेंट के वक्त जो लिखी गई हैं उन रेट्स से फलावट करके इकजाई रकम कायम कर देंगे।

प्रश्न संख्या २१२।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह !

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह !

Page No. 9

सुनेल टप्पा के काश्तकार को ऋण तथा उस पर ब्याज

२१३. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सुनेल टप्पा, जिला झालावाड़ के कितने काश्तकारों को १-४-५३ से १-११-५६ तक अधिक अन्न उत्पादन योजना के अन्तर्गत मध्य भारत सरकार ने ऋण दिया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऋण लेने वाले काश्तकारों को ऋण का उपयोग निश्चित अवधि के अन्दर करने पर एवं जिस कार्य के लिये ऋण स्वीकृत किया गया हो उसी कार्य में खर्च करने पर मध्य भारत सरकार द्वारा ब्याज पर ४ पर्सेंट अपहार (रिबेट) मिलने का प्रावधान था ?

(३) क्या सुनेल टप्पा के इस प्रकार ऋण लेने वालों के विषय में राजस्थान सरकार ने यह जांच करवा ली कि किन किन काश्तकारों ने समय पर तथा ऋण जिस प्रयोजन के लिये दिया गया था उसी के लिये काम में लिया है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऋण लेने वाले समस्त काश्तकारों से राजस्थान सरकार ९ प्रतिशत ब्याज वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या राजस्थान सरकार बिना जांच किये ९ पर्सेंट ब्याज जो उपरोक्त काश्तकारों से वसूल कर लिया है वापस करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) ११५ काश्तकारों को ऋण दिया जाना पाया जाता है।

(२) सुनेल टप्पा में इस बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(३) जी नहीं। कारण कि यह मध्य भारत शासन काल से संबंध रखता था।

(४) जी, सही है। ऋण रजिस्टर्स में जो चार्ज में मिले है, मध्य भारत सरकार से सूद की दर ९ प्रतिशत दर्ज है। इस कारण ऐसा किया जा रहा है।

(५) वसूल शुदा ब्याज उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार ही लिया जा रहा है। अतः वापसी का फिलहाल सवाल ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ जवाब दिया है, मेरी जानकारी में वह सही नहीं है। दुबारा जांच करा ली जाय। मध्य प्रदेश के रेकार्ड में क्या है, यह कागजात मैंने पेश किये हैं, उसमें लिखा है कि एक साल के भीतर-भीतर जिस काम के लिये ऋण दिया गया है है उस काम में वह रुपया लगा दिया हो तो ब्याज पर ४ परसेंट रिबेट दिया जायगा। इस सम्बन्ध में मैंने कागजात पेश किये हैं। आपने कहा कि, रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप ९ पर्सेंट के हिसाब से ब्याज किस आधार पर वसूल कर रहे हैं ?

एक और निवेदन कर दूं, मध्य प्रदेश में जो टर्म्स थीं उनके माफिक क्या आपने यह एन्क्वायरी कराली कि वह ऋण जिस

Page No. 10

(श्री गोबिन्द सिंह)

काम के लिये दिया गया था उसी काम में लगाया गया, या नहीं। अगर इस तरह की जांच नहीं की है तो बिना किसी जांच के ६ पर्सेंट के हिसाब से ब्याज कैसे वसूल कर रहे हैं ? अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो इसकी दुबारा जांच करवा लें।

श्री भीमसिंह : जो रजिस्टर्स हमें चार्ज में मिले उनमें तो ६ पर्सेंट लेना है यही लिखा है। ४ पर्सेंट की रिबेट दी जाय, इसका रेकर्ड नहीं मिला है। फिर भी मध्य-प्रदेश सरकार को लिखा है कि इस सम्बन्ध का रेकर्ड उपलब्ध हो तो भेजा जाये और जब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला नहीं हो जाय तब तक ६ पर्सेंट के बजाय ५ पर्सेंट ब्याज लेना शुरू कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह : अगर आपको रेकर्ड से यह मालूम हो जाय कि इन लोगों से ६ पर्सेंट के हिसाब से ब्याज वसूल नहीं करना चाहिये था चार पर्सेंट रिबेट दे कर ५ पर्सेंट ही वसूल करना चाहिये था तो क्या जो इन किसानों से ६ पर्सेंट के हिसाब से ब्याज लिया गया है उसमें से चार पर्सेंट उन्हें वापिस लौटाया जायगा ?

श्री भीमसिंह : इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

राजस्व भूमि का परिवर्तन-ग्राम सांगोद

२१४ श्री जुझारसिंह (चेचट): Will the Revenue Minister please reply :

(i) Is it a fact that Revenue lands adjoining the Panchayat Abadi lands have been converted into Abadi lands in favour of private individuals directly without reference to the Gram Panchayat in village Sangod ? If so, in favour of how many persons ?

(ii) What is the rate charged for conversion of this land and how does this rate compare with the rate at which the lands are being sold by the Gram Panchayat Sangod to private individuals ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ग्राम पंचायत सांगोद में रेवेन्यू की आराजी जमीन पर दिसम्बर ६१ से पहले मकान बनाकर लोगों का कब्जा था उनमें से ६ आदमियों के केसेज रेगुलेराइज किए हैं।

(२) ६ व्यक्तियों के केसेज रेगुलेराइज करने में ४ आना वर्ग गज की दर से कीमत ली गई है जो सरकार की मुकर्रर शुदा है। ग्राम पंचायत ने ६ आने वर्ग गज जमीन माल की बेची है। इस प्रकार पंचायत की दर दो आने प्रति वर्ग गज बेशी है।

श्री जुझारसिंह : माल की जमीन के अलावा आबादी के लिए जमीन बेची है पंचायत ने, उसकी क्या रेट है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ६ आने वर्ग गज के हिसाब से।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

यूरेनियम डिपॉजिट

२१५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर के पास यूरेनियम प्राप्त हुआ था और वहां खुदाई का काम भी चला था ?

(२) उस खान में यूरेनियम प्राप्त करने के लिए खुदाई अब हो रही है या नहीं ?

(३) यदि हां, तो उपलब्धि क्या है और डिपॉजिट कितना है ?

उपमन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) उमरा ग्राम में अणु-शक्ति विभाग द्वारा इन्वेस्टिगेशनल कार्य प्रारम्भ किया गया किंतु उपयुक्त किस्म की डिपॉजिट न मिलने के कारण उसे बन्द कर दिया गया है। अब उससे थोड़ी दूर उदयसागर क्षेत्र में एक दो टेक्निकल पार्टीज केवल एक्स्प्लोरेटरी कार्य कर रही हैं अतः उपलब्धि एवं डिपॉजिट का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

भाखरा नहर की बी० आर० पी० नहर मोड़ों में सिंचाई

२१६. **श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि भाखरा नहर की बी० आर० पी० नहर के ६ नं०, ७ नं०, ८ नं० और ९ नं० मोड़ों में सिंचाई नहीं हो रही है ? यदि हां तो क्यों ?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, यद्यपि पानी आवश्यकतानुसार नहीं दिया जा रहा है।

श्री मनफूलसिंह : क्या मन्त्री महोदय मौके पर जांच करायेंगे कि ८ और ९ नं० के मोडो में कतई पानी नहीं दिया है। गत सैशन में आश्वासन दिया था पर अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि भाखरा की कुछ माइनर्स घग्घर की बाढ़ से प्रभावित एरिया में से निकलती हैं, इसलिए वे फ्लड में टूट जाती हैं, नवम्बर तक उनको ठीक करने के लिए मिट्टी उपलब्ध नहीं होती, इस कारण ठीक तरह से पूरी सिंचाई नहीं हो सकी है पर ८ नं० पर ९३९ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है ।

श्री मनफूलसिंह : मेरा कहना यह है कि आखिर फ्लड आती है घग्घर में तो नहरें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और वे समय पर ठीक नहीं की जाती हैं, सारे साल भर वे टूटी ही पड़ी रहती हैं, यह मेरी शिकायत है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं खुद ही निवेदन कर रहा हूं ।

श्री मनफूलसिंह : इनको जल्दी बंधवाने की कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री दौलतराम सारण : घग्घर के नियन्त्रण पर ही यह सम्भव हो सकता है, घग्घर के फ्लड का पानी जब तक होता है तब तक इनको बांधना सम्भव नहीं होता है ।

श्री मनफूलसिंह : १२ महीने ही टूटी पड़ी रहती हैं ।

श्री दौलतराम सारण : पानी हटते ही इनको ठीक कराने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री मनफूलसिंह : अक्टूबर में ही हट जाता है, पर बारह महीने ही ये टूटी पड़ी रहती हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

लगान के मांग पत्र और रसीदों में कमियों के कारण कृषकों को कठिनाई

२१७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि लगाना वसूली हेतु, काश्तकारों को दिये जाने वाले पत्रों व रसीदों में पर्चा लगान के नम्बर, खसरा नम्बर व रकबा आदि न होने से काश्तकारों को हिसाब रखने व हिसाब समझने में बड़ी परेशानी रहती है ?

(२) क्या सरकार मांग पत्र एवं रसीदात की इबारत में आवश्यक परिवर्तन करने का इरादा रखती है जिसमें पर्चा लगान में दर्ज सम्पूर्ण विवरण छपा हो ?

उप--मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(२) जी नहीं ।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो रसीदात लगान वसूली की दी जाती है उनमें पर्चा लगान के नम्बर, खसरा नम्बर व रकबा आदि न होने से किसानों को दिक्कत होती है । इस प्रकार की शिकायतें विधान सभा में सदस्यों द्वारा रखी गई हैं । बातचीत के दौरान में मन्त्री महोदय को भी बताई गई हैं कि यह आवश्यक इन्दराजात रसीदों में नहीं होते हैं । इससे किसानों को समझने में बड़ी दिक्कत होती हैं कि कितना लगान किसका लिया गया, तो क्या आप महसूस नहीं करते कि किसानों को रसीदों में इन इन्दराजात के अभाव में बड़ी परेशानी और दिक्कत होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि जो मांग पत्र दिये जाते है उनमे नम्बर पर्चा, लगान, खसरेजात, रकबा यह सब दिये जायं या नहीं, मांग पत्रों मे यह लिखे हुये होते हैं । रसीदों के बारे में प्रश्न विचाराधीन है कि क्या व्यवस्था की जाय । विचार ऐसा चल रहा है कि पास बुक सिस्टम इन्ट्रोड्यूस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया जाय जिसमें पर्चा लगान नं०, खसरा नं०, रकबा और दूसरे पर्टीक्यूलर्स होंगे जिससे पास बुक में रसीद भी मिल सकें और उससे सम्पत्ति का पूरा विवरण भी मालूम हो सके। इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

रॉयल्टी की वसूली

२१८. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि खानों से निकलने वाले पत्थर पर रॉयल्टी ट्रक के हिसाब से वसूल की जाती है ?

(२) एक ट्रक में कितना पत्थर आता है और क्या सभी ट्रकों में पत्थर बराबर ही आता है !

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे रॉयल्टी अधिक निश्चित आधार पर वसूल की जा सके ?

उपमन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। रॉयल्टी घनफुट की दर से या तोल से वसूल की जाती है।

(२) जी नहीं। हर ट्रक की अलग-अलग कैपेसिटी हो सकती है।

(३) जी हां। हिण्डौन में (फैलीपुर नाका) आगरा रोड (आबकारी नाके के पास) एवं भरतपुर में तोलने का यन्त्र लगाने की स्वीकृति १५--७--६४ को दी जा चुकी है। अन्य एक दो स्थान पर ऐसा यंत्र लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि वहां पर जो रॉयल्टी सरकार की तरफ से वसूल की जाती है वह हर ट्रक में कितना पत्थर है, कितना घनफुट है उसके हिसाब से वसूल की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ट्रक की कैपेसिटी के आधार पर वसूल की जाती थी, और की जा रही है। और इस सम्बन्ध में प्रश्न सामने आये और कोई आदमी कैपेसिटी से अधिक भर कर ले जाय तो उसको जांचने का कोई तरीका नहीं था इसलिए हमने वहां पर वेइंग मशीन लगाने का फैसला किया, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि जल्दी मशीन (वेईंग मशीन) लगने से माल तुल जाय और जिससे तोल का सही ज्ञान हो जाय।

श्री श्रवणलाल : यह कब तक लगायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५-७-६४ को मंजूरी दे दी है। जल्दी खरीद कर लगाने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि घनफुट के हिसाब से रायल्टी चार्ज करने पर और ट्रक लोड हिसाब से चार्ज

Page No. 14

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

करने पर १:५ का रेश्यो आता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नहीं कह सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी, किन्हीं स्थानों पर रॉयल्टी ट्रक के हिसाब से वसूल की जाती है और किन्हीं स्थानों पर घनफुट के हिसाब से वसूल की जाती है इनमें जो अन्तर आता है उसमें यूनिफार्मिटी लाकर राजस्थान सरकार लागू करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यूनिफार्मिटी लाने का एक तरीका नहीं है और भी तरीके जो यूनिफार्मिटी लाने के लिए काम में लिये जा रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : जो रॉयल्टी वसूल की जाती है वह हिसाब से, चार आने फुट के हिसाब से किसी में १५० होती है, किसी में १२५ होती है लेकिन २०) रुपये और १६) रुपये लेकर ट्रक छोड़ दिये जाते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन सारी व्यवस्थाओं को करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : अब तक आदेश न देने से सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल ।

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स-जिला चित्तौड़गढ़

२१६. **श्री हरलाल** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे !

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक कितने प्राईमरी हेल्थ सेन्टर कहां कहां खोले गये हैं ।

(२) क्या उक्त सभी प्राईमरी हैल्थ सेन्टरों का भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? अगर नहीं, तो कितने का पूरा हो चुका है और कितने का अधूरा है ?

(३) क्या उक्त प्राईमरी हैल्थ सेन्टरों पर बजट के अनुसार पूरा स्टाफ मय सामान के भेज किया गया है ?

उपमन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक निम्नलिखित ७ स्थानो में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले गये हैं:—

विकास खंड	स्थान	प्रारम्भिक दिनांक
१. बेंगू	पारसोली	१२-४-५६
२. कपासन	कपासन	फरवरी, १९५७
३. चित्तौड़गढ़	सावा	१४-११-६१
४. निम्बाहेड़ा	कनेरा	१४-७-६०
५. राशमी	गंगरार	२२-७-६०
६. प्रतापगढ़	बरावण्डा	२३-६-६०
७. भैंसरोडगढ़	भैंसरोडगढ़	२७-१-६३

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) निम्नलिखित ५ स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है :—

१. पारसोली २. कपासन
३. सावा ४. कनेरा
५. गंगरार

बराबण्डा हैल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही यह कार्य समाप्त होने की संभावना है।

भैंसरोड़गढ़ हैल्थ सेन्टर का भवन-निर्माण-कार्य पंचायत समिति द्वारा परिवर्तन कर उस भाग में जो समिति द्वारा दिया गया है चल रहा है जिसके अन्तर्गत नया भवन बनाने या इसमे परिवर्तन हेतु पंचायत समिति से पत्र-व्यवहार जारी है।

(३) उक्त सारे ही सेन्टरों पर बजट के अनुसार सामान तथा औषधियां भेजी जा चुकी हैं जहां तक स्टॉफ का प्रश्न है कपासन और सावा प्राईमरी हैल्थ सेन्टरों के अलावा सभी सेन्टरों में कुछ न कुछ स्टाफ का अभाव है। इसी कारण उक्त दो सेन्टरों को ही अब तक क्वालिफाइड प्राईमरी हैल्थ सेन्टर कर पाये हैं जब कि हर साल बजट के अनुसार औषधियां इत्यादि पर खर्च हो ही जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द !

श्री हरलाल : अध्यक्ष महोदय मै प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने फर्माया है कि कपासन और चित्तौड़गढ़ के प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों में कुछ न कुछ अभाव है। वहां तो मोटर के अलावा कुछ नहीं देखा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि कुछ न कुछ अभाव है। दो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में पूरा का पूरा स्टाफ हैं इसलिए दो ही क्वालिफाइड हो चुकी हैं। बाकी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि यथा-सम्भव जैसे ही स्टॉफ मिलेगा, लगाया जायगा।

एक माननीय सदस्य : डाक्टरों के अभाव में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कैसे काम करेंगे ?

श्री हरलाल : कब तक पूरा हो जायगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्टाफ मिलने पर।

श्री हरलाल : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की ऐसी स्थिति है और डिस्पेन्सरी में करीब २० जगह डाक्टर नहीं हैं। मेरे ख्याल से तीन जगह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं, तीनों जगह डाक्टर नहीं है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : पारसोली में दो डाक्टर मन्जूर हैं, दोनों हैं। कपासन में दो डाक्टर मन्जूर हैं, दोनों हैं। सावा में एक डाक्टर सैक्शन्ड है, एक मौजूद है, कनेरा में एक डाक्टर मन्जूर है, वहां लगा नही पाये हैं। गंगरार में एक डाक्टर सैक्शन्ड है, एक लगा हुआ है। भैंसरोड़गढ़ में एक फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर लगा हुआ है।

श्री हरलाल : पता नहीं चला दुबारा बतायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जितने डाक्टरों को अपॉइन्ट किया है, उनमें से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में कितने हैं और कितनों में नहीं हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बता रहा था, पारसोली में दो डाक्टरों का प्रॉविजन है और दो डाक्टर मौजूद हैं, कपासन मे दो डाक्टरों का प्रॉविजन है, दोनों ही डाक्टर मौजूद हैं। सावा में एक डाक्टर का प्रॉविजन है, एक मौजूद है, कनेरा में एक डाक्टर का प्रॉविजन है, वहां लगा नहीं पाये है। गंगरार में एक डाक्टर का प्रॉविजन है वहां लगा हुआ है। बरावण्डा में एक डाक्टर का प्रॉविजन है, वह अपॉइन्ट कर दिया है, लेकिन डाक्टर पहुंचा नही है। भैंसरोड़गढ़ में एक डाक्टर की जगह फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर काम कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जो मिडवाइव्ज रखते हैं, वह ट्रेन्ड नहीं रखते हैं तो उनका अब सैन्टर्स पर क्या उपयोग है ?

श्री बरकतुल्ला खां : प्राइमरी हैल्थ सैन्टर पर कम्पाउण्डर, मिडवाइव्ज और सैनिट्री स्टाफ रखा जाता है। जो मिडवाइव्ज होती हैं, वे अन्ट्रेन्ड नहीं होती हैं। उनको दाई की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी योजना है कि सब सेन्टर्स हैं इनमें एक-एक कम्पाउण्डर रखा जाय ताकि उनका उपयोग हो सके।

श्री बरकतुल्ला खां : सब सैन्टर्स के अन्दर एक-एक कम्पाउण्डर रखा जायगा, एक मिडवाइफ रखी जायगी, और सैनिट्री स्टाफ रखा जायगा। लेडी हैल्थ विजिटर का प्रॉविजन है लेकिन चूंकि इतनी तादाद में मिल नही सकती इसलिए सब सैन्टर्स पर पहुंचाने में दिक्कत पड़ती है।

श्री हरलाल : जहां डाक्टर नहीं है वहां भेजने का सरकार आश्वासन देगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : तीन जगह में से दो जगह डाक्टर भेजने के आॅर्डर दे दिये गये हैं। एक जगह फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर काम कर रहा है। वह इसलिए जब चालू होता है तो फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर भेज देते हैं। दो साल के बाद डाक्टर लगाते हैं और फिर वह क्वालिफाइड हो जाता है। एक जगह डाक्टर भेजा नहीं है चूंकि कम्प्लीट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी !

जमीन पर नाजायज कब्जे--दौसा

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या दौसा नगरपालिका की टाउन सर्वे रिकार्ड नं० ५५७१ की जमीन पर चेयरमैन ने कब्जा कर लिया है ?

(२) क्या चेयरमैन ने नाजायज कब्जे के कारण ही नगरपालिका सदस्य श्री छाजूलाल माली और आर. टी. ओ. श्री नन्दकिशोर ने भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है ?

(३) नाजायज कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कदम

(श्री मूलचन्द चौधरी)

उठाये हैं और ये कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे ?

(४) क्या स्टेशन के प्लॉट भी जो बिना नीलाम किये दे दिये गये हैं, वापिस लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) उपरोक्त स्थिति में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) स्टेशन के कोई प्लॉट अभी बिना नीलाम नहीं दिये गये हैं बल्कि कब्जे के आधार पर नेशनल हाई वे के लिए दुकान हटाने के लिए उनकी ऐवज में जमीन पास-पड़ौस की जमीन की औसत दर के हिसाब मे दिये जाने के लिए नजूल कमेटी के चेयरमैन को बोर्ड द्वारा सिफारिश भेजी हुई है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : ५५७१ नम्बर की जमीन है यह खाली पड़ी हुई है और इसके चारों तरफ दीवार खींच दी गई है ?

श्री दौलत राम सारण : कौनसी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिसके लिए आपने जवाब दिया है—जी नहीं।

प्रश्न नं० (१) ५५७१ नम्बर की जमीन है वह खाली पड़ी हुई है, इसके चारों तरफ दीवार खींची हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : दीवार है या खाली है—यह तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें है, टाऊन सर्वे रिकार्ड नं॰ ५५७१ की जमीन पर चेयरमैन ने कब्जा कर लिया है। आपने कहा है 'जी नहीं' अगर 'जी नही' तो क्या यह ओपन लैण्ड पड़ी हुई है या एन्क्लोजर खींच लिया है ? अगर हां, तो किसकी इजाजत मे खींचा है ?

श्री दौलतराम सारण : यह खसरा नम्बर ५५७१ है उस पर कोई खाम गवाड़ था ऐसा इसमें बताया गया है।

श्री मूलचन्द : यह खामगवाड़ था ऐसा आप मान कर चलते हैं और म्युनिसिपैलिटी की जमीन पर किसी ने कब्ज़ा नहीं किया यह आप मानते हैं। यह खामगवाड़ का था यह एन्क्लोजर बनाया तो क्या यह म्युनिसिपैलिटी की जानकारी में है या नहीं या दूसरों की जानकारी है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न में पूछा गया है कि दौसा नगरपालिका के चैयरमेन ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है उसका मैंने उत्तर दिया है 'जी नहीं'।

श्री मूलचन्द : क्या म्युनिसिपेलिटी का खुद का उस पर कब्जा है ?

एक माननीय सदस्य : अगर किसी दूसरे ने कब्जा किया हैं तो किसने किया है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न चेयरमैन के नाजायज कब्जे के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अमुक जमीन पर किसी का कब्जा होगा, यह आपने खुद ने कहा है कि किसी का है इसकी जांच करेंगे । आपने जांच की होगी । क्या स्थिति है आप बता दें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं खसरा नम्बर की बात करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी आप पूरी जांच करा लें उसके बाद अगले सप्ताह इस प्रश्न को फिर ले लेंगे ।

प्रश्न संख्या २२१

श्री मानिकचन्द सुराणा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत !

डाक्टरों के स्थानांतरण

२२२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१-४-६२ से ३१-१-६४ तक कितने डाक्टरों के स्थानांतरण दो साल की अवधि से पहले किये गये और क्यों ?

उपमन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : राजस्थान में इस विभाग के अन्तर्गत दिनांक १-४-६२ से ३१-२-६४ तक केवल ५७ डाक्टरों के स्थानांतरण २ साल की अवधि से पहले किये गए हैं । पब्लिक इन्ट्रेस्ट व एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट ऑफ व्यू से किए गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट सदन के सामने बार-बार कहा जाता है । यह एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट क्या होता है ? जिससे दो वर्ष पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है । Everything can be this. Administrative point से क्या हो सकता है ? आरबिट्रेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट में क्या फर्क है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि डाक्टर जहां पर काम कर रहे हैं उनको जनसहयोग पूरा नहीं मिलता और जनता में पॉपुलेरिटी नहीं प्राप्त कर सकते तो उनको दूसरी जगह भेजा जाता है । इसके अलावा कही कही डाक्टर के साथ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं और उनको पढ़ाने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होने से उनको ट्रेनिंग नहीं दे पा सकते हैं तो उनको सुविधाजनक जगह पर ट्रान्सफर कर देते हैं जहां पर वे अच्छी तरह काम कर सकें । यदि आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पूछते तो सब बताया जा सकता था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसहनगर): क्या सारे डाक्टरों का ट्रांसफर किया गया है वह अनपॉपुलर होने के कारण किया गया है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हमारे यहां पर जो डाक्टर था उनकी इच्छा नहीं थी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कि उनका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। पब्लिक को भी उनके कार्य से सन्तोष था मगर इसके बाद भी उनको चिड़ावा ट्रांसफर कर दिया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न नहीं है। अगर शासन की दृष्टि से उसको ट्रांसफर करना जरूरी समझा गया तो उनका ट्रांसफर किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन ५७ डाक्टरों का ट्रांसफर किया गया है जिनमें कितने ऐसे डाक्टर हैं जिनसे जनता सन्तुष्ट नही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कई जगह ६-६ सालों से अनपॉपुलर डाक्टर बैठे हुए हैं। और कई जगह पॉपुलर डाक्टरों को जल्दी ही हटा दिया जाता है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक हांडा साहब की कॉन्स्टिट्यूएन्सी का ताल्लुक है उसको वहीं रखा गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डा० कल्ला अन-पॉपुलर हो गये हैं उनके लिये क्या किया?

श्री अध्यक्ष : आपका काम भी कर दिया फिर भी आप कह रहे हैं।

नेक्स्ट।

मन्दिरों की जमीनों का पुनर्ग्रहण

२२३. श्री अमर सिंह (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान में ५००) रु० सालाना से नीचे के मन्दिरों की जमीन का पुनर्ग्रहण किये कितना समय हुआ है?

(ब) जयपुर जिले के ऐसे कितने मन्दिरो के मामले तय हुए हैं और कितनों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (अ) ५०० रु० से नीचे की मन्दिरों की जमीनें १-७-६३ से पुनर्ग्रहण की गई है जिन्हें एक साल व एक माह का समय हुआ है।

(ब) जयपुर जिले में २१७० मन्दिरों की माफियात के मामले तय किये गये हैं। किसी को ग्रान्ट इन परपीचुएटी मिलना शुरू नहीं हुआ है।

श्री अमरसिंह : ये अभी तक नहीं मिलने का कारण क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये आवश्यक इन्तजाम कर दिया गया है और जल्दी ही उनको ग्रान्ट मिल जावेगी।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज ठाकुरजी एक-एक साल से भूखे बैठे हुए हैं और भोग-पूजा तो दूर रही वहां पर घन्टा भी नहीं बजता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले जागीर में आते थे उसके बाद देवस्थान में जाते हैं। वहां पर जब मन्दिर का नाम कहीं पर लिखा होता है तो वहां पर पहले किसके नाम था यह नहीं लिखा हुआ होता है। इसलिये जो अशुद्धियें होती हैं उसको ठीक करके १२ बी. का फार्म होता है उसको भरते हैं। दूसरे कइयों को पेमेन्ट हो चुका है फिर भी काफी काम होने से पूरा नहीं हो सका है। इसके बारे में जल्दी पेमेन्ट करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, कई मन्दिरों को २०) रुपये या २५) रुपये मिलेंगे और वे यहां पर लेने के लिये आवेंगे तो उनका वह रुपया किराये भाड़े में ही खत्म हो जावेगा। इसलिये क्या सरकार वहां पर पंचायतों के द्वारा या वहां पटवारियों के द्वारा उनको वहीं पर नजदीक में उपलब्ध हो, ऐसा प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसकी जानकारी करूंगा कि आया यह ट्रेजरी से ही मिलेगा या सब-ट्रेजरी से भी दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो जिला ट्रेजरी से उनको दिलाने की व्यवस्था की जावेगी।

श्री दुर्गालाल बढ़ादार : (हवामहल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ५००) से ज्यादा की आमदनी वालों का नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक हजार से नीचे का प्रश्न है। माननीय सदस्यों का प्रश्न ५००) रु० सालाना से नीचे का है। एक हजार से नीचे ५००रु० ही हैं उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, १० परसेन्ट रियेलाइजेशन चार्जेज होंगे वे आप ले सकते हैं बाकी तो ठाकुरजी को दिया जावे। ठाकुरजी को भोग के लिए हर महीने या तीन महीने बाद या छः महीने में पुजारी रुपया लेने यहां पर आवेगा तो उसको बेचारे को किराये के रुपये लग जावेंगे जिसको आप साल भर में ३०) या ४०) रुपये देते हैं और उसको किराये के २०) या ३०) रुपये लग जाएं तो, अध्यक्ष महोदय, मै यह कहूंगा कि वहां पर ठाकुरजी का घण्टा तो क्या हिलेगा ठाकुरजी का दरवाजा भी नहीं खुल सकता। इसलिये आप इसके लिये उचित व्यवस्था सोच सकते हैं। इसके लिये भी विचार करना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके पेमेन्ट के लिये क्या सुविधा दी जा सकती है उसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाड़मेर में जिला स्तरीय अस्पताल

२२४. **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बाड़मेर में जिला स्तरीय अस्पताल की इमारत पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो उसे पूर्ण हुए कितना समय हो चुका है ?

(२) इस अस्पताल को प्रारम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं और उनका निराकरण कब तक हो जायेगा ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) निर्माण विभाग से भवन प्राप्त न होने के कारण अस्पताल प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

श्री उम्मेदसिंह : आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, जी नहीं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां । मैंने कहा है ।

श्री उम्मेदसिंह : क्या आप उसको कम्पलीट समझ रही हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उसमें पाइप लाइन बनाना बाकी है । ७,५००) रु० पी. डब्ल्यू.डी. को दिये गये हैं । रेल्वे के कुए से पाइप लाइन लानी है उसके लिये । जब वह आ जावेगी उसके बाद कम्पलीट हो जावेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या इसके लिये रेल्वे से बात की है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह अस्पताल कब तक तैयार हो जावेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, आम कायदा यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० बिल्डिंग बना कर संभला देता है उसके बाद ही वह बिल्डिंग कम्पलीट समझी जाती है । जब तक पी० डब्ल्यू० डी० इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक यह डिपार्टमेंट चार्ज नहीं ले सकता । इस पर्टीकुलर केस में करीब करीब कन्स्ट्रक्शन खत्म हो गया है । खास तौर से पानी की कमी रही है । यह रेल्वे के कुए से कनेक्शन करने का प्रश्न है । इसके लिए ७५००) रु० पी० डब्ल्यू० डी० को दिए हुए हैं । इसलिए जब तक इसमें पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो इसे पूरा नहीं माना जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : Next.

स्वर्णकारों के भूमि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

२२५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, कोलोनाइजेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन के स्वर्ण नियन्त्रण कानून के कारण बेकार हुए स्वर्णकारों ने सिंचित भूमि प्राप्ति हेतु उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर को आवेदन पत्र दे दिये हैं ? अगर हाँ, तो ऐसे कितने आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हो चुके हैं तथा सरकार ने अब तक उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, कोलोनाइजेशन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां । उपनिवेशन विभाग में २७२ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं । वे आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, क्योंकि राजस्थान नहर की उपनिवेशन नीति अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है ।

श्री भीमसेन : राजस्थान नहर की उपनिवेशन नीति अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है तो गंगनहर में उन को जमीन दी जाए ।

Page No. 22

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टीनेन्सी एक्ट के तहत उनको जमीन दी जा सकती है और हमने इसमें आवश्यक एमेन्डमेंट भी कर दिये हैं जिससे लेन्ड एलाटमेंट में उनको प्राथमिकता दी जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिये देने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्परेरी कल्टीवेशन में अगर वे एन्टाइटल हैं तो उनको कौन रोकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उनको एन्टाइटल कीजिए। टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए जैसे हरिजनों को कर दिया, उसके आधार पर स्वर्णकारों को कर दीजिए, अमेंडमेंट्स आती रहेगीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बीकानेर जिले के अलावा दूसरे जिलों में भी स्वर्णकार हैं। वे भी एप्लाइ करें तो क्या उस जिले में उनको भी नहरी जमीन मिल पाएगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी रूल्स में तरमीम कर दी है कि जहां जहां वे रहते हैं लैंडलेस टिनेन्ट्स की डेफिनेशन में आते हैं और यदि वे एस. डी. ओ से सर्टीफिकेट लेकर पेश कर दें और वे सारे उसके अन्दर इनकार्पोरेट कर लिए गए हैं और उसके आधार पर लैंडलेस टिनेन्ट्स मानकर उनको प्राथमिकता दिये जाने के बारे में भी लिख दिया है और अभी मैं सही फीगर्स नहीं बता सकता लेकिन अलॉटमेन्ट के दौरान में बहुत जगह गोल्डस्मिथ्स को....

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन इतना ही काफी नहीं होता क्योंकि लैंड अलॉटमेंट रूल्स के अंतर्गत गोल्डस्मिथ्स के आजाने के बावजूद भी उन रूल्स के अन्दर जो इसी एरिया के रहने वाले हैं, विलेजेज में रहने वाले हैं उन लोगों को प्रायमिकता मिलती है इसलिए दूसरे जिलों के लोग वहां पर जमीनें न लें और वहां....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जिन गांवों मे गोल्डस्मिथ्स रहते हैं उन गांवों में उन्हें जमीन पर प्राथमिकता मिली है। मैंने यह नहीं कहा कि दूसरे जिलों के लोग आकर अगर जमीन लेना चाहें तो हमने छूट दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि दूसरे जिलों के स्वर्णकार जो बेकार हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो जिन जिलो में पहले ही लैंड का प्रेशर बहुत ज्यादा है- जैसे अलवर और भरतपुर जिले में पर जहां भूमिहीन लोग बहुत ज्यादा हैं क्या ऐसे जिलों के स्वर्णकारों को आप इस नहरी इलाके में जमीन अलॉट करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि नहरी इलाके में जमीन अलॉटमेंट करने के संबंध में राजस्थान कैनाल सबसे बड़ा स्थान आता है उसके संबंध में अभी

Page No. 23

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नीति निर्धारित नहीं हुई । दूसरी बात यह है कि इसके अन्दर गोल्डस्मिथ्स को हमें एग्रीकल्चर रूल्स में लैंडलेस टिनेन्ट्स मानना चाहिए लेकिन इसके अन्दर सैन्ट्रल गवर्नमेंट की कांकरेंस लेनी पड़ेगी, पंजाब सरकार से डिस्कस करना पड़ेगा कि गोल्डस्मिथ्स राजस्थान कैनाल में एलिजबिल बनाए जाय या नहीं । सारी नीति के साथ साथ इस मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर राजस्थान कैनाल पर गोल्डस्मिथ्स एलिजिबल नहीं बनाए गए तो दो तीन हजार जागीरदारों को आपने किस आधार पर अलॉट किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा न कि इस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय लिया जा सकता है । अभी इस सम्बन्ध मे सरकारी नीति निर्धारित नही हुई तो उस सम्बन्ध मे क्या कह सकता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या कारण है कि जागीरदारों को जमीन अलॉट की गई, उनके लिए शीघ्र ही नीति निर्धारित की गई और गोल्डस्मिथ्स के लिए अभी नीति निर्धारित नहीं हुई ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

लाइम स्टोन माईनिंग प्लाट्स

२२६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Mines Minister please reply :

1. What is the minimum size of a plot that would be allotted to any party in Ram Ganj Mandi Tehsil on lease for extracting lime-stone at present ?

2. Is it a fact that some lease holders of this area have requested the Government to reduce the size of Lime-Stone Mining plots as it is not possible for poor parties to operate profitably with areas of the size ?

3. What action has been taken by the Government on this issue ? How many parties have been given lease on the new sized plots and how many have made applications to the Government for it ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) २०० एकड़ ।

(२) जी हां । चार पार्टियों ने ।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । अब यह निर्णय ले लिया गया है कि दो सौ एकड़ से कम क्षेत्र के लिए चूना पत्थर निकालने के लीजेज दिया जाना उचित नहीं है । प्रश्न ही नही उठता ।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न पहले में आपने क्या फर्माया कि २०० एकड़ की साइज माइनिंग एरिया की होती है मौजूदा परिस्थिति में ?

Page No. 24

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौन से एरियाज की ?

श्री जुझारसिंह : लाइम-स्टोन के एरियाज जो आप देते हैं कान्ट्रेक्टर पर, लीज पर, उसकी मिनिमम साइज क्या है अभी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहां ?

श्री जुझारसिंह : रामगंज मण्डी में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा न कि रामगंज मण्डी में चूना पत्थर निकालने के लिए वर्तमान में जो प्लॉट दिया जाता है उसको न्यूनतम साइज २०० एकड़ है।

श्री जुझारसिंह : इन्डिविजुअल्स के लिए!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्डिविजुअल साइज ऑफ प्लाट्स ?

श्री अध्यक्ष : ये २०० एकड़ के इन्डिविजुअल प्लाट्स हैं क्या ?

श्री जुझारसिंह : नहीं साहब।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५००-५००।

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन है कि अभी मौजूदा साइज १५००-२१० है उनकी जमीन का उसको ५००-५०० कर दिया जाय !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी नहीं किया।

श्री जुझार सिंह : जो अभी आपकी मौजूदा साइज है १५००-२१०० उसकी कितनी आप रायल्टी लेते हैं और आप नहीं समझते कि वह रॉयल्टी गरीब कान्ट्रेक्टरों के हिसाब से बहुत ज्यादा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो इसमें नहीं है साइज बड़ी रखने के पीछे भी कुछ सिद्धांत है। वह सिद्धांत यह है कि छोटी २ साइज कर देने की वजह से न तो डम्प के लिए स्थान होता है और न एक्स्प्लाइटेशन का काम प्रॉपरली हो पाता है और डीपर नहीं जाते हैं और साइन्टिफिक वर्किंग नहीं हो सकती और कॉम्पटीशन में जाकर खान-खंड होने का अन्देशा रहता है। इसलिए बड़ी साइजेज रखी हैं ताकि एक्स्प्लाइटेशन हो।

श्री जुझारसिंह : अभी आपने फर्माया कि ५००-५०० साइज निश्चित कर दी है। अगर निश्चित नहीं की होगी तो आप एक स्टैंडर्ड साइज तो मानते हैं। अगर ५००-५०० कर दी जाय तो बहुत से लोग जो अभी फील्ड में नहीं आ सकते हैं ज्यादा पैसों की वजह से, वे भी ऑपरेट कर पायेंगे और वहां पर सरकार को भी फायदा होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फील्ड में आने का प्रश्न ही नहीं है। कम पैसे वाले भी आ जायें। इस दृष्टि से सारा काम करवायें तो नहीं हो सकता। माइनिंग साइन्टिफिक वर्किंग की दृष्टि से और नेशनल मिनरल वेल्थ का प्रॉपर एक्स्प्लाईटेशन फॉर दी बेनिफिट ऑफ दि नेशन हो सके उसके आधार पर है तो यह मतलब नहीं है कि एक एरिया जो इस समय एक आदमी को दिया जाता है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वह १० आदमियों को दिया जाय तो सारी की सारी खान को एक साल में ही खत्म कर देंगे और ज्यादा नुकसान हो जायगा।

श्री जुझारसिंह : रामगंजमण्डी सारा का सारा माइनिंग एरिया है और वहां पर सैकड़ों लोग यह धन्धा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि सरकार की नीति नहीं है कि छोटे प्लाट्स दिए जायं।

श्री मानिकचन्द सुराणा !

डाक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट तथा विशेषज्ञ डाक्टर्स

२२७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९४९ के बाद डॉक्टर्स की कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है? यदि हां, तो आज तक इस प्रकार की लिस्ट न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

(२) क्या यह सही है कि प्रि-रिआर्गेनाइजेशन सीनियोरिटी लिस्ट सन् १९६० में आपत्ति हेतु प्रकाशित की गई और अन्तिम रूप से सन् १९६२ में प्रकाशित की गई है?

(३) राजस्थान सरकार की सेवा में कितने विशेषज्ञ डाक्टर्स हैं?

(४) उक्त विशेषज्ञ डाक्टर्स में से कितने अपनी पोस्ट्स पर और कितने जनरल पोस्ट्स के अगेन्स्ट काम कर रहे हैं? विशेषज्ञ डाक्टर्स का जनरल पोस्ट्स पर काम करने का क्या कारण है?

(५) क्या यह सही है कि विशेषज्ञ डाक्टर्स विशेष पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं उनमें से कुछ विशेषज्ञों से जो कि जनरल पोस्ट पर काम कर रहे हैं जूनियर हैं परन्तु फिर भी सरकार उन विशेषज्ञों को जो कि जनरल पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं और जो सर्विस में सीनियर हैं उन जूनियर स्पेशलिस्ट्स के स्थान पर नहीं लगा रही है?

उप-मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन क्लास प्रथम एवं द्वितीय की प्रोविजनल सीनियोरिटी लिस्ट जो कि ७-४-४९ के पूर्व नियुक्त किये गए थे, वह दिनांक १४-४-६० द्वारा निकाली जा चुकी है तथा फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट, इसके सम्बन्ध में दिनांक २३-८-६२ द्वारा निकाली जा चुकी है। फिर एक सीनियोरिटी लिस्ट राजस्थान मेडीकल सर्विसरूल्स के अन्तर्गत तारीख २९-११-६३ को प्रोविजनली निकाली गई है।

(२) जी हां।

(३) राजस्थान सरकार की सेवा में कुल १०० विशेषज्ञों के स्वीकृत स्थान हैं।

(४) उक्त विशेषज्ञों में से ८९ विशेषज्ञ अपने विशेष पदों पर कार्य कर रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है क्योंकि विशेषज्ञ अपनी योग्यतानुसार अपनी-अपनी पोस्टों पर कार्य करते हैं।

Page No. 26

(५. जी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह जो सीनियोरिटी लिस्ट है आपकी, क्या इस लिस्ट में क्लिनीकल और नॉन-क्लिनीकल के आधार पर अलग-अलग सूचियां बनाई है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : ये जितनी भी डाक्टर्स हैं एक लिस्ट के अन्दर रखे गए हैं। जितने भी सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स हैं उनकी काम्प्रीहेन्सिव लिस्ट बना दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि इस सूची में क्या एक प्रोफेसर की सीनियोरिटी आप उसकी डेट ऑफ एपॉइन्टमेंट एज प्रोफेसर से न गिनकर उसका पीछे का जो क्लिनीकल अनुभव है और उसकी एपॉइन्टमेन्ट एज़ डॉक्टर है उससे गिनते हैं या सिर्फ प्रोफेसर पद पर नियुक्ति की तारीख से गिनते हैं ?

(६.०० म० पू०

श्री बरकतुल्ला खां : प्रोफेसर की जो सीनियोरिटी बनती है वह इस तरह से बनती है कि पहले लेक्चरार, फिर रीडर और उसके बाद प्रोफेसर। टोटल सीनियोरिटी जब होती है—जैसे कोई आदमी जब तक पांच साल तक लेक्चरार नहीं होगा रीडर नहीं बन सकता। जब तक कम से कम तीन साल तक रीडर की जगह काम न कर ले तब तक प्रोफेसर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें सीनियोरिटी मानी जाती है। लेकिन स्पेसिलिस्ट्स की सीनियोरिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे मेडिकल में चार जगह खाली है तो चार प्रोफेसर प्रमोट हो सकते हैं, सर्जिकल में तीन जगह खाली हैं तो तीन होंगे और ओर्थोपेडी में दो हैं तो दो प्रमोट होंगे और आई (Eye में एक जगह है तो एक प्रमोट होगा-टोटल सीनियोरिटी लेते हैं तो एक स्पेसिलिस्ट्स में सीनियर हो सकता है लेकिन उसको ओपनिंग नहीं मिलता है दूसरी जगह एक आदमी को ओपनिंग मिल जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने सीनियोरिटी लिस्ट बनाने के साथ ही क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल की अलग अलग सीनियोरिटी लिस्ट बनाई है या दोनों की एक बनाई है ? अलग अलग बनाई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस रूल की कोई सेंक्शन है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक क्लिनिकल और नॉनक्लिनिकल का ताल्लुक है क्लिनिकल सब्जेक्ट.... ...

श्री अध्यक्ष : Teaching staff and medical staff......

श्री बरकतुल्ला खां : There is a difference between teaching staff and . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की क्या मंशा है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लिनिकल में मेडिकल और सर्जरी होती है और नॉन-क्लिनिकल में ओर्थोपिडी, पेथोलोजी वगैरह सब्जेक्ट्स।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जो टीचिंग में आते है एक तो वे आते हैं जैसे मेडीसिन सर्जरी और स्पेसियेलिटी, वे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनके अन्दर आदमी मरीजों को देखता है और इलाज करता है और दूसरे आते हैं नॉन-क्लिनिकल सब्जेक्ट्स-एनोटोमी, फिजोलोजी । ये सब्जेक्ट्स नॉन-क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं । जब नॉन-क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कोई जगह हो तो या तो सी० ए० एस० की क्लास से होता है, उसमें रीडर और प्रोफेसर बनते हैं । उनकी सीनियोरिटी का क्राइटेरिया इसलिए अलग रखा गया है कि इसमें टीचर कम मिलते हैं और दूसरे में ज्यादा मिलते हैं । मिसाल के तौर पर एम० एस० एम० डी० काफी तादाद में अवेलेबल हैं जब कि पैथोलोजी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स कम मिलते हैं इसलिए राजस्थान युनिवर्सिटी ने भी यह माना है कि एम० बी० बी० एस० डिमोन्स्ट्रेटर का काम करते हैं । उनकी सीनियोरिटी डिस्टर्ब नहीं की गई है । फिजोलोजी का प्रोफेसर फिजोलोजी में बनेगा लेकिन मेडिकल और सर्जरी में नहीं बन सकता ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स की सीनियोरिटी अलग अलग बनी हुई हैं लेकिन अपॉइन्टमेंट्स किये हुए हैं वे इस तरह से किए हुए हैं कि सीनियर मोस्ट को टीचिंग में किया हुआ है और पोस्टिंग सीनियोरिटी के हिसाब से नहीं हुए हैं । टीचिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव को टीचिंग में अपॉइन्ट कर रखा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा हुआ था शुरू शुरू में जब कालेज सर्विस शुरू हुई थी । सीनियर और जूनियर स्पेसियेलिट्स थे उनको इनवाइट किया गया । सीनियर को प्रोफेसर और जूनियर को इक्वल टु लेक्चरार और रीडर । शुरू शुरू में कालेज सर्विस में वे वर्क करते हैं । इसके बाद जो लोग कालेज में टीचिंग में नहीं आ पाये और सीनियर और जूनियर रहे उनकी आधी सर्विस टुवर्ड्स टीचिंग काउण्ट की जावेगी, यह हुआ और उसके आधार पर जो क्लिनिकल साइड में थे उनको मौका दिया गया कि वे टीचिंग साइड में आयें और उनको लिया गया । यह यकीनी बात है कुछ केसेज हुए है जो सीनियर थे टीचिंग में मौका नहीं मिला; टीचर और प्रोफेसर नहीं बन पाये ऐसे हार्ड केसेज को भी गवनमेंट ने कन्सीडर किया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह !

मण्डी का निर्माण ग्राम पंचायत--गोलूवाला निवाधान

२२८. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) क्या मन्त्री कोलोनाइजशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत गोलूवाला निवाधान ने बिना कोलोनाइजेशन विभाग की आवश्यक स्वीकृति के मन्डी का निर्माण कर लिया है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चहाती है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनफूलसिंह : जब बिना स्वीकृति के मण्डी बना ली गई तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो प्लान कोलोनाइजेशन विभाग के नियमों के अन्तर्गत मंजूर किया गया था उसमें किसी मण्डी का यहां प्रॉविजन नहीं रखा गया है और बनाई या नहीं बनाई इसके सम्बन्ध में तहकीकी मैं अभी सूचना नहीं दे सकता। मेरी जानकारी के अनुसार नहीं बनाई पायी जाती है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय उपमन्त्री महोदय, लाखों रुपया बांट दिया गया है और नीलाम हो रहे हैं प्लाट्स। सन् ५६ से यह कालोनी है। आधी मण्डी बन चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ दुकानों के प्लाट्स पंचायतों ने बेचे हैं लेकिन हमारे द्वारा स्कीम मन्जूर करने के बाद बेचने का काम पंचायतों का रह जाता है। यदि उसमें कोई अवैधानिकता की है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पंचायत विभाग से इसकी जानकारी की जा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): यह पहली मण्डी ही नहीं है। दूसरी कई मण्डियां हैं जिनको सरकार ने इजाजत नहीं दी है। रिडमलसर की मण्डी है, रियासत के समय से प्लान था। आज तक कागजात कलेक्टर और तहसील के बीच में ठोकरें खाते फिर रहे है। इसलिए लोग तंग आकर अपनी ओर से मण्डियां बनाते हैं आखिर अपने अनाज को तो बेचें, कहां ले जाकर बेचें लोग फिर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में नहीं आया कि आप कौन सी मण्डी के विषय में कह गए। उस मण्डी के बारे में गत सत्र में भी मैंने काफी विस्तृत रूप से जवाब दिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उसी मण्डी के बारे में कहता हूं कि जब आप सेन्क्शन नहीं देते हैं तो लोग अपने तरीके से मण्डी बनाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मण्डी की सेन्क्शन देने का प्रश्न नहीं है। कहां हो और कहां न हो यह सब योजनाबद्ध तरीके से विचार किया जाकर निर्णय किया जाता है। 'ए' से लेकर 'डं.' क्लास तक जिस किस्म की भी रखी जाती है तो उसका पहले प्लान किया जाता है। कोलोनाइजेशन विभाग ने प्लान के अनुसार कई मण्डियां बनाई हैं। ग्राम पंचायतो ने दुकानों के लिए तलिये बेचे, अवैधानिकता की है तो इस विभाग को उसकी जानकारी नहीं है उसकी वैधानिकता और अवैधानिकता के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह !

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि गोलूवाला ग्राम में, वहां पर मंडी अवैधानिक तरीके से बनायी गई है, लाखों रुपये सरपंच ने इकट्ठे कर

(श्री मनफूलसिंह)

लिये हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है। पीलीबंगा में मंडी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ए, बी, सी, क्लास सरकार ने मंजूर की है वे मंडियां उभर नहीं रही हैं। हनुमानगढ़ में कमर कमर तक पानी इकट्ठा हो जाता है लोगों को एस. डी. एम. की कोर्ट में जाने के लिए कमर कमर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सरकार की ढिलाइयों के कारण से लोग मंडियां बना रहे हैं। जिन मंडियों को स्वीकार किया है उनको तो आप उभारते नहीं हैं रियायत के जमाने से रिडमलसर की स्वीकृत मंडी है उसको उभारा तक नहीं। पंचायत ने इनीशियेटिव लिया और गोलूवाला में लोगों ने दुकानें बनायीं, पंचायत ने प्लाट्स काटे। आखिर किसान अनाज कहां ले जाये ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप मेरे प्रश्न को कन्फ्युजन में डाल रहे हैं। प्रश्न यह है कि भाखरा की ए, बी, सी, आदि क्लासेज की मंडी अलग अलग नियुक्त कर दी गई है। उसके बावजूद भी गोलूवाला की मंडी को बनाया गया। वे जो कह रहे है वह प्रश्न दूसरा है और वह गंग केनाल का है। उसमें दूसरी मंडी बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। भाखरा में बहुत सी मंडियां बनी हुई हैं। पांच मील पर पीलीबंगा की मंडी है उसको फेल करने के लिए यह किया गया। पैसा इकट्ठा करने के लिए यह किया है, पैसा पंचायत के सरपंच ने इकट्ठा कर लिया, पंचायत समिति ने हिसाब नहीं दिया। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया रूल्स के अन्तर्गत जो प्लान कोलोनाइजेशन विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने स्वीकार किया है उसके अन्दर किसी प्रकार की मंडी होने का प्रावधान नहीं रखा गया है। जिन्होंने प्लान में न होते हुए भी इस प्रकार से मंडी का निर्माण कर लिया है तो उसके संबन्ध में मैं सबसे पहले इंक्वायरी करा लूं उसके बाद क्या कार्यवाही की जा सकती है बाद में विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।
सदनकी मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामकिशन (वैर) : २२१ वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसका जवाब दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : शेष प्रश्नों के जवाब सदन की मेज पर रख दिये जावेंगे।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : २२१ का जवाब दिलाया जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनाना अस्पताल, कोटा की इमारत

२०७. **श्री कृष्णकुमार गोयल, (कोटा)** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(१) क्या यह सत्य है कि जनाना अस्पताल, कोटा की इमारत भूतपूर्व स्टेट के समय की है ?

(२) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने आज तक इस इमारत में कोई तामीर नई नहीं करवाई है ?

(३) उक्त अस्पताल में कुल कितने काटेज वार्ड हैं व कब से ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, सन् १९५८ में पी. डब्ल्यू. डी. कोटा द्वारा इस इमारत में बराम्डा एवं खिड़कियों का रद्दोबदल करवाया गया।

(३) जनाना अस्पताल कोटा में ६ कॉटेज वार्ड हैं। ये कोटा स्टेट टाइम से ही निर्मित हैं।

कमल एण्ड कं० को ट्रैक्टर्स खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि

२५८. श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंह नगर) : क्या मन्त्री राजस्थान कैनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कमल एण्ड कम्पनी को कुछ राशि, १९६४ में अग्रिम राशि के रूप में केरेज (सामान ढोने) के लिये, ट्रैक्टर्स खरीदने के लिये आर. सी. पी. द्वारा दी गई ?

(२) यदि हां, तो कौनसी तारीख कों कितनी राशि कितने ट्रेक्टर खरीदने के लिये दी गई ? राशि दिये जाने की शर्तें क्या थीं ?

(३) क्या कमल एण्ड कम्पनी ने उपरोक्त राशि से शर्तों के अनुसार निश्चित समय में ट्रैक्टर्स खरीद लिये ? यदि नहीं, तो क्या काम रहित शर्तों के अनुसार रकम राज्य कोष में वापिस जमा करवाई गई—या कमल एण्ड कम्पनी के बिलों में से काटी गई ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि कमल एण्ड कम्पनी को डीजल व पैट्रोल आर. सी. पी. की ओर से उधार दिया जाता है—एवम् आर. सी. पी. की वर्क शॉप में उसके ट्रैक्टर इत्यादि की रिपेअर्स भी उधार की जाती है ? यदि हां, तो इस रियायत का क्या कारण है ?

उत्तर

१ व २ जी हां। कमल एण्ड कम्पनी (जयपुर) प्रा० लि० देहली को २,७०,००० रुपये (दो लाख सत्तर हजार रुपये) अग्रिम राशि के रूप में दिनांक १-५-६३ को १६ ट्रैक्टर्स व ट्रेलर्स खरीदने के लिये दी गई।

उपरोक्त रकम ट्रैक्टर्स व ट्रेलर्स की कीमत का ७५ प्रतिशत व ९० प्रतिशत ठेकेदार के फर्म आर्डर दे देने पर और बकाया रकम १० प्रतिशत मशीनों के साइट पर आने पर दिये जाने की निम्नांकित शर्तें थीं:-

(१) यह विभाग उपरोक्त व्हीकल्स के प्राप्त करने व उसके परिणाम का जुम्मेवार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
नहीं होगा, परन्तु राजस्थान नहर बोर्ड, मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट, भारत सरकार को प्रोजेक्ट के कार्य के लिये व्हीकल्स रिलीज करने के लिये सिफारिश करेगी।

(२) अग्रिम राशि पर ब्याज की दर जिस दिन अग्रिम राशि दी जावेगी उस दिन की राजस्थान फाईनेन्स कार्पोरेशन की दर अर्थात् साढ़े सात प्रतिशत होगी।

(३) अग्रिम राशि ट्रकों के खरीदने का फर्म आर्डर देने पर चुकाई जावेगी।

(४) यह व्हीकल्स खरीद लेने पर सरकार को रहन करनी होगी व नियमों के अनुसार बीमा भी कराना होगा, व बीमा की पॉलिसी सरकार के रहन करनी होगी।

(५) ठेकेदार को अग्रिम राशि चुकाने के लिये एक एग्रीमेन्ट जैसा कि चम्बल प्रोजेक्ट मे लागू है, भरना पड़ेगा।

(६) अग्रिम राशि की वसूली ठेकेदार से प्रत्येक बिल की राशि का ५० प्रतिशत की दर से कटौती के रूप में की जायेगी और तमाम रकम जून, १९६४ के अन्त तक चुकाई जाना पड़ेगी।

३. जी नहीं, कमल एण्ड कम्पनी ने १६ ट्रैक्टर्स एण्ड ट्रेलर्स के युनिट में से सिर्फ ८ युनिट २,१०,००० रुपये के मूल्य के खरीद कर राजस्थान नहर पर सामान ढोने के काम पर लगाये। अग्रिम राशि का बकाया रकम जो ट्रैक्टरों को खरीद करने में खर्च नहीं की गई है, शर्तों के अनुसार जो १,१२,५०० रु० होती है मय ब्याज के जमा कराने के लिये रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया गया है, और जो अग्रिम राशि आठ युनिट खरीदने में ठेकेदार द्वारा खर्च की गई है उसकी वसूली ठेकेदार के बिलों की रकम के ५० प्रतिशत की दर से की जा रही है।

(४) जी हां, प्रारम्भ में जब कमल एन्ड कम्पनी ने सूरतगढ़ में काम शुरू किया था तब सूरतगढ़ में डीजल एवं पेट्रोल की कुछ दिनों के लिए कमी हो गई थी, इसलिए काम को चालू रखने के लिए कमल एण्ड कम्पनी को डीजल, पेट्रोल, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के स्टोर से दिया गया जिसकी कीमत कम्पनी के बिलों में से वसूल करली गई। क्योंकि ट्रैक्टर्स राजस्थान सरकार के पास गिरवी रखे हुए हैं और सूरतगढ़ शहर में वर्कशाप की सहूलियत न होने के कारण सरकारी वर्कशाप में रिपेयर्स करवाने के सिवाय और कोई साधन नही था।

जिला सवाई माधोपुर में शक्कर का वितरण

२०९. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

: क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में जो शक्कर दी जाती है वह आबादी को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

Page No. 32

चबूतरे के निर्माण को स्वीकृति

२१०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) सांगानेरी गेट, जयपुर के पास नवम्बर, १९६३ में जो एक चबूतरा बनाया गया है क्या वह जयपुर नगर परिषद् द्वारा बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्या यह चबूतरा जयपुर नगर परिषद् की स्वीकृति लेकर बनाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि नगर परिषद् की सीमा के अन्दर इस प्रकार की तामीर करने से पूर्व इजाजत लेना जरूरी है ? यदि हां, तो फिर बिना इजाजत की गई इस तामीर की बाबत क्या कार्यवाही सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ की गई और तत्कालीन नगर परिषद् अधिकारियो ने इस तामीर को करने से क्यों नहीं रोका ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । यह निर्माण कार्य सरकार (पी० डब्ल्यू० डी०) द्वारा करवाया गया था अतः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी । ऐसी दशा में तामीर को रोकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

किसानों के हल्के आबादी के मामले--ग्राम शीसवी, तहसील गिरवा

२१२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि गांव शीसवी तहसील गिरवा में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास मकान बनाने के २० वर्षों के पुराने पट्टे हैं, जैसे नारायण जी पिता मेरा, भमरलाल रामा, दमरलाल, धना, पिता रामा लवाक, वरदीचन्द व गेहीलाल जी पिता भेरजी महाजन आदि लेकिन उनकी भूमि आज भी हल्के आबादी घोषित नहीं की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि आये दिन पटवारी आते हैं और किसानों से पैसे खाते हैं और चले जाते हैं और कार्यवाही पेन्डिग रखी हुई है और हासिल माफ करके हल्का आबादी नहीं करते हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(३) इस गांव के कितने किसानों के हल्का आबादी के केस पेन्डिग है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी हां । ग्राम शीसवी तहसील गिरवा में नारायण को छोड़कर बाकी किसानों के पास जागीरदार के पुराने पट्टे मकान बनाने के हैं, जिनके सम्बन्ध में तहसील में कार्यवाही जारी है ।

(२) राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

(३) जिन किसानों के मामलों में कार्य-

(श्री जोधसिंह चौहान)

वाही जारी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट देखिये]

क्रय-विक्रय सरकारी समिति, भीलवाड़ा को गुड़ आयात करने का परमिट

२२१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति को राज्य सरकार ने १००० मन गुड़ आयात करने व बेचने का परमिट दिया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति उक्त गुड़ को छुड़ाने की नहीं थी ?

(३) क्या उक्त सहकारी समिति ने उक्त गुड़ को किसी प्राइवेट फर्म के रहन रखा ? यदि हां, तो किसके ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने उक्त गुड़ को समिति के कुछ सदस्यों को सांठ-गांठ से विजयनगर की किसी फम को बेचकर स्टेशन से हां ट्रक मे लोड कराया ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को साथ लेकर उक्त गुड़ को रोका ? क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी ५०० मन गुड़ विजयनगर भेज दिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति के सदस्य डायरेक्टर श्री मनोहरसिंह मेहता ने इस घोटाले की एफ० आई० आर० कलेक्टर को पेश की ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट इत्तिला अव्वल में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(७) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने उक्त फर्म से सांठ-गांठ करके उक्त गुड़ के गांवों की जिन सहकारी समितियों के नाम बेचान दिखाया है, वे सहकारी समितियां इस प्रकार के बेचान से इन्कार करती हैं ?

(८) क्या यह सही है कि ५०० मन गुड़ विजयनगर भेजे जाने के पूर्व कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी ने ५०० मन गुड़ विजयनगर भेजने के कोई आदेश नही दिये थे ?

उत्तर

(१) राजस्थान क्रय-विक्रय संघ लि० जयपुर ने भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति को गुड़ आयात करने व बेचने को अधिकृत किया।

(२) समिति की स्थिति साधारणतया अच्छी थी किन्तु एक साथ १ लाख का गुड़ आ जाने से समिति को बैंक अथवा अन्य के मार्फत रकम की व्यवस्था करने में कुछ समय लगा।

(३ जी हां, समिति ने उक्त गुड़ को श्री राम एण्ड सन्स भीलवाड़ा के यहां रहन रखा।

(४) समिति का गुड़ विजयनगर भेजा जाना प्रकट ही नहीं होता।

(नागरिक रसद मन्त्री)

(५) जी नहीं।

(६) ऐसी कोई रिपोर्ट कलेक्टर के यहां पेश नहीं हुई अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(७) जिन सहकारी समितियों को क्रय-विक्रय समिति भीलवाड़ा ने गुड़ बेचा उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(८) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेरी फार्म्स

४५. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में कितने डेयरी फार्म्स हैं ?

(२) डेयरी फार्मों के लिए सरकार से कितनी धनराशि दी हुई है ?

(३ क्या सरकार ने इन फार्म्स की कभी जांच कराई है ? यदि हां, तो कितने फार्म्स की और उनकी क्या रिपोर्ट है ?

(४) क्या जांच के परिणाम स्वरूप सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) राज्य में कोई डेयरी फार्म नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम असनावर के नागरिकों की जायदाद का मूल्यांकन तथा उनको मुआवजा

४६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) जिला झालावाड़ के ग्राम असनावर को हटाये जाने का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सही है कि असनावर के नागरिकों की जायदाद का मूल्यांकन कर लिया गया है और मूल्यांकन के बाद में की गई मकानों की मरम्मत या नई तामीर पर सरकार ने सहायता प्रदान करने की मनाही कर दी है जिससे लोगों को असुविधा अनुभव हो रही है ?

३) असनावर को नये स्थान पर बसाये जाने का फैसला कब तक कर लिया

Page No. 35

(श्री जुझारसिंह)

जावेगा और लोगों को कब तक उनकी जायदाद का मुआवजा मिलना शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) सन् १९५८ से।

(२) मूल्यांकन अवश्य कर लिया गया है परन्तु सहायता के लिए योजना का एस्टीमेट बनाने व मकानों इत्यादि की मरम्मत हेतु सहायता देने का कार्य सरकार नहीं कर सकती।

(३) योजना की अन्तिम स्वीकृति होने पर ही यह फैसला भी होगा। योजना सरकार के विचाराधीन है।

ईमारती पत्थरों की खानें—जिला चित्तौड़गढ़

४७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में काफी मात्रा में इमारती पत्थरों की खाने हैं और उनका माल दूसरे प्रान्तों को जाता है ? अगर हां, तो कुल कितनी खानें हैं और उनसे वार्षिक उत्पादन कितना और अन्य प्रान्तों मे कितना माल जाता है ?

(२) इस धन्धे से कितने परिवार गुजर बसर करते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अब तक राज्य सरकार द्वारा इस धंधे में केवल पूंजीपतियों को ही प्रोत्साहन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिकों को इस धंधे में प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। खानों की संख्या करीबन १७०० है व इनके वार्षिक उत्पादन इमारती पत्थर का करीब ४ लाख टन है, इसमें से अन्य प्रान्तों को करीबन १ लाख टन बाहर जाता है।

(२) करीबन ३,००० परिवार इन खदानों से गुजर करते हैं।

(३) जी नहीं। प्रश्न नही उठता।

पार्क का निर्माण—निवाई

४८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगरपालिका निवाई द्वारा मायला बाग निवाई में पार्क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां; तो उसका कार्य कौनसी तारीख को शुरू किया गया था ?

(२) उस पार्क पर अब तक कितने रुपये खर्च हो चुके हैं और उस पार्क की क्या दशा है ?

(३) उस पार्क में जनता के उपयोग में

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आने वाली क्या क्या चीजें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी हां । निर्माण कार्य दिनांक २६-७--५८ को शुरू किया गया था ।

(२) इस पार्क पर रु० ४,०००.३७ न. पै० खर्च हुये थे । इस पार्क की दशा सन्तोष-प्रद नहीं है ।

(३) इस पार्क में जनता के उपयोग में आने वाली कोई वस्तु नहीं है ।

पाली जिले में अकाल सहायता कार्य

४६. श्री मोहन राज(बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अकाल सहायता के विभिन्न कार्य क्रमों में पाली जिले में ६३-६४ व ६४-६५ में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) उक्त रकम में से कितनी धनराशि बाली व देसूरी तहसीलों के ग्रामों में खर्च की गई हैं ? ग्राम व प्रत्येक कार्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) सन १६६३-६४ में ६, ५६, ३८४) रु. १३ न. पैसे तथा सन् १६६४ में २८,८९, ६६६)रु० खर्च हुए ।

(२) बाली तहसील के लिए ६३-६४ व ६४-६५ में ५७, ४४३) रु० तथा देसूरी तहसील में सन् ६३-६४ व ६४--६५ में ७७, ७१४) रु० १६ पैसे खर्च किये गये है ।

विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

काश्तकारों को जमीन का अलॉटमेंट, तहसील पिड़ावा

५०. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ६२-६३ व ६३-६४ में तहसील पिडावा में कितने काश्तकारों को जमीन एलॉट हुई ? उनमें से कितने काश्तकारो को पट्टे दे दिये गये हैं और कितने को नही ?

(२) पट्टे इतनी देरी से दिये जाने और अब तक नही दिये जाने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि जमीन एलॉट होते ही उन काश्तकारों ने जमीन काश्त भी कर ली ?

उत्तर

(१) सन् १६६२-६३ में २२३ काश्तकारों को तथा सन् १६६३-६४ में ४६ काश्तकारों को जमीन अलॉट हुई है। सन् ६२-६३ के

Page No. 37

(श्री राजस्व मन्त्री)

२२३ काश्तकारों में से ६२ काश्तकारों व सन् ६३-६४ के ४६ काश्तकारों में से ३० को पट्टे दिये जा चुके हैं। सन् ६२-६३ के १३१ व सन् ६३-६४ के १६ काश्तकारों को पट्टे देने बाकी हैं।

(२) सन् ६२-६३ के निर्विवाद मामलों में पट्टे समय पर ही दिये गये हैं बाकी १३१ काश्तकारान के पट्टे लैन्ड अलॉटमेंट एडवाईजरी कमेटी द्वारा विवादास्पद व नाकाबिल काश्त भूमियों का अलॉटमेन्ट कर दिया जाने के कारण जारी नहीं किये गये हैं इनके मामले अभी विचाराधीन हैं।

सन् ६३-६४ के १६ काश्तकारों की फीस जमा न होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं पट्टा फीस वसूल किये जाने की कार्यवाही जारी है।

(३) यह सर्वथा सही है कि निर्विवाद मामलों में काश्तकारान ने भूमि अलॉट होते ही काश्त कर ली है जिन ग्रामों में ग्रामवासियों व अलॉटीज के बीच विवाद है वहां भूमि काश्त नही हो सकी है जिनके मामलों पर कार्यवाही जारी है।

(९.०३ म० पू०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ६(६) राजस्व। बी। ६४, दिनांक २-४-६४ जिसके द्वारा राजस्थान टेनेन्सी (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड (गवर्नमेंट) रूल्स १९६२ के नियम ६ में संशोधन किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) यह आपने बजट सेशन में क्यों नहीं रखी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बजट सेशन में सीलिंग के रूल्स रख दिये थे। डिफेन्स सर्विसेज के बारे में अमेन्डमेन्ट किया गया वह बाद में किया है इसलिये अब रख रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह मालूम होना चाहिए, यह अधिसूचना के बाद बजट सेशन स्थगित हुआ था। इसकी शायद आपको जानकारी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जानकारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर आपने उस समय क्यों नहीं रखी ? बजट सेशन ११ अप्रेल को खत्म हुआ था और यह अधिसूचना २-४-६४ की है उस रोज बजट सेशन चालू था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २-४-६४ को मैं समझता हूं was not here.

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

अध्यक्ष महोदय, (२) अधिसूचना एफ ६, (४८) राजस्व (बी) ६४ दिनांक २१-५-१९६४ जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (लैन्ड रेकार्ड्स) नियम, १९५७ में संशोधन किये गये है।

(३) अधिसूचना संख्या बी० आर० । एफ ४५ (विविध) आर० ए० ६४।३०४६५, दिनांक २६-७-१९६४ जिसके द्वारा राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

(४) अधिसूचना संख्या एफ ११ (२९) राजस्व (बी०) ९० दिनांक ३०-७-१९६४ जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एन्ड एक्विजिशन ऑफ लैन्ड ओनर्स एस्टेट्स रूल्स, १९६४ प्रकाशित किये गये हैं।

(९.०४ म० पू०)

डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ का पुरःस्थापन

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन), विधेयक १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(९.०५ म० पू०)

राज्य की खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : खाद्य स्थिति पर चर्चा। श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति पर बोलते हुए कल मैंने अपने विचार व्यक्त किये। आज मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए दो तीन मुख्य मुद्दों के बारे में आपके जरिये मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा।

पहला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राजस्थान भारतवर्ष में एक ही ऐसा प्रान्त है जिसका आधे से अधिक हिस्सा रेगिस्तानी है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमारी राज्य सरकार हमारी जो दिक्कते है, हमारे यहां की वस्तुस्थिति है, खाद्य स्थिति है उसको सैन्टर के सामने रखने में असमर्थ रही है यह मेरी निश्चित धारणा है। सैन्टर गुजरात को रियायतें दे सकता है, बम्बई को रियायतें दे सकता है, महाराष्ट्र को दे सकता है लेकिन राजस्थान को नहीं दे सकता, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां के खाद्य मन्त्री अयोग्य हैं। वे राजस्थान की सही स्थिति सैन्टर के सामने नहीं रख सकते। साथ ही साथ हमारे मुख्य मन्त्री जब मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में जाते हैं तो वे राजस्थान का केस

Page No. 39

(श्री मानसिंह महार)

इस प्रकार से प्लीड नहीं कर सकते जिस प्रकार से उनको करना चाहिये। मुख्य मन्त्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि जो हमारे प्रान्त के अहम् मसले हैं उनके बारे में कांग्रेस में होते हुए बहुत ही कम मेजोरिटी के लीडर होते हुए, शायद उनके सामने दबते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा वे अपने मन्त्री पद के लोभ को छोड़ कर इस्तीफा दें। सुखाड़िया जी को इस्तीफा दे देना चाहिये और दूसरे ऐसे व्यक्तियों को मौका दें जो सेन्टर के सामने जाकर उनको दबाकर कह सकें, फूड के बारे में कह सकें और हमारी जो मांगें हैं उनके बारे में कह सकें। जब तक वर्तमान मन्त्रि-मंडल में नाथूरामजी फूड मिनिस्टर हैं कभी भी खाद्य पदार्थों की समस्या हल नहीं होगी।

दूसरा मुद्दा जिसके बारे में मैं बहुत थोड़े में ही कहूंगा राजस्थान सरकार ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ के लिये जो विशेष रियायतें दी हैं जिन रियायतों की वजह से कम से कम गुड़ का जो घोटाला हुआ उसमें इस क्रय विक्रय संघ ने ७० लाख रुपया कमाया है यह निश्चित बात है मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फैक्ट्स दीजिये, खाली कहने से कुछ नहीं होता।

श्री मानसिंह महार : यही तो बता रहा हूं। मैं इस बारे में एक अधिसूचना इस सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं। आप डरिये मत जैसे कल हमारे मुख्य मन्त्री बड़े ताव में आकर कह रहे थे अगर आकड़े रखे जायं तो मैं यह करूंगा वह करूंगा, मैंने नाथद्वारा की जांच करवाई है वह जांच किस तरह से करवाई वह हम जानते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह चेप्टर तो क्लोज हो गया।

श्री मानसिंह महार : चमकिये मत अब यह चेप्टर नहीं आयेगा। मैं एक नये चेप्टर का जिक्र कर रहा हूं। आप राजस्थान क्रय विक्रय संघ पर जांच कमीशन बिठाइये। इसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को चेलेन्ज देता हूं, हम उस घोटाले को पूव करेंगे। आप अगर नन्दाजी की भावनाओं को जिन्दा रखना चाहते हैं तो क्रय विक्रय सघ के लिये जांच कमीशन बिठाइये। आप देखिये, सरकार किस प्रकार का गलत काम करती है क्रय विक्रय संघ गुड़ ला रहा था उत्तर प्रदेश से उसके लिये जयपुर के कलेक्टर को अधिकार था कि वह भाव निर्धारित करे। जयपुर जिले के लिये कलेक्टर को भाव निर्धारित करने का अधिकार था। लेकिन लाभ तो क्रय विक्रय संघ को पहुंचाना था इसलिये इस सरकार ने एक आज्ञा रेवेन्यू सैक्रेटरी के नाम से जारी की। उसमें यह लिखा। वह आज्ञा है १४ मार्च, १९६४ की उसमें यह कहा गया है कि अब से कलेक्टर को भाव निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहेगा। गुड़ के भाव निर्धारित करने के सब अधिकार क्रय विक्रय संघ को दे दिये कि वह अपने भाव तय करेगा। क्रय

(श्री मानसिंह महार)

विक्रय संघ ने लपटी और और लपटी से बद-तर गुड़ खरीदा वह भी १४) और १५) रुपये मन के भाव से जिसका रिकार्ड मौजूद है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहां पर है ?

श्री मानसिंह महार : हमारे पास है। जांच कमीशन मुकर्रर करें उसके सामने हम वह रेकार्ड रखेंगे। को-ऑपरेटिव मिनिस्टर साहब यदि कुछ अमेरिका से सीखकर आये हैं तो हम उनके सामने भी रखने को तैयार हैं। जो अधिसूचना जारी की उसका नंबर F. 12/4/964 Food sec. Government of Rajasthan, dated 14 he March, 1964.

क्रय विक्रय संघ को मालिक बना दिया गया वह चाहे जिस प्रकार का भाव निर्धारित करे। इस क्रय विक्रय संघ ने १४ मार्च से पहले जयपुर कलेक्टर को बिना पूछे जयपुर में भाव निर्धारित कर दिये थे। चेलेन्ज के साथ कहता हूं को-ऑपरेटिव मिनिस्टर ने मनमाने ढंग से निश्चित कर दिये। जब सरकार को मालूम हुआ उसने वह भी रेगुलेराइज कर दिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : को-ऑपरेटिव मिनिस्टर ने कोई भाव निश्चय नहीं किये।

श्री मानसिंह महार : मुझे आपकी अक्ल पर तरस आता है। आप बुद्धिमान हैं वकील हैं इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कह सकता....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो आंकड़े हैं वही बता दें।

श्री मानसिंह महार : आकड़े ही बता रहा हूं। जयपुर के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि जयपुर सिटी को गुड़ नहीं दिया जायगा। इस प्रकार की एक अधिसूचना जारी की। अरबन एरिया मे गुड नहीं दिया जावेगा। गांवों में दिया जावेगा। इसके बावजूद ६० पर्सेन्ट गुड़ ब्लैक मार्केट में जाकर के लोगों को दिया गया। गाँवों में जिस रेट से दिया जाता था उससे सवाई रेट पर यहां का यहां। और जिनको गांव वाले, कोऑपरेटिव वाले या प्राइवेट डीलर गुड़ लेने आते उनको रसकट गुड़ अच्छे गुड़ के नाम से अच्छे गुड़ के भाव पर, जैसे दान में दिया जाता हो, दिया जाता था और जो अच्छा क्वालिटी का गुड़ और खांड थी उसे दस रुपया और पन्द्रह रुपया फी बोरी लेकर रात के नौ बजे से एक बजे तक दिया जाता था। यह हालत क्रय विक्रय संघ की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रसकट लोग लेते क्यों थे ?

श्री मानसिंह महार : ऐसे भ्रष्ट क्रय विक्रय संघ के लिए निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यही नहीं, सरकार की एक उप-मन्त्राणी की प्रेरणा पर सहकारी समिति बैठक में प्रस्ताव एक पेश हुआ कि होलसेल गेहूं का कोटा भी क्रय विक्रय संघ को दिया जावे। हालांकि वह पास नहीं हुआ। अब रुक गया वह। फूड एडवाइजरी कमेटी में भी ऐतराज होने पर। तहसीलदार ने भी इसकी

Page No. 41

(श्री मानसिंह महार)

ताईद की। यह सरकार तो यह करने जा रही है आज राजस्थान के जनजीवन को क्रय विक्रय संघ के हाथों में वेचना चाहती है। यह शर्म की बात है। सुखाड़िया जी और कुम्भाराम जी में गठबन्धन होता है। सुखाड़िया जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुम्भाराम जी को प्रोत्साहन देते हैं तो इसमें हमें ऐतराज नहीं। पर जनता का गला काटकर कोई रियायत सुखाड़िया जी उनको देना चाहते हैं तो यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है और मुख्य मन्त्री जी कल बातें कर रहे थे उनकी ओर कुछ इशारा नहीं करते हुए मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे सदन में खड़े होकर यह कह दें कि जो चार्ज उन पर लगाये जाते हैं वे झूठ हैं, गलत हैं। हम इसके लिये उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। नाथूराम जी यह कहें तो उनकी नहीं मानूंगा क्योंकि वह तो hand in gloves हैं। He is a partner in that job. उनका तो हिस्सा इस धन्धे में है। He is partner। हां, अगर मुख्य मन्त्री जी कह दें ईमानदारी से कि इस संघ में घोटाले नही हुये तो मै सदन से क्षमा मांग लूंगा।

अब गेंहूं के लिये जो लोगों का गला काटा जाता है उसकी बात कहता हूं। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में झोटवाड़ा में एक फ्लोर मिल है। उसको ढाई सौ बोरी गेहूं की रोज दी जाती हैं इम्पोर्टेड व्हीट की।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इम्पोर्टेड व्हीट की ?

श्री मानसिंह महार : जो अमेरिकन सरकार गरीबों के पेट के पोषण के लिए अपना गेहूं सरकार को देती है, राजस्थान की गरीब जनता का पेट भरने के लिये देती है उसमें से यह सरकार और इस सरकार के खाद्य मन्त्री श्री नाथूराम जी मिर्धा ढाई सौ बोरी इस फ्लोर मिल को रोज देते हैं और वह आटा बन कर राजस्थान से बाहर भेजा जाता है, अध्यक्ष महोदय। और वह, अध्यक्ष महोदय, आप सच मानें एक एक बोरी पर दस दस और बीस बीस रुपया मुनाफा कमाता है। ढाई हजार तीन हजार रोज का मुनाफा कमाता है और मेरी तो इसमें यहां तक इन्फार्मेशन है कि इसमें मन्त्रियों की पार्टनरशिप है। आप लोगों की पार्टनरशिप है इस फ्लोर मिल में। उसके मुनाफे में पार्टनरशिप है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो ढाई सौ बोरी रोज गेंहूं दिया जाता है उसे फौरन बन्द करना चाहिए क्योंकि अमेरिकन सरकार यह गेहूं गरीबों का पेट भरने के लिये देती है न कि इन ब्लैक मार्केटियर्स और मिनिस्टरों का पेट भरने के लिये, न कि इन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिये देती है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय सदस्य ने एक बात कही कि जो यहां एक फ्लोर मिल चलती है उसमें मन्त्रियों की पार्टनरशिप है। हम यहां १८ मन्त्री और उप मन्त्री बैठे हैं। इसलिए माननीय सदस्य की यह बड़ी मेहरबानी होगी कि वे यह बता दें कि हममें से किसकी पार्टनरशिप है उसमें और वह किस हद तक है तो हमें उसका जवाब देने में सहूलियत हो। क्यों-

(श्री रघुराराम-माथुर)

कि आप सरसरी तौर पर कह जाते है ।

श्री मानसिंह महार : अभी लीजिये । मैं क्लेरिफिकेशन देता हूं । २५० बोरी गेहूं उसे अमेरिकन व्हीट की प्रति दिन मिलती है जो १०) मुनाफे पर फी बोरी के हिसाब से बिकता है कम से कम । इस तरह से ढाई हजार रुपया कम से कम प्रति दिन के मुनाफे का मिल मालिक कमाता है । और इस तरह से ७५ हजार माहवारी मुनाफा मिल को होता है । उसमें से २५ हजार रुपया की पाति यहां के फूड मिनिस्टर को मिलती है । लीजिये । सुनिये । आप सुनना चाहते हैं तो । मैं यह आरोप लगाता हूं पूरे पूरे तथ्यों के आधार पर । इस पर भी अगर आपकी हिम्मत हो तो दास कमीशन जैसा कोई कमीशन-ज्युडिशियल कमीशन-बिठाइये, और मैं साबित करूंगा ।

(शेम शेम की आवाज)

आप बिठाइये ऐसा कमीशन, अगर आपकी हिम्मत हो तो । आप क्रय विक्रय संघ पर बिठाइये । इन भ्रष्ट मन्त्रियों पर बिठाइये । मैं साबित करूंगा । यों कहने से कुछ नहीं होगा । दास कमीशन सरीखा आयोग बिठाइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : इस प्रकार की बेबुनियादी बात कहने से कि ७५ हजार माहवार कमाता है और २५ हजार फूड मिनिस्टर को जाता है मैं समझता हूं कि यही हमारा धरातल रहा और आपकी यही आदत रही कहने की तो मैं क्या कहूं मैंने उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी । I don't know still who is that gentleman.

श्री मानसिंह महार : ढाई सौ बोरी अमेरिकन गेहूं की उसे फिर आप काहे को देते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम नहीं देते । उसे डाइरेक्ट भारत सरकार से मिलती है । अब जरूर स्टेट गवर्नमेन्ट को उस पर कन्ट्रोल के अधिकार मिले हैं । अब जो व्हीट उसमें जावेगा और उसका जो फ्लोर बनेगा वह सारा राजस्थान सरकार के हुक्म से निकलेगा और उसी के हुक्म से उसी के द्वारा निर्धारित रेट पर बिकेगा । आज एक एक बोरी कन्ट्रोल रेट पर निकलती है । जब से १५-२० रोज से यह अधिकार हमारे पास आया तब से । अब यह सारा का सारा आटा हमारे फूड कमिश्नर के हुक्म से निकलता है । १) फी बोरी पिसाई उसको मिलती है और उसे अलग अलग इलाके में कन्ट्रोल रेट पर बिकने के लिए हम भेजते हैं । जब से हमारे हाथ में अधिकार आया है तब से बराबर हमने ठीक व्यवस्था की है । एक पैसे का ब्लैक मार्केट नहीं करने दिया जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पहले तो करने देते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कर रहा था । तो इससे बिल्कुल राजस्थान से सम्बन्ध नहीं था । सीधा उसका सम्बन्ध भारत सरकार से था । तो इन तथ्यों के रहते हुए इस तरह की बेबुनियाद बातें अगर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वे कहते हैं तो इसके आगे और कुछ कहना नहीं चाहता मैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार बोल रहे हैं ....

श्री मानसिंह महार : बड़े दुख का विषय है कि यह कहा जावे कि सेन्टर से ढ़ाई सौ बोरी मिलती थी। इसको। हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं था।

मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह बात हमने जयपुर जिला की फूड एडवाइजरी कमेटी में उठाई। हमको मलूम है कि क्लक्टर ने यह कहा था कि क्या करें साहब, हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें। मैं पूछता हूं क्यों मजबूर हैं ? आप यह कह कर नहीं टाल सकते कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अगर मानसिंह महार जैसा आदमी यह फ्लोर मिल चलाता होता तो आप फौरन ऐतराज उठाते और उसे ठीक कर ने में एड़ी-चोटी का पसीना एक कर देते। तो आप इस मामले में उस मिल मालिक से दब क्यों गये थे जब कि आपको यह पता था कि यह क्या कर रहा है और क्या मुनाफा कमा रहा है ? आपको यह भी मालूम था कि फूड सिचुएशन खराब है। फिर ये ढ़ाई सौ बोरी जो इसको मिलती थी, वह आपके कोटे में से काट लेते थे। फिर आप यह कैसे कहते हैं कि डाइरेक्ट भारत सरकार से मिलती थीं।

श्री नाथू राम मिर्धा : बिलकुल हमारे कोटे में से नहीं दी जाती थी, बिलकुल अलग थीं ये ढ़ाई सौ बोरी।

श्री मानसिंह महार : अगर ऐसी बात थी तो आप सुब्रह्मण्यम् सा' कह नहीं सकते थे कि यह इस तरह से ब्लैक का पैसा कमाता है। इस पर रोक लगाइये। आपने कोई इस तरह का रिप्रेजेन्टशन दिया ? अगर दिया तो बताइये कौनसे महीने में दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चीफ मिनिस्टरों की अभी कॉन्फ्रेन्स हुई थी तो उसमें यह मामला डिसकस किया गया था। राजस्थान सरकार ने और सभी सरकारों ने सेन्टर से कहा कि ये मिलें जिस रेट पर गेहूं आपसे मिलता है उससे अधिक रेट पर बेच रही हैं तो इसलिये इनका नियन्त्रण स्टेट्स को देना चाहिये। तो उस कान्फ्रेन्स के निर्णय के अनुसार अब इनका नियन्त्रण हमारे हाथ में आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अब भी यह गेहूं इनको सीधा सेन्टर से मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। स्टेट के कोटे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट का इस पर क्या कन्ट्रोल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना आटा इन फ्लोर मिल्स से निकलेगा उस पर सारे पर स्टेट गवर्नमेन्ट का नियन्त्रण होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी रिकमण्डेशन पर इनको कोटा मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) पर इनको बाहर भेजने के लिये कलक्टर से नो ग्रोब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिये था जो आज दिन तक इसने कभी नहीं लिया । इस के पीछे क्या राज है ? सरकार ने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा ?

श्री मानसिंह महार : तो मेरा निवेदन यह है कि आपने जो देनी चाहे वह कोई महत्वपूर्ण बात सफाई नहीं है । कलेक्टर का नो ग्रॉब्जेक्शन सर्टिफिकेट नही लिया, कुछ किया आपने ? कुछ नहीं किया । कलेक्टर मजबूर और यहां से आटे में से मैदा निकाल कर आटा बाहर गया आपने उसकी कोई कार्यवाही नही की । रोज भरतपुर और करौली होकर आटा बाहर गया और लाखों रुपयों का गया और अपने कुछ नहीं किया । आपक सरकार क्या कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक हमारा नियन्त्रण नहीं था हम कुछ नही कर सकते थे ।

श्री मानसिंह महार : आमाम फ्लोर मिल में इस प्रकार की चीजें हुई हैं आपने कुछ नहीं किया ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो तीन मन्त्रियों के नाम बताये और इसके बाद वह एक मन्त्री पर आ गये और वह भी झूठा हुआ । मेरा कहना है कि माननीय सदस्य सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बोलें तो अच्छा हो ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा झूंठी बात कहने के आदी हैं और फिर साइड-ट्रैक हो जाते हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं साबित करूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर करते क्यों नहीं हैं, झूंठे एलीगेशन्स क्यो लगाते है ?

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं क्रय विक्रय संघ और आमाम फ्लोर मिल्स दोनों काण्ड के ऊपर दास आयोग के जैसे आयोग की स्थापना की जाये और मेरे आरोप झूंठे सिद्ध हों तो मैं माफी मांगू या आप कहें जो करूं ।

मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन जो मैंने कहा है कि उस बात को सरकारी पक्ष मन्जूर कर ले यही शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन सिंह ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोशन ऑफ प्रिवलेज मूव करता हूं । हाउस मे कुछ प्रिवलेजेज सभी सदस्यों को हैं । माननीय मन्त्री महोदय भी सदन के एक सदस्य हैं और उनको भी कुछ प्रिवलेजेज हैं । लेकिन अभी जो आमेर से आने वाले सदस्य हैं उन्होने कुछ झूंठी बातें, बेबुनियादी, बिना फैक्ट्स और फीगर्स के इस

(श्री मोतीराम चौधरी)

तरह से कही हैं कि जो उनका प्रिविलेज नहीं है । इसलिए उन्होंने जिन माननीय सदस्य के प्रिविलेजेज का हनन किया है उसके लिए में प्रविलेज मोशन मूव करना चाहता हूं कि अभी जो बातें कहीं यह बिलकुल बेबुनियाद हैं और यह एलीगेशन्स कभी तो मुख्य मंत्री जी के खिलाफ लगाते हैं और कभी खाद्य मंत्री जी के खिलाफ लगाते हैं अगर इस तरह से माननीय सदस्य बेसलेस बातें करेंगे तो हमारे सभी प्रिविलेजेज का हनन होता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि या तो उनको रोक दिया जाये वर्ना मेरे प्रिविलेज मोशन को एडमिट किया जायेगा

श्री **मानसिंह महार** : मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कोई विशेषाधिकार का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वह लिखित में दें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय विक्रय संघ के द्वारा जो भी कुछ किया गया उस सारे में मेरी पार्टी यही मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए । मेरे खयाल से प्राईमा फेसी एवीडेन्सेस काफ़ी हैं कि यह जो ट्रान्जेक्शन हुआ है, यह जो सौदा हुआ है यह ठीक नहीं हैं और उसमें घपला है । अगर सरकार की नीयत साफ है तो जब हम इन्क्वायरी की मांग करते हैं तो उसमें सरकार को क्या आपति है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : किस बात की इन्क्वायरी ? विरोधी दल के नेता किस ट्रान्जेक्शन का जिक्र कर रहे हैं जिसकी वह इन्क्वायरी की बात कर रहे हैं ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** ; अध्यक्ष महोदय इस आसाम फ्लोर मिल के बारे में एक वर्ष पहले····

श्री **अध्यक्ष** : श्री जगन सिंह ।

श्री **जगनसिंह** (दांता -रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस खाद्य स्थिति के वाद-विवाद के सिलसिले में माननीय विरोधी दल के नेता तथा आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं । मेरा उन विचारों से इत्तिफाक नहीं है । मंहगाई का यह चित्रण आज के देश की स्थिति में जिस तरीके से बनाया जा रहा है वास्तव में यह इतनी मंहगाई है, वास्तव में उत्पादक का इस सिलसिले में क्या विचार है यह देखने का विषय है । वास्तव में समाज के किस अंग पर क्रय शक्ति का इस मंहगाई का असर पड़ता है । राजनैतिक दृष्टिकोण से यदि वे विचार हैं तो ठीक हैं अतिरंजित हैं । दास कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला है, क्रय-विक्रय-संघ का भी है लेकिन इस मंहगाई का एक दूसरा रूप भी है । यह देश खेतीहर देश है और ७५ परसेन्ट इसमें खेती करने वाले बसते हैं । उन लोगों को तो फूड की समस्या का ही विचार होता है कि उनका माल सस्ता किया जायेगा और बाकी के लोगों को सस्ता दिया जायेगा तो वह महसूस करते हैं कि वास्तव में जब तक दूसरी चीजें जो उनकी आवश्यकतायें हैं और जो जीवन में उनके लिए जरूरी हैं वह जब तक सस्ती नहीं कर दी जायें तब तक

(श्री जगनसिंह)

उनके माल को सस्ता बिकवाया जाये जैसे कि यह तमाम देश कन्ज्यूमर ही हो ऐसा नही लगता है। इसलिए उत्पादक को दुख होता है। यदि यह स्थिति है तो ऐसी चीजो को लेकर चलना चाहिए कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वह उनको उचित दामों पर मिलनी चाहिए। यह मानना पड़ेगा कि यह आंकड़े कुछ भी कहें लेकिन क्रय शक्ति समाज की बढी है। यह आंकड़े वास्तविकता से दूर रह कर बनाये गये हैं और केवल मखौल बनाया गया है कि वास्तव में अनाज की कमी है। यदि अनाज की कमी होती तो जगह २ से इस बात की खबर आती कि जैसे बंगाल में लोग भूखों मर गये थे और कलकत्ता में काफी अनाज था और जगह जगह से भूख से मरने के समाचार आते थे लेकिन यहां एक भी समाचार इस तरह का अखबारों में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि समाज की क्रय शक्ति बढ़ी है। काश्तकार इस मंहगाई के पक्ष में अपने उत्पादन का उचित से उचित दाम चाहते हैं और वह काश्तकार आज हमारे प्रान्त मे ७५ प्रतिशत हैं। यह चीज यदि समाज के किसी अंग को प्रभावित करती है तो वह उसको करती है जिसकी एक निश्चित आय है और वह है सर्विस क्लास सर्विस क्लास को यह निश्चित रूप से हिट करती है। यह किया जा सकता है कि इस मंहगाई में सर्विस क्लास को कुछ राहत दी जा सकती है। जीवन में जो उपयोग की चीजें हैं उनके सिलसिले में विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह मंहगाई उन मजदूरों को भी हिट करती है और वह मजदूर जो कि खेतो पर आश्रित नहीं है। लेकिन इन मजदूरों को भी मजदूरी पूरी मिलती है और आज इनकी भी क्रय शक्ति बढी है। लेकिन यह प्रदर्शन हॉल के बाहर और यहां कुछ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस स्थिति से कोई राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। जब यहां काश्तकारों की वकालत की जाती है, और विरोधीदल के नेता की तरफ से और जनसंघ के नेता की तरफ से जब काश्कारों की वकालत की जा सकती है तो काश्तकारों की सही वकालत तब हो सकती है जब कि उनका अनाज उचित से उचित भाव में बिके और जब तक दूसरी जो आवश्यकता की चीजें हैं उनके भाव नही गिरें तब तक उनका माल भी बाजार में उचित कीमत पर बिके और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए, यह हो सकता है कि काश्तकार बेजुबान हैं, यह हो सकता है वह काश्तकार पार्लियामेन्ट में सीधे नही पहुंच पाया है, इनडाइरेक्टली पहुंचा है इसलिए इतना वितण्डावाद होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह तैयारी के साथ एक राजनैतिक फायदा उठाना है ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कितनी रीजनेबल प्राईज समझते हैं ?

श्री जगनसिंह : मैं इस सवाल पर भी आता हूं।

इसलिए मेरा यह कहना है कि जैसे मंहगाई बढ़ी है उसके साथ साथ समाज की क्रय शक्ति भी बढ़ी है सिवाय उस आदमी के जिसको कि निश्चित तनख्वाह मिलती है। उसके अलावा मिडिल मैन है वह मंहगाई में फायदा उठाता है अन-अकाउन्टेड मनी से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से प्राईजेज-अप आई हैं लेकिन यह इतनी नहीं आई हैं।

श्री **मुरलीधर व्यास** : अन-अकाउन्टेड मनी आप किस को मानते हैं ?

श्री **जगन सिंह** : इसलिए मिडिल मैन को रिप्लेस करने की आवश्यकता है और उसके लिए कांग्रेस की तरफ से योजना है स्टेट ट्रेडिंग की और कोऑपरेटिव की। तो इस सिलसिले में विरोध किया जाता है और यहां समर्थन किया जाता है, काश्तकारों के विरुद्ध हड़ताल की जाती है, ट्रेडर्स के खिलाफ हड़ताल की जाती है। ट्रेडर जो कि होर्ड करके व्यापार करना चाहता है यहां उनका विरोध किया जाता है और वैसे उनका समर्थन यह गलत नीति है और यह देश के अहित में होगी।

इसलिए मिडिल मेन को रिप्लेस करने का कोई तरीका, यदि आल्टर्नेटिव रखा जाय तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का हल हो सकता है, और मिडिल मैन पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी निश्चित तौर से, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा आसान तरीका है स्टेट ट्रेडिंग का और कोऑपरेटिव्ज का वह हमको लगाना पड़ेगा।

श्री **मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : 'क्रय-विक्रय संघ' ऐसा ही लगाना पड़ेगा। घोटाला करते हैं और सहकारिता का नाम लेना चाहते हैं।

श्री **जगनसिंह** : यह क्रय-विक्रय संघ व्यापारियों का संगठन होता और चाहे गुड़ का ब्लेकमार्केटिंग करता तो यहां कोई सवाल नहीं उठता। सवाल यहां इसलिए उठता है है कि क्रय-विक्रय संघ के चौधरी कुम्भारामजी अध्यक्ष हैं।

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : इसीलिए तो उसमे एक करोड़ का घोटाला है....

(दोनों सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री **जगनसिंह** : यह वितण्डावाद और राजनैतिक पहलू बना देना गलत है। जो गुड़ आया है वह ३५-३६ हजार टन आया है। इसमें से ३० हजार टन कोऑपरेटिव्ज के जरिये देहातों मे वितरित हुआ है। देहातियों को वितरण में कोई माल होता तो आपको हैरानी क्या है, तकलीफ क्या है ?

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री **जगनसिंह** : यदि उनको तकलीफ होती तो हिचकिचाहट ...

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : अध्यक्ष महोदय, जो माननी यसदस्य....

श्री **जगनसिंह** : इस क्रय-विक्रय-संघ के मामले को लेकर मुख्य मन्त्री और चौधरी कुम्भाराम में मतभेद कराना चाहते हैं ..

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : अध्यक्ष महोदय (अश्रव्य)

Page No. 48

श्री जगनसिंह : उसमें अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। यह कितनी गलत बात है? कुम्भाराम में और मुख्य मन्त्री में मतभेद नहीं हो सकते ..

श्री मोहनलाल सारस्वत : इसलिए क्रय-विक्रय संघ (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री जगनसिंह : कांग्रेस पार्टी उनमें मतभेद का कोई मौका नहीं आने देगी।

श्री मोहनलाल सारस्वत : गुड़ का घोटाला चलने देगी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री जगनसिंह : उनमें मतभेद करना चाहते हैं

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, यह जो सदस्य सदन में चुने हुए बैठे है उनका बड़ा भारी अपमान है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! शान्ति रखिये। जब मर्जी चाहा खड़े हो जाते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तो फिर क्या करें?

श्री अध्यक्ष : क्या करें? आप शान्ति रखिये। हरेक को बोलने का मौका मिल रहा है। थोड़ा सा माननीय सदस्य आपके विरुद्ध में बोलने लगे तो आप बोखला गये। माननीय सदस्य कहने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। आपकी बारी आयेगी तो आप अपना विचार रखें।

श्री जगनसिंह : इसलिए गुड़ को लेकर उत्पात होने की आवश्यकता नहीं है। जांच कराइये इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दोषी होगा तो पकड़ा जायेगा। लेकिन चूंकि इस सिलसिले को यहां उठाया गया है तो मैं भी दो शब्द कहना उचित समझता हूं।

यदि गुड़ पर पाबन्दी नहीं होती तो यह सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। जब गुड़ क्रय-विक्रय संघ के जरिये आने लगा और वहां पर व्यौपारी इन्फीरियर क्वॉलिटी का गुड़ बेचने लगे तो क्रय-विक्रय संघ ने तमाम कोऑपरेटिव्ज को बुलाकर प्रबन्ध किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ वहां पर जाकर लावें। लेकिन चूंकि व्यवस्था इस ढंग की है कि ७ दिन का परमिट बनता है, ७ दिन में गुड़ उठाना पड़ता है और ७ दिन के भीतर नहीं उठाया जाता है तो गुड़ का कोटा लेप्स हो जाता है। इस बीच में व्यापारी गड़बड़ किए बिना नहीं हिचकिचाये और गड़बड़ करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है।

(श्री जगनसिंह)

इसके अलावा भाव की बात कहते हैं तो यू० पी० गवर्नमेंट का मंडियों को अलॉट करने का उनका अधिकार था इसलिए यहां का क्रय-विक्रय संघ जहां से चाहे वहां से नहीं खरीद सकता था। अलग अलग मंडियां करीब २० के अलॉटेड थी। मेरठ का एरिया था वहां गुड़ पैदा होता है। दूसरी मंडियों में गुड़ पैदा नहीं होता है। इसलिए जो नियम है उसके अनुसार व्यापारी अलीगढ़, आगरा, मथुरा और लखनऊ तक के वहां से गुड़ खरीदते थे। यहां पर कच्चा आढ़तिया अपनी आढ़त लेते थे और डेढ़ रुपया प्रति क्विन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज लगाये जाते थे। पक्का आढ़तिया आढ़त लेता था, फिर वहां का आढ़तिया आढ़त लेता था, फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगाने के बाद यहां पर भाव बन्धते थे। भाव बन्धने के बाद कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा देहातों में गुड़ का वितरण हुआ है। उसको राजनैतिक रूप दे देना सही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

किसी में मतभेद करके किसी पार्टी का आधार रखने का इरादा रखते हैं तो मैं उस राय का नहीं हूं। इस आधार पर किसी पार्टी को जीवित रखना चाहते हैं तो किसी ठोस आधार पर नींव नहीं रख सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को ट्रेप करके अपनी पार्टी को जीवित रखना चाहते हैं और उसका स्वप्न लेते हैं तो वे अन्धेरे में हैं। उनको अन्धेरे में नहीं रहना चाहिए। ठोस आधार पर खड़ी रहने वाली यदि कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इसके उसूल हैं। इस पार्टी को इकॉनामिक रिवोल्यूशन को पूरा करना है और वह कर रही है और आगे बढ़ती चली जायगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री हरिराम! कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्य समस्या पर जो बहस चल रही है उसको आज तीसरा रोज है। सारे देश के अन्दर खाद्य-स्थिति आज उग्र रूप धारण कर चुकी है। उस खाद्य-स्थिति पर जगह जगह, कहीं यू० पी० के अन्दर आन्दोलन हो रहे हैं, कहीं बम्बई बन्द का नारा दिया जा रहा है, कहीं गुजरात में अहमदाबाद बन्द होता है, कहीं केरल बन्द हो रहा है, और अब राजस्थान बन्द होने की तैयारियां हो रही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान कभी बन्द नहीं हो रहा है।

श्री हरिराम चौहान : आप देखते रहिये। जिस तरह की रिपोर्ट आप पेश करते हैं उससे यही नतीजा निकलने वाला है। जिस तरह के आन्दोलन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं, और वह आन्दोलन अब क्या रूप धारण करेगा, किस तरह का रूप धारण करेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा। लेकिन कुछ भी हो। आज जो समस्या है वह राजस्थान सरकार के सामने, राजस्थान विधान सभा के सामने आज जो मुख्य समस्या है, मैंने उस रोज भी यही कहा था कि कोई भी कानून जो इतने लोगों को रोटी नहीं दे सकता,

Page No. 50

(श्री हरिराम चौहान)

कोई भी आपका आदेश पेट नहीं भर सका, किसी भी तरह की बहस से आप लोगों को तसल्ली नहीं करा सकते । आज जो मुख्य काम है वह खाद्य की समस्या है । लोगों को अनाज सस्ता मिलना चाहिए, लोगों को कपड़ा सस्ता मिलना चाहिए लोगों को और जीवन की जितनी भी चीजें हैं वह तमाम चीजें सस्ती मिलनी चाहिए ।

अब हमने जब इस रिपोर्ट का अध्ययन किया तो फिर यह पता लगा कि इस रिपोर्ट के अन्दर सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि इसमें मजबूरियां जाहिर की गई हैं । वह कह सकते हैं कि यह सब मंहगाई जो है यह प्रकृति का प्रकोप है कि पैदावार घट गई, अकाल पड़ गया, राजस्थान के आधे हिस्से को हम अकाल--ग्रस्त घोषित कर चुके हैं । इसकी वजह से, उसी का यह परिणाम है कि मंहगाई बढ़ गई है । लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो भी खाद्य मन्त्री ने इस रिपोर्ट को दर्ज किया है आकड़े इस बात के साक्षी हैं, आकड़े इस बात के गवाह हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह सरकार की नीतियों का लाजिमी नतीजा है कि पैदावार बढ़ गई तो भी भाव बढ़ गये, पैदावार घटी तब भी भाव बढ़ गये, क्योंकि इससे पहले जब ६१--६२ के अन्दर ४९ लाख टन पैदा हुआ तब भी भाव बढ़े पहले के मुकाबले में और लगातार भाव बढ़ते आ रहे है । यह भाव दसियों सालों से बढ़ते आ रहे हैं । यही तो इस सरकार की नीतियों का परिणाम है कि वह एक वर्ग विशेष के पक्ष में जा रही है और वर्ग विशेष को मदद करने के लिए ये सारी की सारी नीतियां निर्धारित की जाती हैं । आज हम यह पूछना चाहते हैं कि वह यह बात कहकर अपने आपको बरी नहीं कर सकते कि आज पैदावार कम हुई है । हम यह पूछना चाहते हैं कि जब आपने ४०० करोड़ रुपये तीन पांचसाला योजनाओं के अन्दर खर्च किये तो आपकी उन तीन पांचसाला योजनाओं ने खाद्य समस्या पर क्या असर डाला है ? आपने दो साल के अन्दर ही १७ लाख टन कम पैदावार की है । आपने ४९ लाख टन को ३२ लाख टन पर पहुंचा दिया है । आपने ऐसी हालत पैदा कर जब दो साल के अन्दर कोई खाद्य मन्त्री यह स्थिति पैदा कर दे, जब कि कृषि मंत्री भी वही है, वह यह स्थिति पैदा कर दें तो क्या हक है उनको बराबर इस सरकार के अन्दर इस कुर्सी पर बैठे रहने का ?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप तो कहते थे कि हम जमीन भूमिहीन किसानों को बांटेंगे । आप यह कहते थे कि हम समाजवादी सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं । आप यह कहते थे कि हमने भूमि सुधार किया है, जागीरदारों से छीनकर किसानों को और भूमिहीनों को देंगे लेकिन आपने जागीरदारों को और पैसे वालों को जमीन दी है । आपने यह कहा है कि हमने अच्छे बीज दिए हैं और अच्छा खाद दिया है और इसके लिए कर्ज देते हैं । यदि ये सब चीजें आपने की हैं, यदि वास्तव में की हैं तो उसका लाजमी तौर पर नतीजा पैदावार के रूप में आना चाहिए था, पैदावार बढ़नी चाहिए थी । लेकिन पैदावार बराबर १०साल से रुकी हुई है । कभी थोड़ी बहुत ज्यादा हो

जाती हैं कभी कम हो जाती है। ये सारी की सारी नीतियां इस सरकार की वर्ग विशेष के हित के बारे में हैं। आपकी नीतियां उच्च वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए हैं, मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन देने के लिये हैं। जखीराबाजों को प्रोत्साहन देने की हैं, गरीबों पर टैक्स बढ़ाने की हैं, उनको परेशान करने की हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप ही के राज्य के नौकर हैं, आपके चपरासी हैं आपके सिपाही हैं, वे इस महंगाई में कैसे गुजर कर सकते हैं? आपकी म्युनिसिपैलिटीज के जो मेहतर झाड़ू देते हैं उनकी क्या तनख्वाह है और उनको आप किस भाव में अनाज देना चाहते हैं? चपरासियों को किस भाव में अनाज देना चाहते हैं? हम यह नहीं चाहते कि आप किसानों से बहुत सस्ते भाव में अनाज खरीदो क्योंकि किसानों को भी दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ती है जैसे आप उनको कपड़ा महंगा देते हो, उनको आप गुड़ और चीनी महंगी देते हो और दूसरी जितनी उनकी जरूरत की चीजें हैं वे उनको महंगी देते हो। उनको भी खाद और बीज की जरूरत पड़ती है यह भी उनको मंहगे देते हो। ये सब चीजें उनको सस्ती नहीं दे सकते.तो फिर आप किस मुंह से किसानों से सस्ता अनाज देने की मांग कर सकते हैं? यह हम आपसे पूछना चाहते हैं और राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। हम यह चाहते है कि एक रुपये का ३ सेर से कम भाव का अनाज गरीब लोग जो देहात में रहते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। उनके पास दूसरा काम नहीं होता। उनके छोटे छोटे बच्चे बूट पॉलिश करने को मजबूर होते हैं, कुछ भीख मांगने को मजबूर होते हैं। वे लोग आज बहुत परेशान हैं। वे आपका रुपये का सवा सेर आटा नहीं खरीद सकते, १।। सेर का अनाज नहीं खरीद सकते। आप कहीं से भी लाइये, अमेरिका से या और कहीं से, लेकिन जनता को ३ सेर के भाव का अनाज मिलना चाहिए। यदि आप ३ सेर का अनाज नहीं दे सकते तो आप यह समझते हो कि मुख्यमन्त्री जी राजस्थान एसेम्बली में बोलेंगे उससे सरकार की आलोचना करने वाले डर जायेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कल तकरीर करते हुए और महंगाई के कारण बताते हुए यह बता दिया कि पैसा ज्यादा है, मुद्रा स्फीति है, पैदावार कम हो रही है और आखिर में एक बात कह गए कि इसलिए भी मंहगाई है कि विरोधी लोग बाहर चिल्लाते हैं कि अनाज बड़ा मंहगा हो जायगा इसलिए लोगों ने अनाज मंहगा कर दिया। मै मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आप विरोधी पक्ष वालों से यह उम्मीद करते थे, अपनी पार्टी वालों से तो आपको यह उम्मीद करने का हक है क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिलाये हैं, फेसिलिटी दिलाई है आपने भी उनको किसी को पैसा दिया है, किसी को जमीन दी है, किसी को गुड़ दिया है किसी को और कुछ दिया है उनसे तो आप उम्मीद करें तो यह बात सही हो सकती है लेकिन क्या आप विरोधी पक्ष वालों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हाउस में आयेंगे और आपका हुक्म बजायेंगे? अगर ऐसा समझते हैं तो मैं समझता हूं आपने बड़ी गलती की है। वे यहां आपका हुक्म बजाने के लिए कतई नहीं आये हैं और न आपको ऐसी उम्मीद करनी चाहिये। भाव बढ़े हैं तो ईमानदारी के साथ सदन में आकर कहना उनका फर्ज है। बहुत बढ़े हैं और सरकार की नीति का यह लाजमी तौर से नतीजा है। आप कहते हैं कि हमारा इससे

सम्बन्ध नहीं है। जब क्रय विक्रय संघ का मामला आया तो यह कह दिया कि विशेष अधिकारों का प्रश्न उठायेंगे। विशेष अधिकारों का प्रश्न उठायें आप में हिम्मत है तो मैं बताता हूं। एक आदमी मेरे पास आया और मुझे परेशान करने लगा कि वहां पर हजारों लाखों का ब्लेक होता है आप उनको पकड़वाइये, नोटों पर दस्तखत करवाइये। मैं एन्टी करप्शन के आई० जी० हनुमान शर्मा के पास गया तो उन्होने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सी० आई० डी० वालों का मामला है उनके पास जाओ। तब मैं सी० आई० डी० के डी० आई० जी० सन्तराम जी के पास गया। और उन्होंने बड़ी कानूनी किताबें दिखाई और सारी आलमारियां देख कर यह कहा कि तय नही कर पाते हैं कि हम पकड़ सकते हैं या नहीं। आप यह बात करते हैं कि हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है, मैं कहता हूं कि आपका ही नहीं आपकी सारी सरकार का सम्बन्ध है जितने चोर बाजारी करने वाले हैं उनसे आपका सम्बन्ध है आपकी सरकार का सम्बन्ध है, आप उनको प्रोत्साहन देते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : डाकू के पास डायरी मिली उससे किसका सम्बन्ध है ?

एक मा० सदस्य : इस तरह का संबंध आपकी सरकार का ब्लेक करने वालों से है।

श्री हरिराम चौहान : मेरा टाइम ऐसे ही ले लेते हैं। आप मेरे को तसल्ली से बोलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सोहनसिंह की डायरी में या लक्ष्मणसिंह की डायरी में ?

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : हरिरामजी कहते हैं कि दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट उनका सारा समय खा जाते हैं।

श्री हरिराम चौहान : उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मै समझता हूं हम खुद भी काफी हैं ४।। लाख की पार्टी है। तो, अध्यक्ष महोदय, अब जो समस्या का हल है वह क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया वह भी मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि हमने एक लाख टन की मांग की लेकिन ५० हजार टन ही मिले। हम पूछना चाहते हैं कि ५० हजार टन ही क्यों मिले ? या तो राजस्थान की स्थिति आप उनके सामने अच्छी तरह से नही रख सके या आपकी चलती नहीं है। यदि नहीं चलतीहै तो इस्तीफे की बात तो मैं आपसे नहीं कहूंगा क्योंकि आप देने वाले नही हो, वह तो आपसे लिया जायगा, राजस्थान की जनता एक एक मन्त्री से लेगी इसमें शक नही है........

श्री मथुरादास माथुर : साथ ही देंगे।

श्री हरिराम चौहान : अमेरिका से गेहूं नही आया, प्रकृति का प्रकोप है या भगवान् का प्रकोप है। इनके लिए भगवान् और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। खाद्य मन्त्रीजी कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, वे प्रोग्रेसिव होने की दुहाई देते हैं लेकिन वे अमेरिका और भगवान् के बीच फर्क नहीं करते हैं। वे कहते हैं भगवान रूठ गया मान लो अमेरिका रूठ

Page No. 53

(श्री हरिराम चौहान)

गया। तो क्या हालत होगी रिपोर्ट की ? इसका कोई हल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिराम : मैं आपके सामने समस्या का कुछ हल सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। राजस्थान के गांवों में बहुत कम तादाद में सस्ते अनाज की दुकानें खुली हैं वैसे सारे हिंदुस्तान में ५ पर्सेंट लोग हैं जिनके पास ३७ परसेन्ट जमीन है और ७० परसेन्ट लोग हैं जिनके पास २ परसेन्ट जमीन का हिस्सा है तो वे लोग जो ज्यादातर भूमिहीन किसान हैं जो थोड़ा पैदा करते हैं उन लोगों को जबर्दस्त जरूरत पड़ती है अनाज की। उनको अनाज खरीदने के लिए १०-१५ मील की दूरी पर जाना पड़ता है और इतनी दूरी पर जाकर रोज या दूसरे तीसरे रोज अनाज लाना पड़ता है। तो गांव गांव में जहां पंचायत सेन्टर हैं वहां सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं और लोगों को रुपये का तीन सेर के भाव मे अनाज दिया जाय। चाहे आप कहीं से लावें। आप खादी बोर्ड जैसी संस्थाओं को सहायता देते हैं और और भी कितनी ही निकम्मी संस्थाओं को लाखों रुपये देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बनाने के लिए कर्जा देते हैं........

(१०.०० म० पू०)

जो लाखों रुपये की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। आज सवाल इस बात का है कि भूखे नंगे लोगों को रोटी दी जाय। आप हर हालत में आज तीन सेर का अनाज कर दें तो आपके चपरासी आपसे खुश हो जायेंगे, आपके सिपाही आपसे खुश हो जायेंगे और आपके इधर जो हरिजन बैठे हैं वे लोग भी आपसे खुश हो जायेंगे। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस तरह का इन्तजाम आपको करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जहां तक पैदावार बढ़ाने का प्रश्न है आप किसानों को कुए बनाने के लिए छूट दीजिये। आप यह आदेश दे दीजिये कि पंद्रह साल तक कोई किसान कुए बनायेगा और अपनी जमीन को चाही करेगा उससे कोई लगान नही लिया जायेगा। इससे अपने आप पैदावार बढ़ जायगी। फिर आपको भगवान को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अमेरिका से धान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : चीन भी धान मंगाता है।

श्री हरिराम चौहान : और किसानोंसे तभी आप ले सकते हैं जब पूरी तरह से सस्ती चीजें उनको देंगे। अगर आपने राजकीय क्षेत्र में अनाज का व्यापार किया तो मैं कहता हूं कि आपको करना चाहिए, आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए—लेकिन इस सरकार के होते हुए ये सारी चीजें सम्भव नहीं हैं क्योंकि यह वह सरकार है, जिसने क्रांतिकारी नारों को बदनाम किया है, जिसने राष्ट्रीयकरण के नारे को बदनाम किया है, जिसने सहकारिता के नारे को बदनाम किया है और इसी तरह से जिसने पंचायती राज्य को बदनाम किया है—इस सरकार के होते हुए यह सम्भव नहीं है। इस सरकार ने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उन क्रांतिकारी नारों को बदनाम किया है, जिन नारों से आज दुनिया की एक तिहाई जनता सुख की सांस ले रही है। उन नारों को बदनाम करने के लिए इस मन्त्रिमण्डल में सदस्य बैठे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन्हें राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी नारों को बदनाम किया है। एक रोज इन्हें जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उस दिन इनसे इसका जवाब-तलब किया जायगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हरिराम चौहान : कि किस तरह सरमायेदारों से मिलकर राजस्थान की जनता पर इन्होंने जुल्म किये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

श्री मांगीलाल रिणवा (रायपुर-पाली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खाद्यान्न की काफी कमी है और इसके कुछ कारण हैं। मैं उन कारणों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव रखूंगा। आज जितनी सस्ते धानों की दुकानें गांवों में अन्दर खोली गई हैं, वे सब पंचायत हैड क्वार्टर पर नहीं खोली गई हैं। अगर पंचायत हैड क्वार्टर पर नहीं खोली जा सकती हैं सरकारी दुकानें तो न्याय पंचायत के जो हैड क्वार्टर हैं वहां सरकार की तरफ से सस्ते धान की दुकानें खोली जानी चाहिये और पंचायत हैड क्वार्टर हैं वहां पर कोआॅपरेटिव सोसाइटी द्वारा या व्यापारियों द्वारा दुकानें खोली जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि गांवों में कुछ लोगों ने धान इकट्ठा कर रखा है और उसका ब्लेक मार्केटिंग करते हैं। इसको मिटाने के लिए मेरा सुझाव है कि एक लिस्ट हर व्यापारी तहसील में देते हैं और हर महीने वह लिस्ट सरकार के सामने पेश करते हैं। लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं रहता कि किस व्यापारी के पास कितना अनाज पडा है। वह लिस्ट तहसील में रहती है, इस कारण छिपा हुआ अनाज कितना है, यह गांव के सामने नहीं आता। मेरा सुझाव है कि जो व्यापारी लिस्ट पेश करते हैं वह दो कापी लिस्ट की तहसीलदार के सामने पेश करें ताकि उनमें से एक लिस्ट तहसीलदार के दस्तखतों से पंचायत हैड क्वार्टर पर पंचायत को भेज दी जाय ताकि यह मालूम हो सके कि अमुक व्यापारी या अमुक किसान के पास इतना अनाज पड़ा हुआ है और गांव के लोगों को जानकारी हो सके इससे ज्यादा छिपाकर व्यापारी या किसान ने अनाज नहीं रख रखा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव के लोगों को ऐसे लोग यह बता देते है कि जितना धान हमारे पास है उसकी लिस्ट सरकार को दे दी है। इस तरह गांव के लोग चुप रह जाते हैं और ऐसे लोग तहसील के अन्दर सांठ-गांठ कर लेते हैं। इस लिए जब तक सरकार जनता से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश नही करेगी तब तक छिपे हुये अनाज को पकड़ने में सरकार कामयाब नही हो सकेगी। इसका उपाय है कि गांव वालों की जानकारी के लिए पंचायत हैड

Page No. 55

(श्री मांगीलाल रिणवा)

क्वार्टर पर लिस्ट होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि अमुक महाजन ने कितना अनाज छिपा रखा है और कितने की लिस्ट उसने सरकार के पास पेश की है।

इसके अलावा जिस तरह पहले जमाने में व्यवस्था थी कि अगर कोई छिपे हुए अनाज को पकड़वाता था तो पकड़वाने वाले आदमी को उसमें से कुछ हिस्सा मिलता था इनाम के रूप में। इसी तरह से आज अगर सरकार यह तय कर दे कि कोई आदमी अगर छिपे हुये अनाज को पकड़वायेगा तो उसको उसमे से दस, बीस या पच्चीस पर्सेंट अनाज इनाम के रूप में दिया जायगा। इस तरह छिपे हुये अनाज को पकड़ने से सरकार कामयाब होगी, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह जो लाखों मन धान छिपा हुआ है वह सामने आ जायगा और जो अनाज की समस्या है वह हल हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि जो काश्तकार हैं उनके लिए सरकार ने पच्चीस क्विन्टल और दस क्विन्टल के हिसाब से अनाज रखने की छूट दी है। मैं निवेदन करूं कि किसी काश्तकार के पास तीन बीघा जमीन है, वह २५ क्विन्टल अनाज अपने पास रखता है। उसके घर में दो प्राणी हैं मियां-बीबी, इस कारण वह २५ क्विन्टल नहीं रख सकता। तो कोई व्यापारी उसको अपने पास से पैसा दे देगा और कह देगा यह अनाज अपने पास ही रख लो। उस अनाज की एवज में वह सौ पचास रुपये दे देगा। इस तरह जो व्यापारी अपने घर में अनाज रखकर उसका ब्लेक मार्केटिंग करने आये हैं, वे अब काश्तकार के घरमें रख कर करेंगे और इस भोले भाले और ईमानदार किसान को भी भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिये जो धान रखने की सीमा रखी है वह किसान के घर में कितने आदमी हैं, उसके आधार पर कायम कर दें। इसके साथ ही साथ यह भी प्रावधान कर दें कि अगर किसी किसान के पास अनाज मिलने पर मुकदमा हो तो उसको पकड़ने की सजा नहीं हो बल्कि उस पर जुर्माना कर दिया जाय, ताकि कोई भोला भाला किसान किसी व्यापारी के कहने में आकर गलती कर दे तो उसको जेल की सजा नहीं हो। अगर वह पढ़ा लिखा होता तो आप उसे पकड़ नहीं सकते थे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था जरूर कर दें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि अनाज के विषय में सरकार ने कई दफा कई सरक्यूलर निकाले हैं लेकिन गांव के लोगोंको पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने कितने सरक्यूलर निकाले हैं, क्या सरक्यूलर निकाले हैं और उनके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की है। इसलिए जो भी सरक्यूलर निकालें वे गांवों तक पहुंचाने चाहिये ताकि गांव वालों को पता लग सके कि सरकार ने क्या क्या सरक्यूलर निकाले हैं और क्या नियम बनाये हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने गुड़ की जो व्यवस्था की है, ताज्जुब की बात है कि सरकार जो शक्कर दे रही है वह १.२८ पैसे किलो लोगों को मिलती है लेकिन गुड़, जो जानवरों के खाने के लिए दिया जाता है वैसा १.३५ पैसे किलो कोऑ-

परेटिव सोसाइटी द्वारा चलने वाली दुकानों पर मिलता है। मुझे कुछ दिनों पहले मालूम हुआ, जब दिल्ली में था, कि यहां के कुछ लोग हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे और जो गुड़ का सैम्पल लेकर गये थे वह राष्ट्रपति जी को दिखाया, मैंने भी वह सैम्पल देखा। उन्होंने वह गुड़ वहां पेश किया और उसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की रसीद भी पेश की। राष्ट्रपति जी ने उसको देख कर विश्वास दिलाया कि वे इन्क्वायरी करायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में होने वाली गड़बड़ी राष्ट्रपति जी के पास जाय और सरकार द्वारा कुछ न किया जाय यह बहुत बुरी बात है। इस लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्यों शक्कर जब १.२८ पैसे किलो है तो गुड़ १.३५ पैसे किलो है? इस भाव में किसान गुड़ ले नहीं सकते।

मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके यही कहूंगा कि व्यापारियों के पास जो गल्ला है उसकी लिस्ट जरूर गांवों में दी जाय। जो व्यापारी ज्यादा गल्ला अपने पास रखेंगे उनकी लिस्ट होगी तो किसी तरह से ब्लेक नहीं होगा। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विट्ठल।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा सु.): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खाद्यान्नों की इस समय बहुत गम्भीर स्थिति हो रही है। राजस्थान में खाद्यान्न की स्थिति के विषय में मैं कहूंगा कि राजस्थान के हर जिले में हर तहसील में और हर गांव में बहुत गम्भीर स्थिति चल रही है और खाद्यान्न की स्थिति को हमारी राजस्थान सरकार ने पहले से नहीं संभाली इसलिए यह स्थिति बहुत गम्भीर बनी। इस सरकार को पहले से मालूम था क्योंकि गत सैशन में कई माननीय सदस्यों ने इस विधान सभा में रिपोर्ट दी थी कि इस साल खाद्यान्नों की स्थिति गम्भीर है क्योंकि कई जिलों में अकाल पड़ा है, कई जिलों में शीत लहर की वजह से फसल खराब हुई है, कई जिलों में पानी कम पड़ने से अनाज की फसल कम पैदा हुई है इसलिए इस साल के लिए अनाज की व्यवस्था सरकार करे। जब इस विषय में हम लोगों ने गत सैशन में रिपोर्ट दी तो मैं कहूंगा कि राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री और खाद्य मंत्री पर इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी लेकिन सरकार ने उस स्थिति की गम्भीरता को न सोच कर आज तक, जो खाद्यन्न का व्यापार करने वाले थे और जिन व्यापारियों के पास अनाज था, उनके लिए न अनाज के भाव बांधे और न बढ़ते हुए भावों को रोका, साथ ही बाहर अनाज को ले जाने पर कोई रुकावट डाली। हमारे यहां का अनाज परमिट के जरिये बाहर के प्रान्तों में गया लेकिन सरकार ने उस अनाज के सम्बन्ध में रुकावट पैदा नहीं की। इसके विपरीत हमारे खाद्य मन्त्री ने परमिट देकर चने की बाहर निकासी कराई। मैं बांसवाड़ा जिले के लिए कहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में काफी तादाद में चना पैदा हुआ था और बनियों ने कम से कम १८) २०) के भाव से चना खरीद किया था....

लेकिन वह चना हमारे बाँसवाड़ा जिले

(श्री विट्ठल)

को नहीं मिल कर ३३ परसेन्ट के हिसाब से परमिट दिया गया जो चना बाहर बम्बई (महाराष्ट्र) प्रान्त और गुजरात के लिये राजस्थान से बाहर निकाला गया और सैंकड़ों मन माल व्यौपारियों ने वहां पर भेज दिया लेकिन राजस्थान की पुलिस ने चोरी से या रिश्वत खोरों से या अन्य ढंग से अनाज बाहर जाने दिया और इसके साथ साथ दूसरा अनाज मक्की वगैरा भी गया। पुलिस विभाग ने कोई इन्तजाम नहीं किया और हमारे यहां पर आज भी थोड़ा बहुत व्योपारियों के पास स्टॉक है। मगर हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि वह निकलवा कर जनता को दें। आज वर्षा कम पड़ने की बजह से वहां की स्थिति गंभीर है और वहाँ के काश्तकारों को अनाज नहीं मिलता है। हमारा इलाका आदिवासी इलाका है और वहा के लोगों को अनाज के लिये काफी दिकत उठानी पड़ती है और सरकार ने भी वहां पर दुकाने खोली हैं मगर वहां पर गांव पिछड़े हुए हैं और गांव दूर दूर हैं। एक पंचायत में एक दुकान खोली है और ऐसे ढग से खोली है जहां एक दुकान पर कई काश्तकार अनाज लेने के लिए जावे तो कम से कम उनको २० मील या १८ मील या १५ मील से कम नहीं चलना पड़ता है। स्थिति यह है कि आज सरकारी दुकानों पर गेहूं समय पर नही मिलता। कम से कम महीने में ८ दिन दुकाने चलती होगी। नहीं तो १५ दिन तक तो अवश्य बन्द रहती हैं। इस तरह से दुकानें चल रही हैं। मेरे पास जब से मैं यहा पर आया हूं दो तार आ चुके हैं। एक तार तो मैंने खाद्य मन्त्री जी को भी दिया कि बांसवाड़ा जिले में गेहूं नहीं है। अनाज की समस्या के लिए कोई कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर को खाद्य मन्त्री ने कोई आदेश दिये या नहीं यह मैंने उनको बाद में पूछा नहीं। मैने ६ तारीख को तार पेश किया मेरे पास फिर ८ तारीख को तार आया कि दुकानों में अनाज नहीं है। इस तरह की गम्भीर स्थिति हो रही है और हमारी सरकार सुन नहीं रही है। मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर और खाद्य मन्त्री जी इसके लिये जिम्मेदार हैं। जनता भूखें मरती हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कल जबाब दिया है वह सारा लीपा-पोती का जबाब दिया है। हमारे राजस्थान में यह कहा जाता है कि जन संख्या बढ़ गई है, अकाल पड़ गया है। आज की स्थिति में....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अकाल पड़ा हुआ है। यह तो सब मानते हैं।

श्री विट्ठल : जो आपने स्टॉक दिया है वह राजस्थान की जनता के लिये काफी नहीं है और हमारे यहां पर जनता भूखे मरती है और इसके लिये आपको अविलम्ब कोई न कोई कदम उठाना चाहिये और कानून बना कर जिनके पास अनाज हैं निकलवा कर बेचना चाहिये। न कि जनता को भूखे मारने दिया जाए। आज जनता अनाज और कपड़े के लिये तरस रही है। हमारी सरकार मौज करती है और यह कहती है कि हमारी भारत सरकार की यह नीति हैं। मैं यह कहूंगा कि हमको भारत सरकार की बात नहीं करनी चाहिये हमको राजस्थान सरकार की बात करनी चाहिये, और और राजस्थान में उस तरह से व्यवस्था करनी चाहिये। आज क्या व्यापारियोके पास

(श्री विट्ठल)

अनाज नहीं है ? मैं यह कहूंगा कि व्यापारियों के पास अनाज बहुत पड़ा हुआ है और फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं और व्यापारियों के कोठे भरे हुए हैं सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। चाहे जनता के कोई भी जलूस आपके पास आवें। कोई जनता एजिटेसन लेकर आवे मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लोग भूख हड़तालें कर रहे हैं। आज भी लोग भूख हड़ताल पर हैं। जनता दुखी है इसलिए कि जनता भूखी है और अगर लोगों को अनाज मिलता तो कोई जरूरत नहीं थी कि हड़ताल करते। सरकार को चाहिए कि अनाज लोगों को दिलाये और अगर एक भी बच्चा मर गया तो इसके लिए जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर या खाद्यमन्त्री होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या और साथ में कुछ और बातें सरकार के सामने रखीं और हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बात को बहुत गम्भीर बना कर कहा कि किस तरह से राजस्थान में खाद्य की समस्या उत्पन्न हुई लेकिन इसके साथ साथ, माननीय अध्यक्ष, इस समस्याके हल पर जोर नहीं दिया दूसरे ? राजनैतिक पहलुओं की बातों पर जोर दिया है। मैं सबसे पहले अपने विचार खाद्य की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा लेकिन मैं माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अभी तक भाषण हुए हैं उनसे आप विचार बता सकते हैं और जो मैं कहूं उसको भी आप सुनने की कृपा करें।

मैं यह कहूंगा कि यह समस्या हमारे देश में कोई नई समस्या नहीं है। अगर सन १९५१ से लेकर आज तक के आप आंकड़े देखें तो आपको मालूम होगा कि आज तक कितना इम्पोर्ट हमें करना पड़ा है। मैं यह कहूंगा कि सन् १९५१ से सन् १९६१ के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये आंकड़े कोई हमारे यहां सरकारी स्टेटिस्टिक से नहीं बल्कि विरोधी दल के नेता मिनू मशानी हैं उनके स्वयं के तैयार किये हुए हैं उस किताब में से निकाल कर आपके सामने जान बूझकर रखता हूं। जिससे यह भ्रम न हो कि ये आंकड़े हमारे यहां के हैं। उनकी एक किताब है जिस में ये आंकड़े दिये हुए हैं उसमें सन् १९५१ में लिखा है कि चांवल और गेहूं कितना इम्पोर्ट हुआ। २१७ करोड़ का चांवल और गेहूं सन् १९५१ में इम्पोर्ट हुआ। और सन् १९६१-६२ में १४१ करोड़ और १३० करोड़ का इम्पोर्ट हुआ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : यह टनों में है या रुपयों में है।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह रुपयों में है।

सन् १९५१ में २१७ करोड़ रुपयों का हमको राइस और वीट लाना पड़ा उसमें बाद में कम हुआ। सन् ५१ में चांवल ७६१ हजार टन आया। गेहूं ३३६३ टन आया। जब कि ६१-६२ में ३८४ हजार टन चावल और ३०९२ टन व्हीट आया। तो इसमें हमने

(श्री मोतीलाल चौधरी)

इम्पोर्ट कम किया। "माननीय अध्यक्ष मैं एक और चीज पेश करना चाहूंगा। एक्पोर्ट के आंकड़े को हम देखें। मैं विरोधीदल के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको देखें क्योंकि वे एक हिस्से के शासक रह चुके हैं। कम से कम मैं यह उनसे आशा रखता हूं कि वे इस पर ध्यान देंगे क्योंकि वे एक दल के हैड भी हैं। दूसरा दल हमारा लाल झण्डे का है उनका तो काम एजिटेशन करना है, उत्पात करना है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इम्पोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट के आंकड़े भी पेश करना चाहूंगा कि हमने दूसरी जगह बाहर कितना भेजा है और अपना एक्स्पोर्ट बढ़ाया है। १२ वर्षों में एक्स्पोर्ट की बात कहूंगा जिसमें जमीन की प्रोड्यूस से सम्बन्ध है, फैक्ट्री के सामान से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम जमीन में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दूसरी जगह प्रोडक्शन कितना बढ़ा है और क्या रेशियो रहा है, मैं यह कहूंगा।

मैं एक्स्पोर्ट के आंकड़े पेश कर रहा हूं। बनस्पति तेल जो मूंगफली से बनता है वह ६२-६३ में ११ करोड़ का माल बाहर गया है, ७७० लाख किलोग्राम गया है वहां ६३--६४ में १८ करोड़ का माल गया है, १३१० लाख किलोग्राम गया है, ६२--६३ की बनिस्पत ६३--६४ में डबल वनस्पति तेल बाहर गया है। फिर हमारे यहां से सब्जियां भी गई हैं जहां ६२-६३ में १३ करोड़ की सब्जियां बाहर गई थीं वहां ६३-६४ में २७ करोड़ की सब्जियां बाहर गई हैं, इन सब्जियों में अखरोट आदि ही नहीं, प्याज और आलू आदि भी गये हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक आंकडा और पेश करूंगा। हमारे यहां से मसाले बाहर गये हैं, मसाले में लोंग और काली मिर्च ही नहीं लाल मिर्च गई है जिसके आंकड़े पेश करता हूं। ६२--६३ में जहां १२ करोड़ के मसाले गये हैं वहां ६३-६४ में १४ करोड़ के मसाले बाहर गये है, ६२--६३ में जहां ४० लाख किलोग्राम मिर्ची गई थी वहां ६३--६४ में ११० लाख किलोग्राम यानि डबल से ऊपर मिर्ची चली गई।

कॉटन और काफी को लीजिये। कॉफी के लिये माननीय सदस्य कहेंगे कि पहाड़ों में होती है, पर पिछले ५ सालों में कॉफी पहाड़ों से धरती पर मैदानों में आ गई है ६० परसेंट से अधिक जमीन पर आ गई है। कॉफी के सम्बन्ध में लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कि कॉफी राजस्थान में हो सकती है, ऐसा रिसर्च हुआ है। तो कर्मशियल प्रोडक्शन के डेवेलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को यह सब करना पड़ रहा है, जिस जमीन में अन्न उपजता था वहां इस प्रकार की कर्मशियल क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा है। फल, सब्जियां, बनस्पति तेल बाहर गये हैं, खाली कॉटन बाहर गया है। कपड़े का एक्स्पोर्ट बढ़ा है। मैं ये आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमारे यहां फूड की समस्या है। हमारे यहां यह समस्या नहीं है। अगर यह समस्या होती तो इतना एक्स्पोर्ट नहीं होता हमारे लैंड प्रोडक्शन का। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की लैंड जो हमारे यहां थी वह फ्रूट्स, कॉटन, मसाले, कॉफी, वेजिटेबल तेल आदि में चली गई है। गंगानगर को लीजिये, जयपुर को लीजिये जयपुर के १० मील के एरिया के अन्दर देखिये कि

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कितने गार्डन्स बढ़े हैं। पिछले पांच सालों में। जिस जमीन में जौ, गेहूं पैदा होते थे, वहां गार्डन्डस हैं, फ्रूट्स पैदा होते हैं। इस हाउस ने तय किया था कि गार्डन्स के लिये लैंड रखी जाय और इससे किसानों के दिलों में एक नई बात आई कि फ्रूट प्रोडक्शन करें तो देश को ज्यादा लाभ हो सकता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे यहां लैंड प्रोडक्शन बढ़ा है. वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है पर राजस्थान में इसे समस्या बनाकर और दृष्टिकोण से रंगा गया है। हमारी राजस्थान सरकार ने जिस तरह हिम्मत के साथ अब तक फूड ग्रेंस की कीमतों को और प्रांतों की तुलना में ठीक काबू में रखा है यह देखने की बात है। पंजाब के अलावा हमारे राजस्थान में गेहूं की कीमतें किसी स्टेट से ज्यादा नहीं हैं। बाजरा, जौ, मक्का-ज्वार की कीमतें हमारे यहां सब प्रांतों से कम हैं। पंजाब यू०पी०, मध्य प्रदेश बिहार सबसे कम है। चना राजस्थान में ५४, पंजाब में ६३, यू० पी० में ६५, महाराष्ट्र में ७३, बिहार में ६०, मध्यप्रदेश में ६१ है हमारे यहां बाजरा ५३-५४, गुजरात में ५८-६०, पंजाब में ५४-५५ गुजरात में ५८-६०, बिहार में ६५, उत्तर प्रदेश में ६५-७०। इन आंकड़ों से पता चलता है, यह स्पष्ट है कि दूसरी स्टेट्स से हमारे यहां कीमतें कम हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्टेट्स में भाव इतने बढ़ने के बाद भी कैसे भावों को कम रख सकी है। मैं तो हाउस को निवेदन करूंगा कि देखिए आंकड़ों से, कितनी हिम्मत की बात है कि उत्तर प्रदेश में जहां ६५-७० हैं वहां हमारे यहां ५३-५४ है। उसके बाद की इस तरह की बातें करके इस प्रकार की प्रोब्लेम बनाई जाती है। राजस्थान के बाहर दूसरे प्रांतों में इस तरह के हालात हैं, हमारे राजस्थान के खाद्य मन्त्री यहां भावों को इतना कन्ट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए जहां इनको बधाई देनी चाहिए वहां स्तीफा देने को कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री यहां नहीं हैं, मैं तो आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि ऐसे खाद्यमन्त्री को परमवीर चक्र देना चाहिए। आंकड़ों के दृष्टिकोण से, आंकड़ों के आधार पर मैं यह अर्ज कर रहा हूं, आंकड़ों में कोई गलती हो तो माननीय सदस्य बता सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्हें हम तो मुख्यमन्त्री बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में भेजना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : ये आंकड़े कोई गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं हैं ये सारे आंकड़े टाटा के इकोनोमिस्ट्स हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स के आंकड़े हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, अगर आंकड़े गलत हों तो चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज समझ में आती है, यह फूड प्रोब्लेम किसके कारण आई है? मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि गेहूं खाने वाले कितने आदमी हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से सर्वे हुआ है मिडिल क्लास फेमिलीज हिंदुस्तानमें कितनी हैं। उनकी इकोनोमिक कन्डीशन्स की दृष्टि से १५०) से १०००) की आमदनी वाले कितने आदमी हैं, तो उस सर्वे से १५ लाख फेमिली ऐसीहैं। खाद्य अंक संकलन राष्ट्रीय अंक संकलन भारतीय अंक संकलन, संगठन इन

Page No. 61

(श्री मोतीलाल चौधरी)

तीनों संगठनों ने मिलकर अंक संकलन कियेहैं मेजोरिटी उन लोगों की है जो खेतों में और कारखानों में काम करते हैं। मिडिल क्लास के लोग डेढ़ करोड़ से ज्यादा नहीं निकलेंगे। इंगलैंड में डेढ़ परसैन्ट प्रोड्यूसर्स हैं, इटलीमें शायद २३ परसेंट हैं, जर्मनी में ११ परसेंट प्रोड्यूसर्स है। पर हमारे यहां ८० परसेंट प्रोड्यूसर्स है जो खेतों में और कारखानों में काम करने वाले हैं, ७० परसेंट तो कम से कम मानना ही होगा। गांवों में लोग चांवल गेहूं तो होली दीवाली खाते हैं। बाजरा, जौ, चना मक्का का गांव वाले इस्तेमाल करते हैं।

गांव वालों के सामने प्रोब्लेम्स हैं, पिछले साल में फेमीन हुआ, ११ डिस्ट्रिक्ट में। किसानों के सामने प्रोब्लेम्स आई कि दूध घी की कीमतें बढ़ी नहीं। उनको गायोंको पालना पड़ता है, एक गाय पर खर्चा पड़ता है- उसका हिसाब लगाया जाय, सरकार ने इन लोगों को सहयोग दिया है, राहत दी है पर बाड़मेर, जालौर में एक एक परिवार के पास सौ, सौ, डेढ़, डेढ़ सौ गायें हैं, उन पर कितना बोझा पड़ा होगा पर दूध घी की कीमतें नहीं बढ़ने से उन लोगों पर बड़ा भारी बोझा पड़ा है। गांवों के लोग रावड़ी, छाछ खाते हैं, बाजरा छाछ खाते है, और देश के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो ८० परसेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो गांवों में रहते हैं। केवल २० प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। तो राजस्थान में ४५लाख आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि प्रोड्यूस नहीं करते।

माननीय अध्यक्ष,उसके अन्दर हम देखते हैं कि १६) रु० मन गेहूं का भाव सरकार ने रखा, उसमें कितना बैलेंस किया। जिस वक्त १६) रुपए मन का भाव का गेहूं मार्केट में पहुंचा, मार्केट रेट गिरा है। उस दृष्टिकोण से आज जो रेट्स हैं वे दूसरी स्टेट्स से कम्पेयर करें तो वे रेट्स वाजिबी हैं। इस दृष्टिकोण से मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी समस्यायें हैं उनको सुलझाना है, उसके लिए कन्स्ट्रक्टिव सुझाव आने चाहिए, नहीं तो बाघ वाली कहानी हम पर लागू होगी। सिर्फ यही कहते रहेंगे कि बाघ आ गया, बाघ आ गया और सचमुच एक दिन बाघ जबआ गया तो हम समस्या सुलझा नहीं पायेंगे। तो जो भी आपके सुझाव हों होर्डिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, वे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि होर्डर्स को मुनाफा मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि भूख हड़तालें हुईं। मैंने भी देखा। हमारे परम मित्र भाई सतीश जी भी उपवास में थे। जैन धर्म मे रिवाज है कि जब वे उपवास करते हैं, तो उनके रिश्तेदार उनसे साता पूछने जाते हैं। तो मैं भी उनसे साता पूछने गया, भूख हड़ताल कहें या उपवास कहें एक ही बात है। मैंने उनसे पूछा कितने किसान आपके साथ हैं ? एक भी किसान नहीं था। मैंने पूछा मजदूर कितने हैं, दो या तीन मिले। मैंने देखा उसमें मैजारिटी व्यापारी क्लॉस की थी।

श्री विजयसिंह झाला : यह बिलकुल असत्य है। उसमें ५०० व्यक्ति सभी वर्गों के थे।

मोतीलाल चौधरी : I do not challenge you लेकिन जो मैंने देखा है और जो मेरा निजी इम्प्रेशन है, उसके अनुसार मैंने कहा। इस समय स्वतन्त्र पार्टी ने सूझ बूझ से काम लिया। कोई आन्दोलन नहीं किया क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंध रहा है, उनको ज्ञान था कि केवल हल्ला करने से राज नहीं चल सकता।

श्री विजयसिंह झाला : आपकी राय में भाव कितने भी ऊंचे बढ़ जायेंगे तो क्या आप उसको उचित मानेंगे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने कभी आपको इन्टरवीन नहीं किया तो आप मेरे साथ में न्याय करें। मैं तो निवेदन करूं कि आप पाकिस्तान के इतिहास को देखें। वहां की पार्टी पोलिटिक्स क्या है ? आज वहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो, लेकिन जनता नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि देश के अन्दर डेमोक्रेसी हो। इसलिए जो पार्टियां डेमोक्रेसी चाहती हैं उन से निवेदन करूंगा कि जो भी तथ्य हों, वह सामने रखें। सुखाड़िया जी या अन्य किसी व्यक्ति के इधर उधर की बातें करने से समस्या सोल्व नहीं होती है। एक पीसफुल पालिटिकल एटमोस्फीयर राजस्थान के अन्दर आये इसके लिए आपस में सहयोग करना चाहिए और उसकेलिए अलग अलग लुकआऊट होता है, विचार कर सकते हैं सरकार भी सहयोग दे सकती है। जितने इधर बैठने वाले हैं वे कोई ऊपर से नहीं आए हैं, हम भी वोट लेकर आए हैं। इसी तरह से मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी कहूंगा। इस बार तीन आये हैं, बीच में सफाया हो गया था और उससे पहले एक था। मैं तथ्य देता हूं। उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की ?

आज किसान भी प्राइस माइन्डेड है। वह भी कहता है कि मुझे भी अच्छा प्राइस मिले। वह भी अपने प्रोड्यूस को आहिस्ते आहिस्ते रिलीज करता है और बीच में बिचौलिये खा जाते हैं। किसान समझता है कि भाव बढ़ेगा फिर रिलीज करूंगा। आप कहेंगे तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी को भी कह सकता हूं कि उन्होंने व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते हैं कि व्यापारियों को मिलना चाहिए। हमने कहा कि नहीं कोऑपरेटिव को मिलना चाहिए।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सहकारी समितियों....

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैं भी उसी इलाके से आया हूं जहां व्यापारी रहते हैं। मेरा खानदान ही व्यापारी वर्ग का है, खेती भी करते हैं। मेरा आपसे ज्यादा अनुभव है व्यापार के अन्दर। लेकिन मेरा और मे परिवार के लोगों का दृष्टिकोण दूसरा है। मेरे घर वाले व्यापारी हैं। जिस गांव से मैं आया हूं वहां ३०—३५ घर किसानों के हैं बाकी व्यापारियों के हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष, वहां पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई लेकिन जान बूझ कर व्यापारी को लाया जाय, उसके इन्ट्रेस्ट की बात कह कर, तो यह ठीक नहीं है। मैं इस बारे मे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े दिये उसके बाद प्राइसेज के आकड़े दिये उससे फूड

(श्री मोतीलाल चौधरी)

प्रोब्लेम की पोजीशन स्पष्ट है। लेकिन आज बहुत सी ऐसी जमीन है फूड प्रॉडक्शन की उसमें आज किसान फूड प्रॉडक्शन न करके कॉमर्शियल प्रॉडक्शन करता है, वह काटन प्रॉड्यूस करता है क्योंकि उसमें उसको दो पैसे की इनकम है। इसलिए सरकार को प्राइस सपोर्ट पालिसी जल्दी से जल्दी भारत सरकार से कहकर लागू करनी चाहिए। अमरीका से आप गेहूं मंगाते हैं। वहां आज भी गेहूं, मक्का, ज्वार इनकी प्राइस फूड पॉलिसी चली जाती है क्योंकि वहां के किसान को पक्का विश्वास है कि मुझे इतना पैसा अवश्य मिलेगा। किसान ज्यादा अन्न का पैदा करेगा इस दृष्टिकोण से गुजरात में, आंध्र में प्राइस सपोर्ट पॉलिसी न होने से वहां का किसान गेहूं या चना पैदा न करके कॉटन में चला गया, तम्बाकू में चला गया, मिर्ची में चला गया या अंगूर में जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइस सपोर्ट पॉलिसी को जितना जल्दी लागू करें अगली फसल से पहले तो किसान भी सोचेगा कि मुझे फूड प्रॉडक्शन के नीचे लैंड कल्टीवेट करनी है। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका मार्केट भी रेग्यूलेट किया जाय।

दूसरी बात यह कि फूड ग्रेंस के जितने ट्रांजेक्शन्स हैं, मार्केटिंग में ट्रेड हो उसके जो मोनेटरी इफेक्ट्स हों चाहे ब्लेक मनी हो या घूस मनी हो, उसका कन्ट्रोल होना चाहिए। और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुसार कमर्शियल बैंकिंग और स्टेट बेंकिंग को कन्ट्रोल करना चाहिये। फूड-ग्रेन्स के स्टॉक्स की वेरिफिकेशन की जाय। व्यापारियों को रुपया चाहिए। ७० परसेन्ट तक बैंक दे देते हैं जब कि ३० परसेन्ट यदि दिया जाता तो भी व्यापारी उनके द्वारा अच्छी तरह से काम चला सकते हैं। इससे आपको यह जानकारी होगी कि कहां कहां पर माल पड़ा हुआ है। किसान को भी फूड-ग्रेन्स को बढ़ाने के लिये सुविधा मिलेगी।

मैं निवेदन करूंगा कि इस फूड समस्या को अधिक बढ़ावा न देकर हमको इसको शान्ति से हल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं एक बात अपेक्स मार्केटिंग के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष, इस हाउस के अन्दर और बाहर एक 'गुड़-मेवा स्केन्डल' के नाम से कहा गया है। 'स्केन्डल' शब्द का अंग्रेजी डिक्सनरी देखने से मतलब मालूम होगा कि यह क्रिमिनल सेन्स में यूज हुआ है। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य जो इस विधान सभा में बैठते हैं देश के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं। यदि किसी भी संस्था, दल अथवा व्यौपारी के सम्बन्ध में कोई बात कहें तो बहुत तोल कर बात कहना चाहिये। जिस शब्द का यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है इस पर भी उनको गौर करना चाहिये। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें, एक दो तथ्य मैं सदन के सन्मुख रखना चाहूंगा। मैं पहले गुड़ के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। नवम्बर में अपेक्स मार्केटिंग बैंक को गुड़ यू. पी. से इम्पोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। जो गुड़ महाराष्ट्र से और गुजरात से आया वह क्रय विक्रय संघ को नहीं मिला। और न उसने उसको लेने

Page No. 64

(श्री मोतीलाल चौधरी)

की कोशिश की। यू. पी. का जो गुड़ आया है तो गुजरात और महाराष्ट्र से कम कीमत में बिका है । बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि ऐसा गुड़ नौखा में आया है और उसकी संख्या भी कम नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपको क्या आपत्ति है, जानकारी करवा लीजिये, इसके लिए एक कमीशन बिठवा लीजिये ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं अपने विचार कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष। तो उसमें ३६ हजार टन गुड़ का माल आया। उसके अन्दर क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला टाइम पर और अपेक्ष मार्केटिंग ने लाइसेन्स लिया, उसके बाद लेप्स कोटा था वह यू. पी. के व्यौपारियों को मिला। अपेक्ष बैंक को नहीं दिया था। यू. पी. गवर्नमेंट ने लेप्स कोटा व्यौपारियों को दिया वह भी राजस्थान में आया है। जो माल आया उसकी क्वालिटी और कीमत दोनों की शिकायत है। मैं थोड़ी सी अनुभव की बात कहूंगा। जो माल राजस्थान में आया सब ही स्टेट में यू. पी. से आया । बंगाल बिहार, महाराष्ट्र में गया। कोटा फिक्स था। सब से कम कोटा मिला है तो राजस्थान को मिला है और उसका सबसे कम लैप्स हुआ है। ३६ हजार टन में से ५ हजार टन लेप्स हुआ। बोम्बे, गुजरात आंध्र में लेप्स कोटा अधिक हुआ और जिन्होंने उस माल को लिया तो अपेक्ष बैंक को जो माल मिला है उससे उसके अधिक भाव थे। मैं आपको हापुड़ की मंडी का उदाहरण देता हूं। दो तरह के व्यौपारी हैं एक कच्चे आढ़तिये और दूसरे पक्के आढ़तिये। कच्चे आढ़तियों की ओर से बुलेटिन निकलते हैं। हमारी कन्ट्री के जितने पेपर्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इण्डिया उनमें सबमें भाव निकलते हैं। जो भाव उस दिन माल आया उससे मिला लीजिये और दूसरी जगह से माल आया उसके भाव मिला लीजिये। आपको मालूम हो जायगा। मैं तो एक उदाहरण सिर्फ और देना चाहता हूं। नवम्बर में अपेक्ष मार्केटिंग को गुड़ दिया गया, ३० अक्टूबर को ऑर्डर्स हुए थे शायद, जयपुर में १७० नये पैसे के भाव चल रहे थे। १७० पैसे पर किलो से घट कर वे भाव १३० नये पैसे पर आ गये। जो अपेक्ष मार्केटिंग का माल बिका था वह ८५ से १०६ तक बिका था। सुपर गुड़ नं० १ और २। मेक्सिमम पर किलो १०६ नये पैसे से अधिक नहीं था। अब फ्री कर दिया तो १५० नये पैसे पर किलो है। सबसे बढ़िया चाकू गुड़ हमने १०६ नये पैसे पर किलो दिया। गुजरात-महाराष्ट्र का माल आया उसके भाव क्या थे इसकी एक जानकारी मुझे है। एक स्थान पर आंध्र का माल आया हुआ था। उसी स्थान पर अपेक्ष मार्केटिंग का माल पहुंच गया । एक आदमी मेरे पास आया कि मेरे पास माल आया हुआ है, आप भी उस माल को ले लीजिये। मुझे आपका यहां माल पहुंचते ही दो गाड़ी के अन्दर दस हजार रुपये का नुक्सान हुआ है। यह तथ्य है और मैं आपको यह सही कह रहा हूं। नमूना मेरे पास और है । आबू गया तो आबू के पास गुजरात के गांव में गया। अंबा में गया। मैंने सोचा कि मैं अपने लिये जानकारी ले लूं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कि आखिर तथ्य कितना है। शिकायत में तथ्य भी हो सकता है । जानकारी कर ही लेनी चाहिये यह सोच कर मैं वहां गया। वहां के आप ८ महीने में भाव मंगवा लीजिये और आबू रोड के भी मंगवा लीजिये आपको ज्ञात हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष, एक बात मेवे के सिलसिले की आती है। उसको कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हिन्दुस्तान में सब जगह के लिए मेवा बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब तक इम्पोर्ट लाइसैन्स प्राइवेट पार्टीज़ को ही मिलता रहा है। १७ साल तक उनको मिलाता रहा है। जयपुर दिल्ली में सब जगह वे ही लोग माल बेचते हैं। एक लाइसेंस नेशनल मार्केटिंग फेडरेशन को १७ वर्ष में मिला। जो व्यौपारी लाइसैन्स लेकर इम्पोर्ट करके ३६) किलो में बादाम बेचते थे तो हमने पहली दफा लाइसैन्स मिलने पर भी उसको २०) किलो के अन्दर बेचा। माननीय विरोधी पार्टी के नेता की पार्टी के आदमी की कही हुई बात ही आपके सामने कह देता हूं। मैं नागौर गया। उनकी पार्टी के अध्यक्ष मेरे पास आये। उन्होंने कहा कि हमें मेवा दीजिये, आपके पास सस्ता आया है। मैंने कहा कि बाजार में है ना? उन्होंने कहा कि बाजार में तो मंहगा मिलता है और कोऑपरेटिव में सस्ता है। सस्ता मेवा दिया। कलेक्टर के सामने उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव में मेवा आया वह सस्ता है। यह बात सही है कि भाव सस्ते थे। हम को तो एक बार ही लाइसेन्स मिला था और थोड़ा मिला था। हिन्दुस्तान के लाइसैन्स का ८० वां हिस्सा मिला था। हिन्दुस्तान में जितना मेवा मिल रहा है वह इम्पोर्ट लाइसैन्स के जरिये से मिल रहा है और मंहगा मिल रहा है, व्यौपारी मंहगा बेच रहे हैं उनके ऊपर कोई बन्दिशें नहीं हैं, कोई कन्ट्रोल नहीं है। अपेक्ष मार्केटिंग को जिस भाव में मिला उसी भाव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माननीय सदस्यगण ने और सब ही ने तारीफ की कि अपेक्ष मार्केटिंग के पास जो भी मेवा आया वह अच्छा आया और सस्ता आया। दुर्भाग्य की बात है कि लाइसैन्स मिला वह हिन्दुस्तान का ८० वां हिस्सा था। जो भी माल आता है तो खर्चे को निकाल कर नेशनल फेडरेशन का बिना मुनाफा लिये बेचने का प्रण है। हमने उनको लेटर लिख दिया है कि जितने कन्ज्युमिंग स्टोर्स हैं उनको डाइरेक्टर कोटा दीजिये और उनको मिलना चाहिये। कोई मानो पोली के दृष्टिकोण से नहीं कहा है।

एक बात अखीर में कहना चाहूंगा। पोलिटिकल थिंकिंग की वजह से आज कुम्भारामजी और सुखाड़ियाजी में दोस्ती होती है वह कुछ पार्टी के लोगों को सहन नहीं हो रही है। मैं समझता हूं वह चाहे कितनी ही कोशिश करें, उनके कहने से उनकी दोस्ती छूटने वाली नहीं। इस तरह की बातें हमें आपसी राजनैतिक वैमनस्यता निकालने के लिये करें यह ठीक नहीं है। आज दोनों नेताओं में किसी प्रकार से दोस्ती होती है प्रान्त की भलाई के लिये उसको विरोधी पार्टी निराधार आरोप लगाकर छुड़ाने की कोशिश करे यह हो नहीं सकता। आपके विरोध से कोई दोस्ती टूटेगी नहीं, वह और ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं जिन लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह आप बिचौलिये मिडल मेन और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः आप आम जनता के हित को समझ नहीं सकते। आप

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अपेक्ष मोर्केटिंग सोसाइटी और सहकारी समितियों के बारे में आपके ख्याल ठीक नहीं हो सकते। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूगा हूं कि आप चाहे किसी का प्रतिनिधित्व करें लेकिन किसान का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर जनता को गुमराह न करें। जब आप किसान का नाम लेते हैं तो उसका सही

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चित्र आना चाहिये। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं क्रय विक्रय-संघ के बारे में मेवे के बारे में, गुड़ के बारे में जो भी सदन में बातें कही गई उनका कोई आधार नहीं है। वे निराधार हैं, बेसलेस है बनावटी हैं। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब बहस की व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी। सवा ग्यारह बजे तक माननीय सदस्य इस पर बोल सकेंगे। उसके पश्चात् सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायगा, जिसमें दो मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इस समय को ११॥ बजे तक कर दिया जाय तो मेरी समझ में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि खाद्य मंत्री पहले भी डेढ़ घंटा इस पर ले चुके हैं अतः उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद भी अगर समय और आवश्यक होगा तो और बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय १ बजे बाद बढ़ाना उचित नहीं होगा। तीन दिन से ज्यादा समय इस पर बहस होते हो गया है। दो मंत्री महोदय एक योजना मंत्री और दूसरे खाद्य मंत्री इस पर बोलेंगे इसलिये मैं समझता हूं सवा ग्यारह बजे बहस समाप्त होगी। उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : जो टाइम बढ़ाया गया है उसमें सभी पार्टी को समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाददार।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंहगाई और खाद्य समस्या का प्रश्न है उस पर हमारे सदन में विचार हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब इस समस्या पर विचार करने का सवाल आता है तो राज्य सरकार की ओर से सफाइयां और दिक्कतें पेश की जाती हैं और यह बताया जाता है कुछ कारण इस प्रकार के हो गए जिनकी वजह से हम हमारे उद्देश्यों के अन्दर इस मंहगाई को दूर नहीं कर सके। मेरा केवल निवेदन करना यह है कि हमें इससे पहले पिछली बातों पर विचार करना आवश्यक है।

१९४७ के बाद जब देश आजाद हुआ हमारे राज्य के अन्दर और सारे देश के अन्दर खाद्य वस्तुओं के क्या भाव थे और उसके बाद हमने यह भी देखा तीन तीन योजनाओं में कार्य करने का आपको मौका दिया गया और आप बराबर जनता के सामने यह बताते रहे कि हमारे चरण प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। १९४७ में खाद्य वस्तुओं के भाव जो इस देश में प्रचलित थे वह भाव आज आखिर इस स्तर पर आ गए और फिर भी आप यह कहते हैं कि हमारे चरण प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इस प्रकार की दलीलों से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जनता को सांत्वना नहीं मिल सकती और न आश्वासन ही मिल सकता है। आप विरोधी पक्ष के लोगों से याचना करते हैं कि यह जो खाद्य समस्या का प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रकार का सहयोग विरोधी पक्ष का सरकार को मिलना चाहिए। दूसरी ओर यह चाहते हैं कि खाद्य समस्या के प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का आंदोलन न करें ? इस प्रकार से खाद्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता। खाद्य समस्या के सुलझाने के अन्दर जो दिक्कतें हैं वह इस प्रकार के आंदोलन से बढ़ जाती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी भारत का नागरिक ऐसा नहीं होगा जो खाद्य जैसी समस्या के हल करने में बाधा पहुंचाना चाहता हो। कोई भी यह नहीं चाहता होगा कि देश के अन्दर अनाज खाने को न मिले। लेकिन इसके विपरीत यह जरूर विचार करते हैं कि आपकी प्रगति इसी प्रकार से जारी रही जिन पोलिसीज को लेकर आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं, इन गये सत्रह सालों में जिस प्रकार से इस समस्या को आप डील कर रहे हैं वह तरीका आपका बिलकुल गलत है। आपकी पोलिसीज पर हमें अब भी सन्देह है। अगर आपकी यही पोलिसीज रही तो आगे भी खाद्य समस्या का सुधार होना मुश्किल है। निश्चयात्मक रूप से आप यह समझ लीजिए, अगर आपकी योजना के प्रगति के चरण इसी प्रकार बढ़ते रहे, लाखों करोड़ों रूपया खर्च कर दिया गया फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनायें नहीं बनीं, योजनायें बनी हैं देश का करोड़ों रुपया आपने अनाज के उत्पादन में खर्च किया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन की योजनायें नहीं बनी हैं। देश का करोड़ों रुपया अनाज के अधिक पैदा करने के लिए खर्च न किया गया हो यह बात नहीं है। अब कौन सा कारण रह जाता है जिससे देश में अनाज की इतनी कमी है। आज अनाजके लिए हमें विदेशों का मुंह ताकना पड़ रहा है। हमको यहांकी जनता के लिए वह से अन्न मंगाना पड़ता है। अगर देश अपने खाने के लिए अनाज भी उत्पन्न नहीं कर सकता तोउसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं हैं। आज स्थिति हमारे देश की यहां तक पहुंच गई है कि हमने आजादी के बाद आप लोगों पर विश्वास किया, जनता ने आप लोगों पर विश्वास किया और आपको आजादी के बाद देश की बागडोर सम्हलाई। हम सोचते थे हम खाद्यान्न के मामलों में आत्म निर्भर हो जायेंगे, हर गरीब की गरीबी को दूर करना है, अन्न देना है, कपड़ा देना है। एक तरह से एक डाक्टर के सुपुर्द एक मरीज को कर दिया गया। उसने उसका इलाज किया उससे जब यह सवाल पूछा गया कि मरीज की हालत क्या है तो वह कहता है कि ऑपरेशन तो ठीक प्रकार से होगया किंतु मरीज मर गया। The operation is successful, but patient is dead.

हमें इस प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जो किसी न किसी प्रकार की बाधायें बता देते हैं, दिक्कतें बता देते हैं। हमारे कार्य में इस प्रकार की अड़चनें आगई इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन इतना नहीं हो सका हमने तो इन्तजाम करने में कोई कमी नहीं

Page No. 68

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रखी, फिर भी देश के सामने दुर्भिक्ष आ पड़ा लोगों को खाने के लिए न मिले और यह कह दिया जाय कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया बदकिस्मती से मरीज मर गया। यह बात अब चलने वाली नहीं है। हम आपसे अपेक्षा करते थे। लेकिन जो आपका इन्तजाम करने का तरीका है, वह गलत है। आपके प्लान्स' हैं वे गलत हैं। इसलिए आपको लाजिमी तौर से सोचना पड़ेगा कि जिन फोर्सेज को लेकर आप आगे बढ़ रहेहैं, सदन को उनकी जरूरत नहीं। बेसिक रूप से देश की पैदावार को बढ़ाने के लिए, देश की उपज को बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन का जो सिलसिला शुरू किया है जो किसान खेती करने वाले थे उन को जमीन देने के लिए योजनायें बनायीं। आज हजारों और लाखों बीघा जमीन बंजर पड़ी हुईहै क्या उसको काबिल काश्त करने के लिए कोशिश की गई ? इसके लिए लाखों रुपया खर्च किया गया है, तकाविया दी गई हैं। इस तरह से राज्य सरकार ने पब्लिक एक्सचेकर पर बोझ डाल कर लाखों करोड़ों रुपयों की आपने योजनायें बनायीं लेकिन उसमें सही तरीका नहीं अपनाया। उसको भी आपने पोलिटीकल इश्यू बनाया। आप जमीन का अलॉटमेंट उन लोगों को करतेहैं जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की, जिनके पुरखाओं ने जूते गांठने का काम किया, उनको आप जमीन देते हैं वह कभी भी पैदावार नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यह नहीं कि अछूत भाइयों को जमीन न दी जाय। उनको भी ऊंचा उठाया जाय लेकिन खेती का काम करने के लिए खेती में जो माहिर हैं जो पीढ़ियों से किसान रहा है वास्तव में जमीन उसी किसान को देनी चाहिए थी।

(११.०० म० पू०)

आपको तकावी का रुपया उसको देना चाहिये था लेकिन आपने तो राजनैतिक कारणों को इसके लिये आधार बना लिया। उन्हीं को जमीनें देनी शुरू की जो या तो दफ्तरों में बैठकर हुकम चलाते थे या कलम चलाते थे। अगर आपके आंकड़ों को देखा जाय तो ५० परसेन्ट अलॉटमेन्ट ऐसे लोगों को किया है आपने जिन्होंने कभी खेती नहीं की। जिनको खेती का अनुभव नहीं था। तकावी लोन में से भी पचास प्रतिशत लोन ऐसा मिलेगा जिसको लेकर लोगों ने या तो अपने रहने के मकान बना लिये या पुराने कुए पर लीपापोती करके बता दिया कि नया कुआ बनाया है।

विगत १५-१६ वर्षों में जो आपकी शासन पद्धति और जो आपकी कार्य प्रणाली रही तरक्की और योजनाओं के इम्पलीमेन्टेशन के नाम पर आपने पब्लिक एक्सचेकर का करोड़ों रुपया बरबाद किया हैं और महंगाई और खाद्यान्न की कमी का जो संक्रामक रोग इस तरह से आपने आज से १७ साल पहले बोया था आज बढ़ते बढ़ते यह रूप उसने धारण कर लिया है कि देश में लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलता। मंहगाई अनाप-शनाप बढ़ती जा रही है।

एक तरफ दलील यह भी दी जाती है, एक सीमा तक मैं उसका विरोध नहीं करता वह दलील ठीक हो सकती है कि दुनिया में

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चारों तरफ मंहगाई बढ रही है। किसान के इम्पलीमेन्ट्स भी मंहगे हो गये हैं, जो चरस वह पहले ५) में खरीद लेता था ग्राज वह उसे पचास रुपये में खरीदना पड़ता है। ग्रगर बीस सेर का धान जो पहले उससे लेते थे ग्राज भी उसी भाव से लें तो उस कमाई के पैसे में वह केवल चरस ही खरीद सकेगा। दूसरी चीजें वह नहीं खरीद सकेगा। दलील यह सही हो सकती है। पर इसमें भी दोष किसका है ?

ग्राप ही लोगों पर ग्रावेगा यह दोष भी। ग्रापने इस प्रकार की योजनाएं बनाई, ग्रपने टेक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार के बनाये कि ग्राज उसका परिणाम यह हो गया कि कोई भी जीवनोपयोगी वस्तु ऐसी नहीं रह गई जो सस्ती मिल सके। ग्राप देख लें इस मंहगाई के ग्रांकडों को। १७ सालों में ग्रापने करोड़ों रुपया योजनाग्रों ग्रादि पर खर्च किया, इतना खर्च करने के बाद ग्रगर हमारी मंहगाई इसी तरह से बढती गई तो चौथी योजना ग्राने तक शायद पांच रुपये का सेर भर ग्रन्न भी नहीं मिल सकेगा।

तो निवेदन करता हूं कि यह करोड़ो रुपया जो ग्राप इन योजनाग्रों में खर्च करते हैं, उसका सदुपयोग करिये। यह मंहगाई क समस्या ग्राप कोई ग्रानन फानन में हल नहीं कर सकेंगे ग्रब। इ.के लिये लम्बी योजनाएं बनानी होंगी। जिन .योजनाग्रों के ग्रन्दर ग्राप ग्रब तक गलतियां करते ग्राये हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। यह कोई ग्रलादीन का चिराग नही हैं ग्रापके पास कि चिराग जलाया ग्रौर सब मसले हल हो गये। इसके लिये परिश्रम करना पड़ेगा। सोच विचार से योजनाएं बनानी होंगी। ईमानदारी से उसको इम्पलीमेन्ट करना होगा, ग्रापको ग्रपनी मशीनरी ठीक करनी होगी। ग्रपने स्वयं में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा।

यह कहा जा रहा है कि इन ग्रान्दोलन से, इन सत्याग्रहों ग्रौर भूख हड़तालों से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। मैं मानता हूं कि इससे खाने का ग्रन्न नहीं मिलने वाला है। ठीक बात है। पर ग्रापके द्वारा सदन में ग्रौर बाहर जनता को ग्रौर सदन के सदस्यों को झूठे ग्राश्वासन देने से भी ग्रन्न नहीं मिलने वाला है। समस्याग्रों का हल नहीं निकलने वाला है। महंगाई भी नहीं मिटने वाली है। ग्राप दस नहीं दस हजार ग्राश्वासन भी दे दें तो भी यह नहीं होने वाला है। ग्रापको तो इसके लिये गेहूं सब जगह वितरण करना पड़ेगा, सब जगह सस्ती दुकानों की व्यवस्था ठीक करनी होगी। मुनाफाखोरों ग्रौर जमाखोरों पर ग्रौर स्वयं ग्रपने पर ग्रंकुश लगाना होगा।

ग्राप इन ग्रान्दोलनों की ग्रालोचना कर सकते हैं। पर मैं विश्वास से कहता हूं कि एक मजबूरी की भी ऐसी स्टेज ग्राती है कि जब ग्राप निरन्तर गलतियां करते जाते हैं, पॉलिसी गलत बनाते हैं, उसमें गलतियां करते हैं जिन के परिणाम स्वरूप जनता को कष्ट उठाना पड़ता है तो ग्रापकी वे गलतियां जनता को बतानी पड़ती हैं। उससे ग्रापकी गलतियों के प्रति उनको जागरुक करना पड़ता है। ग्रापकी गलतियों से जो महंगाई की समस्या उपस्थित हो गई हैं वह वस्तुस्थिति ग्रौर उसका हल जनता को बताना पड़ता है।

हम ग्रापकी ग्रालोचना करते है वह इस

Page No. 70

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिये करते हैं कि आप सही रास्ते पर चले आवें, गलतियां करना बन्द कर दें। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, गलतियां करते हैं तो जो इन्टेलीजेन्ट होता है वह मोनिटर होता है। बच्चों में जो ज्यादा इन्टेलीजेन्ट होता है तो उसे मॉनीटर बनाते हैं। मानीटर और मास्टर बच्चों को कहते हैं कि तुमने यह गलती की, अब और करोगे तो फेल हो जाओगे। नम्बर कम आवेंगे। इसके बावजूद भी अगर बेवकूफ लड़का गलतियां करता है तो नम्बर कम आते हैं, और गलतियां करता है तो फेल हो जाता है। दो तीन चार बार फेल होता है तो स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से हम भी आपके साथी सहयोगी बनकर आपके हमदर्द बनकर आपकी गलतियां दुरस्त करने के लिए आपको आगाह करते है कि ऐसी गलतियां मत करो, पीछे से गलतियां करते आ रहे हो, उनको फिर दोहराने की कोशिश करोगे तो जनता की स्कूल में नाकामयाब हो जाओगे, इम्तिहान में फेल हो जाओगे और जनता की इस स्कूल में लगातार दो चार बार फैल होते गये, अपनी गलतियों को नहीं सुधारने से, तो समय आवेगा जब आपको इन कुर्सियों से निकाल बाहर कर दिया जावेगा।

तो जनता के सामने गलतियां करते जा रहे हो, तो सहयोगी के नाते

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हम आपसे उनको सुधारने का अनुरोध करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। मैंने केवल एक मुद्दा बताया है।

मैं आपके इलाके की बात करता हूं। गये साल अमेरिका ने एक लाख टन लाल ज्वार जानवरों को खिलाने के लिए दी आपको। पर हमारी विकट खाद्यान्न की समस्या से मजबूर होकर गरीब इन्सान जानवरों के खाने की ज्वार अपने खाने के अनाज में मिलाता रहा और उसके सहारे अपना जीवन यापन करता रहा। क्या ये बातें आपके सामने नहीं थी ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो यह आज की समस्या नहीं थी, गये साल से आपके सामने यह स्थिति थी। आपने इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी चेष्टा की ?

आप पर इल्जाम लगाया जाता है कि आटा फैक्ट्री में हजारों रुपयों का फायदा रोज होता है, ब्लेक में उसे बेचा जाता है, कन्ट्रोल से अनाज खरीदता है, आपको इसकी जानकारी है, फिर भी आप यह कहकर टालते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं तो इस पर मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि कई ऐसी बातें होती हैं भ्रष्टाचार की कि जिनमें डाइरेक्ट इवीडेन्सेज मिले या न मिले पर सरकम्सटेन्सेज ऐसे आ जाते हैं जिन पर से निर्णय निश्चित किया जा सकता है। आपकी नजर में एक बात थी कि वह ढाई तीन हजार रुपया रोज कमा रहा है लेकिन, आपने इसके बावजूद कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा तो आप यह कहकर बरी नहीं हो सकते कि हमारे अधिकार में नहीं था। सरकम्सटेन्सेज से, इम्प्लीकेशन से और प्रीजम्प्शन से आप पर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ये आरोप लगाये जा सकते हैं इससे अलग होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कीमों में और फूड पॉलिसी में राज्य सरकार गलतियां करती रही है उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

एक छोटी सी बात का सुझाव और देना चाहता हूं। जहां तक इस आयात किये गये गल्ले के वितरण का सवाल है इस पर भी आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। फूड एडवाइजरी कमेटी का आपने निर्माण कर दिया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक छोटी सी अन्तिम बात कहकर समाप्त करता हूं। काफी एम० एल० ए० को इसमें रखा गया। पर इससे समाधान नहीं हो सकता। समस्या यह आ रही है कि गल्ले के लिये कोऑपरेटिव सोसायटियां और कन्ज्यूमर्स सोसायटियों की दुकानें खोली हैं। उनके अन्दर सौ आदमी होते हैं तो एक हजार रुपया उनकी कैपिटल होती है। पर जो परमिट दिया जाता है जनको जिसके आधार पर वे गल्ला या और कन्ज्यूमर्स गुड्स खरीद सकतेहैं, शक्कर खीरद सकते हैं, तो पच्चीस-पच्चीस और पचास-पचास बोरे एक साथ दिया जाता है। चूंकि उनके पास इतना पैसा नही रहता कि वे एक साथ खरीद सकें उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे अगर उनको पच्चीस की जगह पांच-पांच बोरी करके देने की बात कहते हैं तो अधिकारी ऐसा करते नहीं। नतीजा यह होता है कि सरकारी अधिकारियों की कसमकस में उपभोक्ता को मिलने वाली चीज मिलती नहीं। सरकार और इन्तजाम करने वालों के झगड़े में नुकसान भुगतना पड़ता है गरीब पब्लिक को ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी लगातार)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह समस्या पहले भी मैं सरकार के ध्यान में ला चुका हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलकर इन्तजाम करिये और इनकी कठिनाई को भी दूर करिये ताकि जनता को खाने को अनाज मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : पहले तो माननीय सदस्य लम्बी बातें करते हैं और फिर सुझाव देने लगते हैं। यह सुझाव पहले देते तो इस बहस का ज्यादा उपयोग होता ।

श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य की मंहगाई की समस्या को लेकर तीन दिन से बहस चल रही है। आज हमारे सामने राजस्थान की दो करोड़ जनता इस बात के लिए त्राहि-त्राहि मचा रही है कि अनाज की कमी के कारण वह भूखों मर रही है। हमारे मंत्री महोदय ने कल भी अपने भाषण में इस बात के लिए कहा था और उन्होने कुछ समस्यायें बताई थीं जैसे कि वर्षा के नहीं होने के कारण, कुछ अकाल के पड़ने के कारण, कुछ शीत लहर के कारण

(श्री श्रवणलाल)

अनाज की पैदावार में १२ लाख टन की कमी हुई उसमें यह समस्या बनी है। मैं मानता हूं कि यह समस्या सर्दी के कारण या अकाल के पड़ने के कारण पैदा हुई है। इस बात के लिए हमारी सरकार को पहले ही मालूम था कि हमारे यहां इस कारण फसलें नष्ट हुई हैं और हमारे यहां राजस्थान में जनसख्या की बढ़ोत्तरी भी एक कारण बताया है तो यह कोई नये विषय नहीं हैं। अगर वह चाहते तो जो हमारा पहले सैशन चला था उसमें उन्होंने भाव निश्चित किये थे कि १४) १५) १६ रुपये तक गेहूं की निर्धारित रेट रहेगी लेकिन क्या हुआ ? वह नियम हमारे यहां १५ दिन भी नहीं चल पाये और जिन-जिनके पास भी अनाज था, जिनके पास काफी स्टॉक था, किसानों के पास भी था वह रुक गया और आज परिस्थिति यह हो गयी कि जिनके पास अनाज है वह भी उसको दबाकर बैठ गये। हमारी सरकार हर तरह के ऑर्डर्स निकालती है, यह घोषणा करती है कि जिस किसी के पास अनाज हो वह ५० क्विन्टल से ज्यादा नहीं रख सकता और अगर रखेगा तो उसको सरकार जब्त करेगी। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि जगह-जगह के स्टॉक चेकिंग किये जाते हैं लेकिन हमारी सरकार का इतना साहस नहीं है कि उनका गल्ला जब्त कर ले और जनता को अनाज बिकवा सकें। मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए अनाज चाहिए वह भूख से तड़प रही है। जनता को अनाज ही नहीं अनाज के साथ साथ गुड़, चीनी, वस्त्र और पीने के लिए पानी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार आज जनता के लिए अनाज की समस्या, गुड़ की समस्या, खाद्य की समस्या, वस्त्र की समस्या और पीने के पानी की समस्या सुलझा नहीं पाई है। मैं खास तौर से डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर की ओर हमारे मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह से पानी की कमी है और लोग किस तरह से त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। वहां पर ४ महीने का संकट आया है। वहां की औरतें पानी भरने के लिए रात के २-३ बजे जाती हैं तो स्वच्छ पानी मिल जाता है वर्ना जो देरी से औरतें जाती हैं उनको पानी इतना गंदा मिलता है कि उस पानी को देखें तो यह मालूम होगा कि हमारे यहां के मुख्य मन्त्री या विधान सभा के सदस्य जो उस ओर बैठे हुए हैं अगर वह उस पानी की शक्ल देखें तो कहेंगे कि इस पानी को पीकर यहां की जनता किस तरह से जिन्दा रहती है।

अनाज के अलावा हमारे यहां कपड़े की समस्या है और रोजाना के काम में आने वाली चीजें हैं उनके विषय में भी समस्या है। इस तरह हमारी जो परिस्थितियां हैं वह बढ़ती हुई चली जा रही हैं और हमारी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। अखबारों में भी हमको पढ़ने को मिलता है कि हमारे यहां अन्न की पैदावार तो कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम बनायें कि जिससे इस अनाज की कमी को हम पूरा कर सकें। हमारी सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मछलियां, मुर्गियां और मांस भी खाना इस्तेमाल करो। हमारी सरकारी इस विषय में नई नई योजनायें बनाती है। उन योजनाओं के बारे में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने कुक्कट शालायें खोली हैं। इ।

(श्री श्रवणलाल)

कुक्कट शालाओं पर हमारी सरकार पैसा खर्च कर रही है। उनमें यह होता है कि उनके अन्दर एक एक अंडा की कीमत ८७) रुपये आई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनकी रिपोर्ट में है कि एक मुर्गी के अंडे की कीमत ८७) रुपये आई है।

श्री भीमसेन (लूंणकरणसर) : वह सोने का अंडा होगा ?

श्री श्रवणलाल : इस बात के लिए मैं नहीं कहता कि वह सोने का है, चांदी का है या अनाज का है या और किसी भ्रष्टाचार का भरा हुआ है। तो आज हमारी सरकार इस बात के लिए कि एक अंडा जिसकी कीमत ६ न०पै० की बाजार में है उसकी कीमत वहां पर ८७) रुपये है।........

श्री हरीराम चौहान : वह किसी मंत्री की मुर्गी का अंडा होगा।

श्री श्रवणलाल : इस तरह से एक नहीं लाखों योजनायें इस तरह की होतीहैं। जैसा कि श्रीमान भैरोंसिह जी ने कई बार कहा था कि यह योजनायें किस तरह से बनाई जाती हैं, जितना पैसा खर्च किया जाता है और वहां देखने में आता है कि ४ कुए खुद जाते हैं और उनमें भी पानी नहीं होता और एक कुआ फूटा मिलता है। बांध के लिए कितने रुपयों की सेंक्शन होती है और वह भी फूटा हुआ मिलता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी

आज हमारी सरकार इस तरह की योजनाओं पर जो खर्च कर रही है वह सिर्फ ढकोसलेबाजी हैं, यों कहिये कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है। मैं थोड़ा सा आपके सामने इस बात के लिए कहूंगा जो यह भ्रष्टाजार का मामला चल रहा है। आज हमें मन्त्रियों के भाषण नहीं चाहिए, हमें उनके उद्‌घाटन नहीं चाहिये, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता के लिये अनाज चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें गेहूं ही नही, हमैं गेहूं की जरूरत नहीं है हमें चना दीजिये, जौ दीजिये, ज्वार दीजिये, बाजरा दीजिये लेकिन सस्ते भाव पर दीजिए।

इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां पर बहुत से माननीय सदस्य बोले थे, कि यहां जो हड़ताल की गई और जो ५०० आदमियों ने भूख हड़ताल की, उनमें एक भी गरीब नहीं था और वह पूंजीपतियों का वर्ग था। जो भूख हड़ताल की गई थी वह उन्हीं गरीब आदमियों की आवाज है, उन्हीं मजदूरों की आवाज है, किसानों की आवाज है जिनके कारण आज मुख्यमन्त्री अपना मुंह नहीं दिखा सके।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यही कहूंगा कि जनता के लिए इस बढ़तीहुई मंहगाई को रोकिए जिससे आप जनता को मुंह दिखाने के काबिल हो जायें वर्ना जिस तरह से मुख्यमन्त्री जी को मुंह छिपाना पड़ रहा है उसी तरह से आपको भी करना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

Page No. 74

(श्री श्रवण लाल)

तो मैं ज्यादा नहीं कहकर के साथ में भ्रष्टाचार के मामले में कहूंगा। हमारे यहां, अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि जनता के लिये ३ किलो गेहूं एक महीने के लिए दिया जाता है। आज हमारी सरकार नारा लगाती है कि हमने योजनायें बनायीं, हमने तकाबियां दी हैं, कुए खोदे हैं, मुर्गी पालन केन्द्र खोले हैं, डेयरी फार्म खोले हैं और जनता की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है लेकिन वह सब नही के बराबर है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हमारी सरकार जो अन्न का बन्दोबस्त नहीं कर सकती, पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सकती वह सरकार कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री श्रवणलाल : सिर्फ २ मिनट।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है।

श्री श्रवणलाल : एक मिनट सिर्फ दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं आपको ५ मिनट का समय दिया था और आप १० मिनट बोल लिए हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो यह अनाज की बढ़ती हुई मंहगाई है, जो गरीबों की समस्या है........

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

बेरोजगारी और मजदूरों की समस्या है इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत। माननीय सदस्य केवल ५ मिनट।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बराबर ३-४ दिन सूं अन्न समस्या के मंहगाई के ...

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : अध्यक्ष महोदय, उनको तो बहुत समय दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब सारा समय आपकी तरफ ही है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मंहगाई के सम्बन्ध में ईपक्ष की और सूं और बीं पक्ष का आदमियां ने बाता बताई। जिस प्रकार की अन्न समस्या राजस्थान में ले जा रह्या है बीका समाधान म्हारा मुख्य मन्त्री नहीं बता सक्या, खाद्यमन्त्री नहीं बता सक्या और जिका बांका टेड़िया हाउस में बैठ्या है नहीं बता सक्या....

Page No. 75

श्री अध्यक्ष : अब आप बता दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जी तरह सूं अन्न की मंहगाई होती जा रही है बीके सम्बन्ध में चारों तरफ त्राहि २ मच रही है, विसी त्राहि अठे बैठण वाला लोगों ने बिल्कुल दिखे नहीं और कोई वाजिब बात कहे तो ध्यान नहीं देवें।

थोड़ी सी बातां आपके सामने रखनीं चाहूं। जिका कानून अन्न के सम्बन्ध में जो वि : असेम्बली में लाया लाइसेंसिग आर्डर बीं लाइसेंसिग आर्डर में बहुत बड़ी भूल करी। बी भूल ने दो दिन बाद सुधारने की चेष्टा करी, लेकिन वा भूल सुधरी नहीं। बराबर एक के बाद दूसरा आर्डर देता रह्या। आखिर हालत या हुई कि ५४) ५५) का गेहूं ७२) ७३) क्विन्टल तक इस राजस्थान में लेग्या। गेहूं के साथ साथ बाजरों, ज्वार, मक्का, चिना, जिका गरीब लोगांरे खाणरो अन्न है बी अनाज की इसी स्थिति कर दी कि वे १५) १६) से चलकर आज २४) २५) पर पहुंच ग्या। मैं निवेदन करूं कि इसी पॉलिसी में कोई तथ्य नहीं हैं। बिलकुल आ बात ने समझ नहीं कि आज के खोलने सूं क्या स्थिति होगी। तीन दिन बार आर्डर दिया कि ३० प्रतिशत बाजरो बाहर भेज सके और ७० प्रतिशत अठे राखो। आ ही स्थिति चिणा री करी। चिणा बाजरा की जिकी स्थिति आ राजस्थान में नजर आये में आपका मारफत खाद्य मंत्री ने बतानो चाहूं कि खाद्य मन्त्री ने ३० प्रतिशत जिका अनाज बाहर भेजणरी आज्ञा दी वा १०० प्रतिशत बाहर चल्याग्या। क्यों चल्यां ग्या? एक बेपारी ने ३०० मण नाज खरीद्यों। ३०० मण खरीद्यो जिके ने १०० मण निकालणरी आज्ञा देदी। १०० मण के बाद ३०० मण की फिर खरीद दिखा दी और ३०० मण री खरीद दिखाकर १०० मण बाहर ले ग्या हालाकि एक ही दफा में ३०० मण खरीदा। ३ दफा की खरीद में ९०० मण की खरीद दिखा दी और ३०० मण ही अनाज बाहर चल्यां गया। चिणा की भी स्थिति आ है कि ३० प्रतिशत बाहर भेजा और ७० प्रतिशत अठे राखो। चिणा ३० प्रतिशत गंगानगर सूं लद गिया और ७० प्रतिशत सूरतगढ़ सूं लद गिया। सूरतगढ़ सूं लदाने में आ लोगों को पूरा हाथ है।

तो मैं निवेदन करूं कि ईढंग की स्थिति गेहूं कि आ जिके दिन आर्डर लागू करों ५) ७) रुपये भाव बढ़ गिया और बढने के बाद १३) १४ बीं वक्त कीमत तय करी तो १३) १४) को हमने विरोध किया कै ईमे नाज नहीं मिलेगा तो वां कीमत तय करने सूं किसानां रो अनाज बाजार में नहीं आयो और आज जिको रेटां रखी गई है ५३) ५४) की आ रेट पहले भी रखी जा सके थी। समझ सोचकर काम नहीं करे।

मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूं के जो अन्न अठे पैदा हुआ बी अन्न की दुर्दशा कर दो और जिको बाहर सूं अन्न आवे बीं अन्न की पूरी दुकाना नहीं खोली। राजस्थान भर को आप निरीक्षण करो तो आपने मालूम पड़ै कि जिका कस्बा में १० दुकानां होनी चाहिए वीं कस्बा में ३-४ दुकानें खोल रखी हैं। एक किसान १० कोस से चालकर अन्न लेने आवे तो २ रु० छ पैसे का ५ किलो अन्न मिलता है। बी अन्न की आ स्थिति है

Page No. 76

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

कि जिका पशुओं ने खाने को है वे देवे है और -बहुत बड़ो अहसान करे । जिका देशरो पशुओं रे खाने को है वीं पशुओं के खाने अनाज के वास्ते सुबह सूं सांझ तक आधा दिन खोटी हो, २ रुपया को रानगी खोटी हो, बीं अन्न ने देवे है । म्हारी कन्स्टीटुएन्सी में दुकानां चालै है । तीन दुकानां में सूं एक दुकान खुली रहे, वां में भीड़ इत्ती पड़ै के शुमार नहीं । लोगों ने पाच किलो में पाव अन्न कम तोल्यों जावे है । मैने तीन चार आदमियों की पोटली तहसीलदार के सामने तुलाई तो एक में २५० ग्राम कम, दूसरी में २०० ग्राम कम और तीसरी में १५०० ग्राम कम, आ स्थिति दिखें हैं पर जिके बारे में कहे कि अन्न की कमी कौने । सारी की सारी स्थिति स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है ।

बाजरो और चिणा को भाव जिका है बीं आपके सामने रखूं कि १७) १८) का भाव था वे आज २३) २४) का भाव बाजारा का म्हारे अठे कर दिया । चिणा का भाव अकाश छू रह्या है । अयां का निकम्मा लोग सरकार में बैठ्या है जाने मैं आपकी मारफत कहूं कि वे सरकार छोड़ दें । बिल्कुल अयोग्य और निठल्लै लोग हैं । आ मैं दिमाग की बात नही है कि कोई प्रबन्ध कर सके । आने चिढ़ है कि लेर लेर हस्यां करें जिकी लुगाया लेर लेर हस्यां करें । आप में म्हा-लोगों रो विश्वास है । आ लोगों के प्रति जल्दी सूं जल्दी जांच कराओ । आ लोग भ्रष्टाचारी हैं । भ्रष्टाचार को पनपाया है

श्री अध्यक्ष : जल्दी करें वीने माथे ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अन्न की समस्या भयंकरतम से भयंकरतम हो रही है बीमें विचार-विमर्श करे नहीं । कोई बात कहे तो विचार करे नहीं ।

क्रय-विक्रय-संघ के सम्बन्ध में जिका आपके सामने पूरे महीना सूं बातचीत आ रही है । ४-५ दिन सूं भी आपके सामने वा क्रय-विक्रय-संघ जिकी सूरत सूं बातचीत चाल रही है मैं आपके सामने बात रखूं कि कोई भी आदमी क्रय-विक्रय संघ के सम्बन्ध में जिका चापलूस लोग है जरूर सफाई देगा । म्हारे कने पक्का प्रमाण है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप अपने हकने क्यों रखें सरकार को पेश कर दें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करनो चाहूं कि क्रय-विक्रय-संघ भ्रष्टाचार को अड्डो है । भ्रष्टाचार का अड्डा की आ बात जिके दिन सुं आ शुरू हुयो बी दिन सूं खाद्यमन्त्री के और मुख्य मन्त्री के काना में पहुंचाई कि ई तरह सू भ्रष्टाचार नहीं रहनो चाहे । वा स्थिति मैं आपसे निवेदन करूं ...

श्री भंगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : आप जब चैयरमेन थे तब आपने कितना भ्रष्टाचार किया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह केसेज अभी पेंडिंग हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिल्कुल नहीं किया था ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जिका विरोध करण्या आदमी है ..

(श्री भगराज चौधरी और श्री मोहनलाल सारस्वत के साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अन्न ...

(श्री भगराज और श्री मोहनलाल सारस्वत के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय कम है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अ ास्थिति तो ए कर रह्या है ।

अगर मैंने किया है तो मैं जिम्मेवार हूंगा ।

क्रय-विक्रय-संघ में, अध्यक्ष महोदय, १०) रु०....

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आप चैयर मैन थे....(दोनों माननीय सदस्यों के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, सर । ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, सर !!

श्री अध्यक्ष : बोलिये प्वाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यहां म्युनिसिपेलिटी पर बहस नहीं हो रही है । अध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा कई बार इस तरह की सूचना और आज्ञा दी गई है कि किसी भी माननीय सदस्यको यहां पर किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ कहना हो तो वह पहले आसन को लिखकर दे और बाद में कहे । यह जो माननीय सदस्य (श्री भगराज चौधरी) इस ढंग की बात कर रहे हैं वह बिल्कुल उसके विपरीत है । इसलिए इन्हें बैठने के लिए कहा जाय । अगर वे नहीं कहने देंगे तो उधर का कोई सदस्य बोलेगा उसको नहीं बोलने देंगे ।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल सारस्वत: भ्रष्टाचार बढाते हो........

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीयसदस्य । आप केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार दोहरा रहे हैं, तथ्य रखिये । भ्रष्टाचार है या नहीं है वह बाद की बात है, लेकिन तथ्यपूर्ण भाषण देंगे तो इस तरह की बात नहीं होगी । आपको १० मिनिट का समय दिया गया था उसमें आपने यह नहीं बताया कि भ्रष्टाचार क्या किया ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह गुड़ और शक्कर का काम हुआ, उस गुड़ और शक्कर के क्रय विक्रय संघ ने जिन व्यापारियों

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

को परमिट दिए उनसे १०) मन यहां पर उन्होंने पहले ही ले लिया। उसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह व्यापारी यू० पी० में गया....

श्री मोतीलाल चौधरी : आप एक भ नमूना पेश करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ये मुझे बोलने नहीं देते....

श्री अध्यक्ष : आप रुकिये मत बोलते जाइये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : १०) मण तो उन्होंने यहां ले लिया और फिर क्रय विक्रय संघ का एजेण्ट वहां यू० पी० में बैठा था उसने क्या किया कि १०) मण बीजक में और बढ़वा दिया और इस तरह से और घोटाला किया........

एक माननीय सदस्य : वह एजेण्ट कौन था ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप लोग गुड़ में उनके खरीदे हुए हैं, इस भ्रष्टाचार....

श्री अध्यक्ष : फिर आप भ्रष्टाचार पर आ गये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इस वजह से १०) और १०) बीस रुपये बीजक में बढ़ गए फिर चलता है गुड़ वहां से और तहसील में आता हैं। तहसील में आने से पहले २०) भ्रष्टाचार के ले चुके, १०) क्रय विक्रय संघ खा गया और १०) यू० पी० में इनका आदमी × × × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × × × ×

श्री अध्यक्ष : आप किसी का व्यक्तिगत नाम न लें बिना लिखित रूप में पूर्व आदेश लिए। यह गलत परम्परा बन रही है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : २०) मण का गड़बड़ घोटाला यू०पी० से यहां आने तक हो गया। उसके बाद वह गुड़ क्रय विक्रय संघ के ऐसे एजेन्ट × × × × कोई×× ××

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपका भाषण बहुत हो चुका है। आपने जो भी व्यक्तिगत नाम लिये है वे प्रोसिडिंग्ज में से निकाल दिये जायेंगे। आप स्थान ग्रहण करलें। आपको १० मिनिट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : एक बात और कह देता हूं। यहां पर व्यापारियों ने कह दिया कि २०) मण क्रय विक्रय संघ वाले उड़ा गये हैं इसलिये ५०) ६०) मण के भाव से गुड़ लोगों को मिला। यह सही है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का समस्त भ्रष्टाचार क्रय विक्रय संघ में हुआ है उसकी जांच करनी चाहिये।

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से राजस्थान की

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री मथुरादास माथुर)

खाद्य समस्या पर इस सदन में विचार हो रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कल अपने भाषण में कुछ बातें रखीं। अब खाद्य समस्या के दूसरे बड़े २ मुद्दों पर राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रकाश डालेंगे। मैं माननीय सदस्यों के सामने केवल एक ही पहलू पर चर्चा करूंगा ताकि खाद्य मंत्रीजी जो बात कहेंगे उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं।

सदन के अन्दर सबसे पहले में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग और खास तौर से इधर बैठने वाले सरकारी और ट्रेजरी बैन्चेंज पर बैठने वाले

(११.३५.म० पू०)

(श्री भीमसैन, सभापति, पदासीन)

माननीय सदस्यों की ओरसे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकीहरेक बात को जितनी इज्जत से देखना चाहिए हम देखते हैं ....

श्री मानसिंह महार :- केवल आप ही देखते है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी बात कह दूं उसके बाद कोई बात रह जाए तो बाद में आप मुझसे पूछ सकेंगे। मैं चेयरमेन महोदय, कहना चाहता हूं कि गुड़ समस्या को लेकर गुड़ का वितरण क्रय विक्रय संघ द्वारा किया गया उसको लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने बातें रखीं........

एक माननीय सदस्य : कमीशन बैठा दें।

श्री मथुरादास माथुर : हम लोग गंभीरता से आप की बात सुन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने कोई मुद्दे रखे हैं कि उनकी जांच की जा रही है, की जायगी इसलिये यह मान लेना कि उधर बैठने वाले बात रखते हैं उनकी तरफ तवज्जह नहीं देते और हंसी में उड़ा देते हैं, यह धारणा गलत है। यह ठीक है कि यदि कोई हंसी में बात कहे तो हंसी में ले जायेंगे........

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप कुछ....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपकी स्पीच गंभीरता से सुनी है, मुझे भी सुन लीजिये। यदि आप हल निकालना चाहते हैं तो इस तरह कह कर हल नहीं निकल सकेगा। मैं इस तरफ सदन में बैठने वाले सब साथियों को विश्वास दिलाने के बाद निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम जो यहां बैठे हैं वे सहकारी आन्दोलन को 'मजबूत' करना चाहते हैं, जो हमारे यहां सदन में मुख्तलिफ दल के लोग हैं, जिनकी अपनी धारणाएं हैं सहकारिता के बारे में, कुछ लोग सहकारिता में विश्वास रखते है, कुछ लोग सहकारिता आन्दोलन में विश्वास नहीं रखते, यह भी विचारधारा हमारे देश में मुख्तलिफ पार्टियों की है इसलिये क्रय-विक्रय संघ जो एक सहकारी संस्था है उसने जो कुछ काम किया, राजस्थान में मुख्तलिफ दृष्टिकोण से

(श्री मथुरादास माथुर)

उस पर हमले हुए हैं। कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं, शुरू शुरू में कुछ आंकड़े वितरण हुए, कुछ गलतियां हुई हैं उनका क्रिटिसिज्म मैं समझ सकता हूं। लेकिन शुरूआत में जब भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स के जरिये यह ऑर्डर दिया था कि इन्टर स्टेट गुड़ का बाहर जाना बंद कर दिया जाय और राजस्थान सरकार का कोटा मुकर्रर करके यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश से गुड़ लाकर राजस्थान में वितरण करेंगे उस समय राज्य सरकार ने क्रय-विक्रय संघ जो सहकारी अपेक्स संस्था है उसके जरिये यह काम शुरू कराया। काम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही उसका क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म करने वाले वे लोग थे जो सहकारिता में विश्वास नहीं रखते। क्रय-विक्रय संघ के कारनामों पर या कार्यवाही हुई उस पर क्रिटिसिज्म हुआ वह दो तीन दृष्टि से हुआ। एक वे लोग हैं जो सहरिता का क्रिटिसिज्म करते आये है, जो सहकारिता में विश्वास नहीं रखते है। दूसरे वे लोग हैं जो सहकारिता में विश्वास रखते हैं, उसको पनपाना चाहते हैं उनको यह धारणा होगी कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार रहा वह नहीं होना चाहिये उसको ठीक करना चाहिये। वे लोग कोई विचार रखते हैं तो उन पर विचार होता है क्योंकि उनका मकसद और हमारा मकसद एक है........

श्री हरिराम : आपका मकसद यह नहीं है। आपका मकसद तो सहकारिता को बदनाम करना है।

श्री मथुरादास माथुर : यदि इस तरह से बहस चलती रही तो मजबूर है हम बता नहीं सकेंगे।

श्री सभापति : बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री मथुरादास माथुर : तो वे लोग हैं जो सहकारिता में विश्वास रखते है और सहकारी आन्दोलन को नीट एण्ड क्लीन रखना चाहते हैं, पनपाना चाहते है, सहकारी आन्दोलन का शिशु अवस्था में गला घोटने नहीं देना चाहते, उनके दिल में दर्द है........

श्री मुकुटबिहारी : चेयरमेन महोदय....

(व्यवधान)

खाद्य समस्या पर न कह कर सहकारिता के सिद्धान्त बखानने लगेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा........

श्री मथुरादास माथुर : मैं सहकारिता के सिद्धान्तों का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि सहकारी संस्था के ऊपर काफी आरोप आये हैं....

मोहनलाल सारस्वत : यह आरोप सही हैं, आप जांच कराइये।

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपने

Page No. 81

(श्री मथुरादास माथुर)

को सच्चा समझते हैं और जैसे झूंठ बोलते हैं। यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है और न सहकारिता का रूप हो सकता है।

मैं निवेदन कर दूं कि सहकारिता पर क्रिटिसिज्म हुआ है उसका मैं विश्लेषण कर रहा था। एक तो ऐसे लोग हैं जो सहकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं। और दूसरे वे लोग है जो विश्वास तो रखते हैं लेकिन वे चाहते हैं कि शिशु अवस्था में ही इस तरीके की बातों से इसे खत्म नहीं करना चाहिए। उन लोगों की बातों को सुन कर, उसमें यदि कोई बात सत्य है या कोई तथ्य है तो उनकी जांच कराने के लिए सरकार हमेशा तैयार है और तैयार रहेगी।

मैं निवदैन करना चाहता हूं कि थोड़ा बेक ग्राउन्ड में इसका दे दूं कि क्रय विक्रय संघ को गुड़ का काम क्यों दिया। इसलिए दिया गया कि आप और हम इस बात को चाहते थे कि अगर व्यापारियों की मार्फत इस गुड़ का काम किया गया तो जैसा आज तक होता रहा है, उसके अन्दर बिचौलियों को फायदा होगा। इसलिए यह सोचा कि हम सहकारिता के आन्दोलन को पनपायें। इससे एक तरफ सहकारिता का आन्दोलन पनपायेंगे, वहां लोगों को सस्ती और ठीक चीज मिलेगी। इसलिए यह फैसला किया। दूसरी चीज यह थी कि भारत सरकार की नीति यह थी, सहकारिता के आधार पर चलने वाली कोई संस्था इस गुड़ के काम को करती है तो राजस्थान का जो कोटा मुकर्रर किया गया था, उसमें वह वृद्धि कर सकती है। क्योंकि वह देखती है कि सरकार एक दो महाजनों का ही फायदा नहीं चाहती है बल्कि सहकारिता का फायदा चाहती है। इन दोनों बातों को सामने रखते हुए यह फैसला किया गया। तो नवम्बर के महीने में राज्य सरकार का फैसला होने के बाद क्रय विक्रय संघ को यह काम सौंपा गया, उससे पहले ही कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि यह तो क्रय विक्रय संघ के अधिकार में ही नहीं। आप उनके बॉयलॉज देख लीजिये। उसके बाद बॉयलॉज पूरे देख लिये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें क्रय-विक्रय संघ को अधिकार है कि जो भी किसानों की खपत की चीज हो, उसके अन्दर क्रय-विक्रय संघ काम कर सकता है। इसलिए क्रय-विक्रय संघ का काम किसानों की खपत की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का काम है, जैसा कि इसके शुरुआत में मालूम होगा कि रूरल एरिया में काम करने के लिए य क्रय विक्रय संघ बना....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Will you please put this particular section of its constitution on the table of the House.

कि वह अपने मेम्बर्स के लिए काम करेगा या व्यापार करेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसके विधान में से पढ़ कर सुना दूं। इसमें है— उत्तम बीज, खाद रसायनिक एवं अन्य उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध करना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसमें यह चीज है....

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुनिये। जो मैं कह रहा हूं यह मुझे कहने दीजिए। फिर प्रश्न पूछ लीजिए। ताकि मैं अपनी बात कह सकूं और आपकी बात भी सुन सकूं।

यह उनके बॉयलॉज में जो नियम हैं वह पढ़ कर सुनाया। इसके सम्बन्ध में और बताऊं तो फिर माननीय सदस्यों को एतराज होगा कि मैं सहकारिता के प्रिंसिपल रख रहा हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर—राजस्थान के अन्दर नहीं, देश के अन्दर ही नहीं, दुनियां के अन्दर दो तरह के पैटर्न, कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के बारे में हैं, यह दो तरह की पॉलिसी के आधार पर बनते हैं। एक तो जापान में जो कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स चलते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही, उनके उपयोग की चीजें वितरित करते हैं। जैसे टैक्स्ट बुक्स की सेल के कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स वहां यूनिवर्सिटी में चलते हैं, तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, जो उसके मेम्बर्स होते हैं, को ही बुक्स फरोक्त करती है और दूसरों को नहीं। यह पैटर्न जापान में है, दूसरे देशों में नहीं। ग्राम ग्राम में जो कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनसे उनके मेम्बर ही पर्चेज कर सकते हैं, उन मेम्बर्स के उपयोग की चीजें ही खरीदी जाती हैं और वे ही उनसे खरीद करते हैं। यह जापान का पैटर्न है। अमेरिका का पैटर्न है यह दूसरा है, वहां जो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं वे अपने मेम्बर्स को सामान बेच सकते हैं और अमेरिका के किसी नागरिक को भी बेच सकते हैं लेकिन उसका जो फायदा होगा, उसका डिवीडेंड सदस्यों को भी मिलेगा। इस तरह के दो पैटर्न मौजूद हैं। ये दो पैटर्न जो कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है उससे सम्बन्धित हैं। इसी तरह हमारे देश के अन्दर यह आज से नहीं है और हमने नहीं किया है बल्कि भारत सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरेशन ने, नेशनल फेडरेशन ने मिलकर तय किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी; कन्ज्यूमर्स सोसाइटी काम करे उससे और आदमी भी फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह जो समस्त भारत के लिए निश्चित नीति निर्धारित की है उसको मद्दे नजर रखते हुए देश भर के लिये जो नीति है उसमें परिवर्तन किया है कि कन्ज्यूमर्स स्टोर मेम्बर तक ही सीमित नहीं रहे। इस तरह के जो सवाल हैं, जो प्रिंसिपल के सवाल हैं वे देश के लेवल पर तय किये जाते हैं। ये दो पैटर्न और देशों में खासतौर से दो देशों में मौजूद हैं और हमारे यहां मौजूद हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो कुछ भी क्रय-विक्रय संघ काम करता है, जिन चीजों का वितरण करता है वह अपने मेम्बर्स को वितरण कर सकता है और आम जनता को भी कर सकता है। यह परम्परा रही है और इसी परम्परा को लेकर क्रय-विक्रय संघ को काम दिया गया कि वह देहाती इलाके में गुड़ का वितरण करने का काम करे। उसके बाद शहरी इलाके में भी आवाज उठाई गई कि गुड़ नहीं मिलता है। तो जब हमें गुड़ ज्यादा उपलब्ध होने लगा तो गुड़ के कोटे के वितरण का काम देहाती और शहरी क्षेत्र में क्रय-विक्रय संघ द्वारा किया गया। तो यह बात रखी थी कि क्रय-विक्रय संघ यह काम नहीं कर सकता है, उसकी सफाई मैंने दी।

Page No. 83

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कुल मिला कर राजस्थान के अन्दर नवम्बर से जून तक ५२,२५० हजार टन का कोटा भारत सरकार ने हमारे फूड मिनिस्ट्री को दिया, एलॉट किया। इन महीनों में अलग अलग महीने में कितना मिला, उसके आंकड़े रखने की आवश्यकता नहीं। इतने कोटे का भारत सरकार ने परमिट दिया, यू० पी० से गुड़ लाने का ५२,२५० हजार टन का। कोटा नवम्बर से जून तक मिला। उसमें से क्रय-विक्रय संघ ने ३६,८७० हजार टन, नीअर अबाउट ४० हजार टन गुड़ वितरित किया, उसमें से थोड़ा व्यापारियों को भी दे दिया गया, इस ४० हजार टन में से करीब ४हजार टन व्यापारियों के मार्फत बिकवाया गया। वह क्यों बिकवाया गया, यह भी मैं बता दूं। शुरुआत में दिसम्बर में खासतौर से, क्योंकि नवम्बर में तो कोटा एलॉट हुआ था, हमारे सामने डिफीकल्टी आई क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश से लाना पड़ता था। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से लाने के लिए ही कोटा एलॉट किया था। हम दूसरी जगह से नहीं ले सकते थे। जब तक कि वह और जगह एलॉट न कर दें। दूसरी बात इसमें यह थी कि जो कोटा मिला था वह हमें उत्तर प्रदेश मुख्तलिक मन्डियों से देता था। वहां के जो फूड कमिश्नर हैं, वे कोटा एलॉट करते थे। वह उत्तर प्रदेश की बीस-बाइस मन्डियों से अलग अलग कोटा एलॉट करते थे। उसमें हमें दिक्कत थी। इसलिए यह जो ऐतराज या उसके सम्बन्ध में हमारे फूड विभाग ने लिखा, क्रय विक्रय संघ ने भी लिखा। पर्सनल लेवल पर बात भी की गई कि जो नियरेस्ट मण्डियां हैं, जहां गुड़ प्रोड्यूस होता है वहां कोटा दिया जाय बनिस्वत दूसरे इलाकों में कोटा एलॉट किया जाय जिन इलाकों में गुड़ पैदा नहीं होता है। अगर वहां एलॉट करते हैं जहां गुड़ पैदा नहीं होता है तो वे दूसरी जगह से खरीद कर लाते हैं और फिर बेचते हैं। यह जो तकलीफ हमारे सामने आई तो हमने भारत सरकार को कहा, उत्तर प्रदेश को कहा, फूड कमिश्नर के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर को कहा। मै भी उन दिनों यहीं पर था। मैंने भी ट्रंक काल किया कि यह नीति ठीक नहीं है। तो दूसरी यह परेशानी रही।

तीसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमको कोटा मिलता था तो कोटा मिलने के एक सप्ताह भर मिलता था माल उठाने को। बीस, बाइस तक आप फिगर्स और तारीख देख लीजिये, भारत सरकार से कोटा अलॉट होता था और महीने के अन्त तक उसको उठाना पड़ता था। हम लोग वहां पहुंचते थे और गुजरात वगैरह के लोग भी वहां पहुंचते थे। इस तरह सप्ताह भर के अन्दर डिमान्ड ज्यादा हो जाती थी और सप्लाई लिमिटेड रहती थी। नतीजा यह होता था कि भाव बढ़ जाते थे। आज इसकी वहां जांच हो रही है लेकिन जो बीस से तीस तक का रिकार्ड है, उसके अन्दर आप भाव देख लीजिये उसमें पांच रुपये, दस रुपये का फर्क पड़ जाता था। इस बीच में माल उठाना पड़ता था। इस बीच में इतना समय नहीं रहता था कि चीज को हम देख लें कि वह अच्छी है या बुरी है, अच्छी तरह से एक्जामिन कर लें। और यह शर्त थी कि तीस तारीख को कोटा लेप्स होते ही उत्तर प्रदेश उसको डिस्पॉज ऑफ कर देता था बनियों की

मार्फत। आप यह समझ लीजिए कि सहकारिता का आन्दोलन है वह शिशु अवस्था में है और इस अवस्था में सहकारिता के आंदोलन को जो बड़े बड़े व्यापारी और दूसरे लोग सहकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं, सेवोटेज करने की कोई कम कोशिश नहीं करते थे और वे इस तरह भाव बढ़ा दिया करते थे। तो हमने यह लिखकर दिया कि जो नवम्बर के कोटे में तारीख दी थी, हमारी दिक्कतों को देखते हुये दिसम्बर की परमिट में उस लिमिटेशन को बढा दिया जाय....

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय....

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे कहने दीजिये। दो मिनट आप सब्र रखिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं समझता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर को सारे का सारा और यू० पी० का ज्ञान नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे ज्ञान नहीं हैं या आपको ज्ञान नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप जो रिप्लाई दे रहे हैं उसमें तथ्य नहीं हैं, आप लीपा पोती की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब चालीस और पचास रुपये मन का भाव था उन दिनों राजस्थान में हेरा फेरी की वजह से सत्तर, पिचहत्तर और अस्सी रुपये मन के भाव से बिका है। आप कहते हैं कि यू० पी० का परमिट मिलता था उसमें यह दिक्कत थी। जो मेन बात है वह है करप्शन की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इन्टरप्शन न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्होंने तो अपना भाषण ही शुरू कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ सब्र करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप भी सही स्थिति को बतावें।

श्री मथुरादास माथुर : आप बैठ जाइये और सुनिये। आप नहीं सुनेंगे तो मेरा कसूर नहीं है। आप मेरी बात को तो पहले सुन लीजिये।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं भी तो तथ्य ही आपके सामने रखता हूं।

(शोरगुल)

मैं बैठ जाऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अगर माननीय मंत्रीजी कुछ डेफिनेट चार्जेज लगाये हैं उसके बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप शांति से सुने तो सही। मैं उन्हीं बातों पर आ गया हूं।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सारस्वत : हम भी तो आपके सामने फेक्ट पर कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जब हम सफाई की बातें कहते है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह आप कहते हैं वह गलत कहते हैं।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास आंकड़े हैं और हम दे सकते हैं।

(शोर गुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कोई तरीका है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो कुछ बातें कहीं उनको हमने सुनी हैं और हम जो आपको कहते हैं उनको भी आपको सुनना चाहिये चैयरमेन महोदय, मैं तीन पॉइन्ट निवेदन कर रहा था कि यह डिफिकल्टी हमारे सामने पेश आई और हमने लिखित रूप में इसको दी। हमने कहा कि हमारा रिक्वीजिशन बढ़ाना चाहिये। हमने चार बातें यह कहीं कि प्राइवेट लोगों को यह फेसिलिटी दी जावे और शुरू में क्रय-विक्रय संघ ने यह बीड़ा उठाया। किसी दूसरे लोगों ने यह नहीं उठाया क्योंकि इसमें पूंजी का काम था। कई जगह जब गाड़ियें पहुंच गई तो वहां पर उठाने वाला नहीं रहा। डेमरेज लग रहा था। जिस समय डेमरेज लग रहा था तो हमने कलेक्टर को कहा कि डेमरेज लग रहा है इसको उठा दो। चार हजार टन का कोटा नवम्बर और दिसम्बर में आया था वह प्राइवेट पार्टीज को दिया गया। उसके बाद में कोई कोटा किसी प्राइवेट पार्टीज को नहीं दिया गया।

एक माननीय सदस्य : गुड़ में बहुत गड़बड़ी हुई है........

श्री सभापति : आप प्रश्न बाद में पूछ लें।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बाद चैयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर पहले क्रय-विक्रय संघ का एक व्यक्ति था जो गुड़ खरीदता था हमने फिर फैसला किया कि तीन व्यक्ति वहां पर जावें और उसमें एक कोऑपरेटिव की तरफ से और एक फूड का रिप्रेजेन्टेटिव हो। अतः ये तीनों मिलकर वहां पर खरीददारी करते थे। पहले सोसाइटीज को इसके लिये कहा गया लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वे इतना धन्धा कर सकें। उसके बाद में जहां पर मार्केटिंग सोसाइटीज थी और जहां नहीं थीं वहां पर प्राइवेट कोऑपरेटिव सेवा समिति को मौका दिया मगर यह भी नहीं कर सके तो हमने बिज़नेस मैंनों को मौका दिया और इसके लिये

(श्री मथुरादास माथुर)

कलेक्टर को हुक्म दिया। मगर जब कोई इसके लिये तैयार नही हुआ तो पांचवी स्टेप में हमने इनको मुकर्रर किया यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का भ्रम न रहे और जो भ्रम है वह दूर हो जावे। इस प्रकार का प्रबन्ध करने के बाद भी कई तरह की शिकायतें हमारे सामने आई। मैं माननीय सदस्यों के जो मेरे से मिले थे बाकी कोई मिलने के लिये नहीं आया। मैं यहां पर नही था बाहर था और जब लौट कर यहां पर आया तो मुझ से मिले थे। मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और मेरे पास भी एक दो सदस्यों के अलावा किसी ने लिखित रूप में जो बातें यहा पर कही जा रही हैं, हमें नहीं कहा। अखबारो में निकला है। यह जनरल बात है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपको बात करने की फुर्सत ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप ही सदन के एक सदस्य नहीं हैं। यह तो भ्रष्टाचार को रोकने का सभी का काम है। आप कितने पाक साफ हैं। आप अपना दामन उठा कर देख लीजिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप भी अपना दामन उठा कर देख लीजिये और मैं भी अपना देख लूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं........

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपकी जो राजनीति है वह सब हमने देख ली है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहीं भी कभी सरकार को लिखा हो कि हमारे यहां भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आप बता दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपको मालूम नहीं है। जब आप गृह मंत्री थे तो मैंने लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर : अब आप मेरी सुन लें।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो माननीय सदस्य को इसलिये कह रहा था कि वे बहुत जोर जोर से कह रहे थे और गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं, इतना गला उनको आज नहीं फाड़ना पड़ता। मैं यह कहूंगा कि कुल ४० शिकायतें इस प्रकार की चीफ मिनिस्टर के पास और मेरे पास आई और उन सबको पढ़ कर मैंने उनमें से १४ इस्यू निकाले हैं। बहुत सी शिकायतें ऐसी थी जिसमें यह था कि कमीशन ज्यादा ले लिया कुछ शिकायतें उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश के व्योपारियों ने भी शिकायतें की, उन सब का निचोड़ निकाल कर मैंने १४ इश्यूज निकाले। और हमने इसकी जांच करने के लिये हमारे यहां से एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो एक आई. ए. एस. ऑफिसर हैं मुकर्रर किया कि वह उसकी जांच करे और वहां के चीफ सैक्रेटरी और मिनिस्टरों को लिखा कि उनको सहयोग

Page No. 87

(श्री मथुरादास माथुर)

दिया जावे। १५ या १६ दिन हो गये। २७ तारीख को........

(करतल ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टी मीटिंग में तय किया गया है क्या? अभी तो बात समाप्त ही नहीं हुई कि पहले ही तालियें बजने लगीं।

श्री मथुरादास माथुर : २७ तारीख को मैंने हुक्म दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तालियें गलत समय पर बजाई गई, यह हाउस नोट करे।

श्री मथुरादास माथुर : इन शिकायतों की जांच करवाई और इन लोगों से बातचीत की जिन्होंने शिकायत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्क्वायरी एक सप्ताह में जहां तक उम्मीद है होकर जहां तक उत्तर प्रदेश की समस्या है मेरे पास आ जावेगी। जहां पर जिले की शिकायतें हैं इसके लिये इन्क्वायरी की जावेगी और जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ बनेंगे उनका अदालत में चालान किया जावेगा। और जिनके खिलाफ क्रीमिनल एक्शन नहीं बनेगा उनके खिलाफ जो कार्यवाही कर सकते हैं वह की जावेगी।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इन्क्वायरी आप करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : मैं करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : If you are sincere about the enquiry are you prepared to have a Judicial enquiry? We have no faith in your enquiries.

श्री मथुरादास माथुर : पहले जो इन्क्वायरी हो रही है उसकी तो इन्क्वायरी हो जावे और उसके बाद में क्या कार्यवाही करें, इसकी जांच कर लें उसके बाद संतोष नहीं हो तो जो कुछ चाहे तो........

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इस इन्क्वायरी को सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एन्क्वायरी कराते हैं तो एतराज, एन्क्वायरी नहीं कराते हैं तो एतराज। मैं कह रहा हूं एन्क्वायरी हो रही है। मुझे तसल्ली है कि जो अफसर एन्क्वायरी कर रहे हैं वे इन्डिपेन्डेन्ट हैं और इन्डिपेन्डन्टली एन्क्वायरी करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिनिस्टर इन्वोल्व्ड हैं तो आपके ताबे जो अफसर है वह क्या एन्क्वायरी करेगा If the Ministers are involved, your Assistant Registrar cannot dare.

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि जो जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग की है वह चलते रास्ते नहीं होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस एन्क्वायरी की रिपोर्ट आप सदन की मेज पर रख देंगे क्या? You make it public.

श्री मथुरादास माथुर: मैं कह रहा हूं, आप सुनिये, उस एन्क्वायरी कमेटी की

(श्री मथुरादास माथुर)

रिपोर्ट के एक एक पैरा पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मै यह पूछ रहा हूं कि उस एन्क्वायरी रिपोर्ट को आप सदन की मेज पर रख देंगे क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है ?....

श्री मथुरादास माथुर : नहीं वह नहीं आई है । हमने कहा था कि यह बहस हो उसमे पहले हमने वह मंगाई थी पर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है । वह एन्क्वायरी रिपोर्ट आ जाने पर जो दोषी होगा, चाहे वह राम हो, चाहे वह कोई सिंह हो, चाहे कोई चन्द हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी .

श्री मुकुट बिहारीलाल : १४ केसेज पर एन्क्वायरी हो रही है

श्री मथुरादास माथुर : नहीं ४० केसेज पर ।

श्री मुकुट बिहारीलाल इसके अलावा और कई पॉइन्ट हैं ...

श्री रामकिशन (वैर) : जो शिकायतें क्रय-विक्रय संघ के खिलाफ पुलिस में हुई हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस में हुई हैं, वह भी हैं, १७ कम्प्लेन्ट्स में कोई ऐसा इश्यू नहीं बचा है, । पुलिस मे जो शिकायतें हुई हैं वह भी और माननीय सदस्यों ने यहां बहस में जनरल बातें कही हैं, मुद्दे नही रखे हैं वह भी, हमारे उसमें शामिल हैं, रिपोर्ट पेश होने पर वक्तन फवक्तन सदन मे उनके सम्बन्ध में रख दिया जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने में क्या एतराज है ? जैसा कि आपने कहा, इण्डिपेन्डेन्ट ऑफीसर हैं, उनकी रिपोर्ट पर आपको भरोसा है तो सदन को भी उस पर पूरा भरोसा है । हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को सदन की टेबिल पर रख दिया जाय और यहां सदन में उस पर बहस हो ।

श्री मथुरादास माथुर : ज्योंही रिपोर्ट आये, इमिजियेटली नहीं रख सकूंगा क्योंकि उसमे एक्शन लेने में बड़ी रुकावट होगी । एक्शन के अन्दर आपको शंका हो तो आप कह सकते है । रिपोर्ट को आते ही सदन की मेज पर रख दिया जाय तो एक्शन लेने में बड़ी कठिनाई हो जाती है । रिपोर्ट में कोई बात हो और हम दबा कर बैठें, ऐसी बात तो नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): माननीय चैयरमेन, में इन्टरशप्न तो नहीं करना चाहता पर इस सरकार की यह आदत हो रही है, हमको यह कटु अनुभव है कि अपने आदमियों को बराबर बचाने की चेष्टा सरकार करती आई है इसलिये कोई ताज्जुब नहीं कि अब भी वह करवाये । अगर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कराई जा रही है तो जुड़िशियल एन्क्वायरी कराने में सरकार क्यों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हिचकिचाती है ? इसमें सर्विसेज का कोई प्रश्न नहीं। सहकारी आन्दोलन के हम विरुद्ध नहीं हैं यदि वह ठीक ढंग से चले। पर सहकारिता में भ्रष्टाचार हो तो सरकार को विरोधी पक्ष की बात को एक हद तक मान कर यह कहना चाहिये कि जुडिशियल एन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हैं। अगर तैयार नहीं है तो यह सब बातें बेकार हैं, अन्ततोगत्वा यही होगा कि लीपापोती हो कर सब खत्म होगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय चैयरमेन महोदय, मैं विरोधी दल के नेता की भावना का आदर करते हुए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग के पहले, तथ्य, फैक्ट्स आने चाहिये। जब तक कि फैक्ट्स फीगर्स नहीं हों, जनरल शिकायत आई है इन सबको देख कर प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी कराई जा रही है, प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी हमारे सामने आये, प्राइमा फेसी बनने के बाद जुडिशियल एन्क्वायरी की बात करें। तो जब तक फैक्टस फीगर्स नहीं हों प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हो, जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं कराई जा सकती। एक जुडिशियल एन्क्वायरी हमारे यहां हुई थी उसका नतीजा क्या हुआ, कमेन्ट्स क्या हुए उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से इसकी जांच की जा रही है और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें जो एन्क्वायरी होगी उसमें किसी को बचाने की न राज्य सरकार कोशिश करती है और न करेगी। १७-१८ दिन से एन्क्वायरी हो रही है। आप भी किसी आदमी के खिलाफ जब तक कि प्राइमा-फेसी जब तक नहीं हो जाय तब तक एन्क्वायरी नहीं करेंगे। रूल्स बने हुए हैं कायदे कानून बने हुए हैं, उनके आधार पर चलना पड़ता है। तो चैयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गुड़ को ले कर जो बातें कही गई है, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्यों ने और अन्य माननीय सदस्यों ने बातें रखीं। इस सम्बन्ध में जो चार्जेज लगाये, कोई फैक्ट्स फीगर्स के साथ नहीं लगाये। मैंने बराबर मिनट्स पढ़े हैं, जो आपने चार्जेज लगाये हैं। आपकी भावना को देखते हुए जो एन्क्वायरी हो रही है, उस एन्क्वायरी के हो जाने के पहले जुडिशियल इन्क्वायरी की या कमीशन की मांग इस वक्त वाजिब नहीं है। रिपोर्ट आ जाने पर सरकार एक्शन नहीं ले तो फिर आपको अधिकार है कि इस तरह की मांग करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल : छोटा सा निवेदन है चैयरमेन महोदय, मैं सहकारी मंत्री की भावना की कद्र करता हूं पर उन्होंने कहा कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, मैं समझता हूं ईमानदारी से कार्यवाही हो रही है पर उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि में जिस तरह की बातें रखीं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिवा लीपापोती के और कुछ नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : जो सत्य है, वही मैंने सदन के सामने रखा है।

श्री मुकुट बिहारी लाल : आप न तो इसमें कोई विश्वास रखते नहीं इसलिये आपसे निवेदन है कि जुडिशियल इन्क्वायरी के द्वारा ही इसका निराकरण हो सकेगा, जुडिशियल

(श्री मुकुट बिहारीलाल)

इन्क्वायरी से आपका कॉओपरेटिव मूवमेंट भी पाक और साफ हो जायगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर सर....

(शोरगुल)

श्री सभापति : आनरेबल मिनिस्टर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आन ए पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन सर....

श्री मुकुटबिहारी लाल : सभापति महोदय, हम आपकी व्यवस्था मानते हैं ।

(शोरगुल)

आपने ऑफीसर नियुक्त किया वह कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : मिस्टर विश्नोई, आई. ए. एस. अफसर हैं एडीशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटीज़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जुड़िशियरी के नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जुड़िशियरी के आदमी को तो हाई कोर्ट मुकर्रर करता है, हम नहीं कर सकते :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे इससे कतई सेटिस्फैक्शन नहीं हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : (खाद्य मंत्री): चैयरमेन महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : I have been called by the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह जापान में कोआपरेटिव्ज़ काम करती हैं, उन कोआपरेटिव्ज के एम्स और ऑब्जेक्ट्स के अन्दर जापान का जो तरीका है, वहां पर क्या हुआ है । वे अपने मेम्बर्स को ही ले सकते हैं । बाजार से नही । इसलिए क्रय विक्रय संघ का कान्स्टीट्यूशन और जो दूसरे कोआपरेटिव्ज हैं, उनमें मेरा संदेह है । अगर आपका अमेरिकन टाइप है तो उसका क्लैरीफिकेशन एम्स और ऑब्जेक्टस का पूछना चाहता हूं कि क्या वे चीजों का व्यापार कर सकेंगे । इस लिए क्लैरीफिकेशन चाहूंगा कॉन्स्टिटीट्यूशन का और आपका जो एक्ट है उसके अनुसार क्या पोजीशन है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो जापान का पैटर्न है वह अपने देश में नहीं है । अब इसके ऊपर दो मत हो सकते हैं । यह ऑल इंडिया का सवाल है, विचार हो रहा है अपनी स्कीम ऑफ के अंदर यह मारकेटिंग फेडरेशन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी सहकारी मन्त्री महोदय ने जो क्रय विक्रय संघ की जांच हेतु याचिका प्रस्तुत की । सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ भी सदन को आश्वासन दिया कि उन्होंने इस सबंध में क्रय विक्रय संघ द्वारा जो नोटि-फिकेशन निकाला है उसकी जांच करने के लिए

Page No. 91

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एडीशनरल जिस्ट्रार को मुकर्रर किया कि जो बहुत जल्दी इस सबंधं में रिपोर्ट देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह ठीक है लेकिन । जिस प्रकार की परिस्थितियों में ये सारी चीजें हुई और जो आपने पहली बार जानकारी दी है कि एक अफसर को मुकर्रर किया है एन्क्वायरी करने के लिए तो मैं समझता हूं कि इस सबंधं में जानकारी दी जा सकती थी राजस्थान के कोने कोने में, सब क्षेत्रों में कि पंचायतों को या पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को या सारे विधान सभा के सदस्यों को जो तथ्य उनके पास हैं वे पेश करें। आज २७ से लेकर १३ तारीख तक १६ दिन तक किसी को भी जानकारी नहीं दी, अखबारों में प्रचार नहीं हुआ । मैं निवेदन करता हूं कि इस सबंधं में ओपन एन्क्वायरी की जाय तो ज्यादा उचित होगा और ज्युडिशियल एन्क्वायरी इस सबंधं में करेंगे तो बार बार आपको एन्क्वायरीन हीं करनी पड़ेगी । एक बार डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करें, दूसरी बार ज्युडिशियल एन्क्वायरी, तो ठीक नहीं । आज आपने नाथद्वारा एन्क्वायरी की बात कही कि कैसी कमेंट्स चीफ जस्टिस के लिए की। उस पर मैं सहमत हूं लेकिन उसके बावजूद ज्युडिशियरी के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर सब लोगों का कान्फीडेंस हो । ४५ विधान सभा सदस्यों ने जो आज यहां पर मौजूद हैं, इस सबंधं में ज्युडिशियल एन्क्वायरी की मांग को लेकर एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं । वे चाहते हैं कि राजस्थान क्रय-विक्रय संघ द्वारा किए गए खरीद और फरोख्त या और जितने भी घोटाले हैं उनकी ज्युडिशियल एन्क्वायरी की जाय । इस मांग पर ४५ सदस्यों के दस्तखत हैं । यह कागज आपकी सेवा में प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वास्तविक रूप से इस सम्बंधं में यदि ईमानदार हैं और अगर आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, तो इस मांग को स्वीकार करने से जो राजस्थान में वातावरण बना है, वह शांत हो जायगा और विरोधी पक्ष के लोग समझेंगें कि सरकार हमारी बात को डेमोक्रेटिक वे में मानती है । आप कोई भी इन्डिपेंडेंट ज्युडिशियल ऑफिसर इस सबंधं में अपोइंट करें और मैं समझता हूं कि सरकारी मंत्री, आप सीनियर मंत्री हैं । लड्ढा साहब से क्या सलाह करते हैं, मुख्य मन्त्री से सलाह कीजिए । आपके डिपार्टमेंट से आर्डर निकलता है कि एग मार्क खरीदा जाय उत्तर प्रदेश की मन्डियों से । आपके एडीशनल रजिस्ट्रार एन्क्वायरी कर रहे हैं कि वह जो गुड़ खरीदा गया वह स्टैंटर्ड क्वालिटी का नहीं था, आप उसकी एन्क्वायरी कराएं कि उन्होंने कितने आर्डर्स दिये और उसका कम्प्लायेंस नहीं हुआ। He will be a witness in the enquiry. The Addl. Registrar जो कोई भी है, will be a wintess in that enquiry. उन्होंने आर्डर्स दिये थे उनका कम्प्लायेंस नहीं हुआ। इसलिए जो विटनेस है वह एन्क्वायरी कमिश्नर नहीं हो सकता । इसलिए मैं फिर पुर जोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस संघ के बारे में जितनी भी चर्चा को लेकर मांग खड़ी हुई तो, आप सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखकर विरोधी पक्ष की आवाज को स्वीकार करें । यह लोकतन्त्र के हित में होगा और सहकारिता के हक में होगा । मैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उम्मीद करता हूं कि आप ज्युडिशियल एन्क्वा-यरी की मांग को स्वीकार करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में अपने दल की ओर से भी इस बात के लिए मुख्यमन्त्री से कहना चाहता हूं कि यह सरकार अॉपोजिशन के प्रति कितनी रिस्पेन्सिव है, यह बतायें । हमने बाहर भी और यहां पहले भी सहकारिता आंदोलन बनाने के लिए हमारे दल से अपनी नीति के अनुसार आवाज उठाई है । परन्तु जिस तरह से ये सारी भ्रष्टाचार की बातें हुई हैं वे दरअसल सहकारिता आंदोलन को मजबूत नहीं बनातीं । इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए । जिस लेविल का यह मामला है उसमें सबोर्डिनेट ऑफीसर की इन्क्वायरी किसी तरह का कान्फिडेंस पैदा नहीं कर सकती । इसलिए मैं मेरे दल की तरफ से मांग करूंगा । सब लोग इस बात में सहमत हैं । हम अपने आदमी को अपॉइन्ट करने के लिए नहीं कहते । आप एक सीनियर ज्युडिशियल ऑफीसर को जो हाईकोर्ट जज की लेविल का हो या उसके कैलीबर का हो उसको एपॉइन्ट करके एन्क्वायरी करायें जिससे सहकारिता आंदोलन को बल मिलेगा, इससे जो भी विरोधी तत्व हैं उनके हाथ कमजोर होंगे इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि ज्युडिशियल एन्क्वायरी इसकी होनी चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे यह जानकारी मिली है कि जो अफसर एन्क्वायरी कर रहे हैं वह इस संघ के डाइरेक्टर हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि सरकार अपनी हठधर्मी पर कायम रहती है तो मैं समझता हूं कि Democracy is a Government of compromises यदि सरकार की प्रतिष्ठा में कोई कमी आती है तो जिस ऑफीसर को आपने कायम किया है, एन्क्वायरी करने के लिये, उसको भले ही आप रख लें, लेकिन उसके साथ एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को एसोशियेट करें और यह टू मैन ट्रिब्यूनल एन्क्वायरी करें तो आपको क्या आपत्ति है ? मगर यह भी आप नहीं मानते तो मेरे ख्याल से स्वाभाविक है कि हम लोगों के मन में तरह तरह की आशंकायें उत्पन्न होंगी और आपकी हठधर्मी के कारण आपकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, जो अभी विरोधी दल के नेता ने कहा उसका पूरा समर्थन करता हूं और मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इस सारे कांड की ज्युडिशियल एन्क्वायरी न हो जाय तब तक राजस्थान के समाचार पत्रों में उनका यह वक्तव्य कि इस संघ के चेयरमैन को मन्त्रिमन्डल में लेने का विचार है, इस प्रश्न को नहीं उठायेंगे क्योंकि यदि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से उस तरह के लोगों को कैबीनेट में लेना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा । साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करूंगा कि मैंने भी उस मेमोरेण्डम पर दस्तखत किये हैं कि आप इसकी ज्युडिशियल जांच करें तो उसके अन्दर....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सबको आपने बोलने का टाइम दिया है।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय........

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमन्त्री गृह) : वे बोल चुके हैं।

He should not be allowed to speak on behalf of any party.

उनकी पार्टी की तरफ से श्री रामानन्द जी बोल चुके हैं।

(शोरगुल)

कई माननीय सदस्य : दो पार्टियां हैं।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़।

श्री हरिराम चौहान : हिंदुस्तान में दो पार्टियां हैं इसकी। पार्लियामेंट में भी दो पार्टियों को बुलाया जाता है। सारे हिंदुस्तान में यह है।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़।

श्री हरिराम : मैं यह बता देना चाहता हूं कि जितनी रीजनेबल मांगें हैं, जितनी न्यायपूर्ण मांगें हैं और सरकार उनकी स्पेशियली इन्क्वायरी कराना चाहती है तो सरकार को उसमें क्या ऐतराज है? क्यों नहीं सरकार उनके लिये राजी हो जाती है? हम यह बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय सदस्यों ने कहा कि लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है और ज्युडिशियल इन्क्वायरी की जो हमारी मांग है उसको स्वीकार नहीं करते हो तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बता देना चाहता हूं कि इसका सदन में भी डटकर विरोध किया जायगा और बाहर भी इसका डट कर विरोध किया जायगा। सरकार को इसको लाजमी तौर पर मानना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की भावना और जो कुछ तथ्य यहां रखे गये हैं या बाहर रखे गये हैं उनके बारे में ध्यान न देने का प्रश्न उतना नहीं है जितना कि इस बात को देखने का है कि जो एलीगेशन्स गवर्नमेंट के सामने आये हैं, आज क्रय विक्रय संघ के बारे मे मौका है और ऐसे मौके हो सकते हैं किसी और संस्था और चीजों के लिये ये बातें आयें, हम किस प्रोसिजर को इस मामले में अपना कर चलें। आज तक देश के अन्दर जो इस प्रकार के ज्युडिशियल और दूसरे प्रकार के ट्रिब्युनल्स सेट अप किये गये हैं उनके बारे में जो परम्परा और तरीका अपनाया गया है वह सबके सामने है, उन बातों को लक्ष्य में रखते हुये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करें।

दूसरा अभी प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि इस सम्बन्ध में एक आई. ए. एस. अफसर को सारी इन्क्वायरी करने के लिये डेपूट किया गया है। यदि आज इस बात को मान कर चला जाय कि कोई अफसर गवर्नमेंट के अन्दर है, वह इन्क्वायरी कर ही नहीं सकता और किसी माने में इन्क्वायरी करके नहीं चल सकता है यह गलत परम्परा है ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी मुझे माफ करिये....

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जो आई. ए. एस. ऑफिसर इसकी इन्क्वायरी करने के लिए लगाये गये हैं वे एक्स ऑफिशियो इस बोर्ड के डाइरेक्टर हैं नोमिनेटेड बाई दी गवर्नमेंट ? वे क्रय-विक्रय संघ की क्या जांच करेंगे। वे तो उसमें खुद विटनेस हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक वे डाइरेक्टर हैं वे एक्सऑफिशियो केपेसिटी के अन्दर हैं। एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होने से उनके द्वारा इन्क्वायरी करने से ओपिनियन प्रिजुडिस हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर माननीय सदस्यों का यह खयाल हो कि चूंकि वे वहां पर डाइरेक्टर हैं इस कारण इन्क्वायरी प्रिजुडिस हो जाती है और कोई अफसर अपॉइन्ट किया जा सकता है वह इन्क्वायरी कर ले उसके लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपको कह दूं........

(शोरगुल)

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि २७ तारीख से अब तक कइयों को मालूम नहीं हुआ कि कोई इन्क्वायरी हो रही है और शिकायत करने वालों को शिकायत पेश करने का मौका नही मिला। मैं अभी प्लानिंग मिनिस्टर से बात कर रहा था और मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले १५ दिनों में किसी के पास और कोई शिकायतें हों वे उनको इन्क्वायररिंग अफसर के पास भेज दें, उनको देख कर इन्क्वायरी करा लेंगे। टाइम लिमिट इसमें ऐसी कोई नहीं है कि इस टाइम के बाद यदि कोई शिकायत आयगी तो उसको एन्टरटेन नहीं किया जायगा। वह बात करने के लिए तैयार है। आगे के प्रोसिजर के लिए कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने बताया कि इन्क्वायरी की रिपोर्ट आजायगी, एक्शन के बारे में जांच कर ली जावेगी और सदन को जानकारी उसकी दे दी जावेगी। सदन के माननीय सदस्यों की भावना को कोई स्थान न दिया जा रहा हो और छिपाया जा रहा हो यह ऐसी बात नहीं है। प्रोसिजर का सवाल है कि किस प्रोसिजर से इन्क्वायरी की जाय। डिस्ट्रस्ट करके चलने का सवाल नहीं है जब अफसर को इन्क्वायरी के लिए लगाया है। जो तथ्य सदन में आये हैं और जो फैक्ट्स और होंगे उनको इग्नोर करके वह नहीं चल सकता। जैसा कि सदन में कहा गया है कि मंडी में गुड़ सस्ता था

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और क्रय-विक्रय संघ ने मंहगा खरीद लिया कोई अफसर यदि फैक्ट्स हैं तो उनको इग्नोर करके नहीं चल सकता और अपनी गलत रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो उन फैक्ट्स के आधार पर ही तो रिपोर्ट सामने आवेगी। तो कोई कारण ऐसा नहीं है जिसके लिए यह कहा जाय कि हमारी जो भावना है उसकी आदर करने की बात नहीं करना चाहते हैं, यह बात नहीं है। सदन के सामने यह प्रश्न आने से पहले ही हमने इन्क्वायरी शुरू कर दी थी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्क्वायरी पूरी हो जाने दें और जो बात हो उसको देख लें। इस प्रकार इन्टेन्शन पर डाउट न करें तो अच्छा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय चेयरमैन, मुझे खेद है माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया वह असंतोषजनक है। यह एक लीपापोती और पक्षपात है। अतः

(शोरगुल) (व्यवधान)

इसके प्रोटेस्ट में मैं अपनी पार्टी सहित सदन से वाक आउट करता हूं।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्यमंत्री) आपको संतोष कभी होगा नहीं।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पक्षपात पूर्ण कार्यवाही है....

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री महोदय स्वतन्त्र और निष्पक्ष इन्क्वायरी नहीं करना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरीके का रवैया सरकार ने अपनाया है, जिस प्रकार की लीपा पोती की है, इस मामले में मिनिस्टर तक इन्वोल्व्ड हैं और इसलिये उसकी सबोर्डिनेट ऑफिसर से इन्क्वायरी कराना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हैं इसलिए मैं सदन से इसका प्रोटेस्ट करते हुए मेरी पार्टी सहित वाक आउट करता हूं।

(पार्टी सहित बहिर्गमन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका यह पक्षपात पूर्ण रवैया है और इसके विरोध स्वरूप मैं अपनी पार्टी सहित सदन से वाकआउट करता हूं। आप स्वतन्त्र जांच नहीं कराना चाहते हैं।

(जनसंघ पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वैरी शेमफुल आप लोग लाखों रुपयों पर इस तरह से पर्दा नहीं डाल सकते।

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार की ईमानदारी का पर्दाफाश हो चुका है और इसके प्रोटेस्ट में हम वाक-आउट करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री हरीराम : अध्यक्ष महोदय, हम जो कहना चाहते थे उसको सुना नहीं गया, जो इन्क्वायरी वास्तव में जिस ढंग से कराना चाहिये वह नहीं करायी जा रही है, वे प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं....

(शोरगुल--व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : There cannot be any statement on walk-out, Sir. They can safely walk out.

(शोरगुल)

श्री हरिराम : मैं इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री हरिराम द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : He must be asked to walk out Sir.

(शोरगुल)

खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद (पूर्व क्रम से)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयर-मेन महोदय, इस सदन में तीन रोज से खाद्यान्न के बारे में जो चर्चायें चल रही थीं उनमें जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया उनके विचारों को मैंने बहुत गम्भीरता के साथ सुना है। माननीय चेयरमेन महोदय, यह खाद्यान्न की समस्या, जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है, सारे देश की समस्या है और यह समस्या हमारे देश में आज जिस रूप में सामने आयी है उसका मुख्य क्या कारण है, किन लोगों पर इस समस्या का ज्यादा असर हो रहा है और किस तरह से हम उसका जो असर हो रहा है उसको कम कर सकते हैं? हमारे देश की भारतीय सरकार और अन्य प्रान्तों की सरकारें इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्ष में लगी हुई हैं। माननीय चेयरमेन महोदय, इस सदन के सब माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि जबसे हमारा देश आजाद हुआ उस आजादी के बाद इस सदन में डीड़-वाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस स्थिति का दिग्दर्शन इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने करवाया, उससे सब देश के लोग वाकिफ हैं। आप जैसा जानते हैं कि यह देश हमारा, हिन्दुस्तान- जिसमें ७५ फीसदी लोग खेती करते हैं और आज से नहीं पीढ़ियों और कदीम से करते हैं और जो कुछ एग्रीक्ल्चर का इस देश में उत्पादन होता है उसमें खाद्यान्न का उत्पादन हम हमेशा से उतना नहीं कर पा रहे है जितना कि हमारे इस देश की जनसंख्या की आवश्यकता है और उसका परिणाम समय पर आजादी के बाद हुआ है, वह हमारे सामने आता रहा है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं संवत् १९५६ के अकाल की। जिसके बारे में कल विरोधी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दल के नेता और बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उस समय हिन्दुस्तान में अन्न की कोई समस्या नहीं थी, रुपये का ३२ सेर बाजरा मिलता था, बीस और पच्चीस सेर का गेहूं मिलता था। सब तरह की चीजें उपलब्ध थीं,लोग आराम से रह रहे थे। जो समस्या आज देश के सामने आयी उस प्रकार की समस्या उस समय कोई नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं जिस छप्पनिये की साल की बात माननीय सदस्य कह रहे थे उस छप्पनिये को कोई नहीं भूल सकता। उस समय लोगों के पास में काफी अनाज था लेकिन खरीदने के लिये पैसा नही था। यह राजस्थान और हिन्दुस्तान के सब लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान में अन्न की कोई कमी नहीं थी उसके बावजूद भी इस राजस्थान में और हिन्दुस्तान के सब लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान में लाखों की संख्या में लोग मारे गये। उस समय खाद्यान्न के होते हुए भी फिर क्या कारण था कि लाखों लोग मर गये। बंगाल के फेमीन की बात मुख्य मन्त्री महोदय ने कही थी उस समय ब्रिटिश राज इस देश में था। खाद्यान्नों की बहुतायत थी फिर भी लोगों के पास अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं था, बेरोजगारी थी। खरीदने के लिए पैसा नहीं था, उसका असर यह हुआ कि लाखों की तादाद में लोग भूख से मर गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे आप यह बताना चाहते हैं कि उस समय से यह समय अच्छा है और इसीलिये आपने यह बहुत बढ़िया इन्तजाम किया है........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पूर्व परिस्थितियों को बता रहा हूं वह इसलिये कि जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उस समय खाद्यान्न की स्थिति बहुत अच्छी थी

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय संगठन नहीं था, लोगों पर सरकार का विश्वास नहीं था ...

(शोरगुल--व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, sir, सभापति महोदय, इसके लिए हमारे रूल्स बहुत साफ हैं। जिस समय कोई स्पीच चल रही हो उस वक्त कोई भी इन्टरप्शन नहीं होना चाहिये। इसके संबंध में हमारे रूल्स बहुत साफ हैं और उसका पालन होना चाहिये। अगर कोई शंका हो तो बाद में स्पीच समाप्त होने पर उसका समाधान करवा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपका यह कहना है कि आसन इस परम्परा को नहीं निभा रहा है। it is aspersion on the chair.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सत्ता के मद में आसन का अपमान कर रहे हैं जो विरोधी पक्ष के लिये सहन करने से बाहर है........

(शोरगुल--व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : क्या आप आसन को इस तरह से गाइडेन्स देना चाहते हैं यह

(अनेक मा० सदस्य)

हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आज की हालत में इस देश के अन्दर जितने खाद्यान्न की आवश्यकता है उतना खाद्यान्न का उत्पादन हम देश में नहीं कर पा रहे हैं, यह सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट के लोग भी जानते हैं और आम देश की जनता भी जानती है कि देश में खाद्यान्नों की कमी की वजह से चावल और गेहूं हमें बाहर से मंगाना पड़ता है।

डीड़वाना से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े देकर यह बताया कि १९५१ में हमारे देश में आयात कितना था और कितने बड़े पैमाने पर था और हमारी योजनाओं के चालू होने के बाद हमारे यहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़ा है। जो बाहर से आयात होता था उसमें निरन्तर कमी आयी है और इस तीसरी योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक पिछले चार सालों के औसत प्रोडक्शन का अन्दाज लगायें, उन आंकड़ों को देखें, तो आप यह महसूस करेंगे कि हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन ७४ मिलियन टन से ७८ मिलियन टन हुआ है। आज देश की आबादी और जन-संख्या जिस गति से बढ़ रही है उसको देखते हुए हमारे देश में ८२ मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। इसी लिये आज हम चावल और गेहूं का बाहर से आयात इस देश में करते जा रहे है और करना पड़ रहा है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बचे हुए तीसरे योजना के अन्तिम साल में, चौथे या पांचवे वर्ष में देश और केन्द्रीय सरकार और हमारा योजना आयोग इस बात के लिये विचारशील है कि फूड प्रोडक्शन की रफ्तार ३।। परसेन्ट बराबर रही है उसको बढ़ाकर पांच--छः परसेन्ट तक ले जाना चाहिये। इस तीसरी योजना में सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये केश प्रोग्राम्स हाथ में लेने का निर्णय किया है, तीसरी योजना के डेढ़-दो साल के अर्से में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की ओर ध्यान दें जिससे उत्पादन की रफ्तार ३।। परसेन्ट लगभग पड़ती है, वह सात या आठ परसेन्ट तक होजाय।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में खाद्यान्न की जो समस्या है वह एकाएक खड़ी हो गई वह आने वाले चन्द महीनों में बिलकुल दूर हो जायगी, यह कतई मैं नहीं कह सकता। हम आने वाले चन्द महीनों में फूड प्रोडक्शन इतना बढ़ा लेंगे कि जो समस्या खाद्यान्न की हमारे यहां रहती है वह सुलझ जायगी, यह नहीं हो सकता, इसके लिए आने वाले कई वर्षों तक इस स्थिति में से गुजरना पड़ेगा।

हमारी तीसरी योजना के इन दो सालों के अन्दर उत्पादन की गति को तेज बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम में केश प्रोग्राम हर राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके लिये एडीशनल रिसोर्सेज भारत सरकार प्लान के सीलिंग के अलावा उपलब्ध कराकर फिशरीज, एग्ज, वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, सब्जियें, फल आदि के उत्पादन की ओर कदम उठाने जा रहे हैं। जिससे हमारे खाद्यान्न को सब्सीडाइज्ड कर सकें। आज हमारे हिंदुस्तान में

(श्री नाथूराममिर्धा)

हम देखते हैं खाने में अन्न की मात्रा बहुत होती है। यदि इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे सफल होते हैं तो हमारे खाने की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। इस प्रोग्राम को तेज गति से चौथी योजना में भी चालू रखने का हमारा और भारत सरकार का इरादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को अन्य देशों की जानकारी देना चाहता हूं जो सिरियल्स के मामले में बहुत सरप्लस हैं। इतनी सिरियल्स का उत्पादन करने पर भी हम खाद्यान्न में डेफीसिट हैं इसका मुख्य कारण यह है हमारी जो डाइट्स की आदत हैं वही इसका मुख्य कारण हैं, जो सिस्टम हमारे यहां वर्षों से चला आ रहा है उसमें केलोरीज़ की प्रधानता न होकर केवल ग्रेन की मात्रा अधिक रहती है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे हैं और आप केलोरीज़ की बातें करते हैं। भूखों को खाने के लिए अनाज चाहिये न कि केलोरीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके कहने के मुताबिक लोगों का डायामीटर बदल गया है ?

(शोरगुल - व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन हजार करोड़ रुपया ब्लेक का मनी है उसके बारे में जो बातचीत चल रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं ? उसके बारे में सरकार सौदा कर रही है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ही अक्ल की दलील देते हैं केलोरीज़ चाहिये ? जहां खाने को अन्न नहीं वहां आप केलोरीज़ बढ़ाना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप फिशरीज, एग्ज़ आदि का प्रोडक्शन बढ़ानेकी बात करते हैं, एक प्रतिशत वर्ग ऐसा है जो इसको काम मे लेता है। बाकी के लोग तो अनाज को काम मे लेते हैं उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ; यह बतलाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीबों को रोटी देने की बात कहिये। हमें नवाब सिराजुद्दौला का दस्तरखान नहीं चाहिये। मुर्गे-मुसल्लम नहीं चाहिये। फ्रूट और ड्राई फ्रूट, अन्डे और फिशरीज़ नहीं चाहिये,ये तो आपको मुबारिक रहें। आप मुर्गे मुसल्लम और फिशरीज़ की बात करते हैं। अनाज चाहिये गरीबों को तो खाने को।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सभी पॉइन्ट्स पर आऊंगा। वक्त पर आऊंगा। इससे पूर्व देश के लोगों की जो खाने की आदत है उसकी भूमिका जो मुझे समझानी है, समझाऊंगा। जो आप मुझसे कहाना चाहेंगे वह नहीं कहूंगा। अपनी पार्टी की नीति के बारे में जिक्र करूंगा।

(शोरगुल - व्यवधान -अश्रव्य)

श्री सभापति : Order Please

श्री नाथूराम मिर्धा: आप जिस तरह से क-ह

Page No. 100

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लाना चाहते हैं, वह नहीं कहूंगा ।

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री हरिराम चौहान : यह जवाब लेकर रहेंगे ।

(शट अप, बैठ जाइये की आवाजें,

शोरगुल , अश्रव्य)

हम उनकी बातें सुनने को तैयार हैं, उनकी इज्जत करने को तैयार हैं अगर ये तीन सेर का अनाज दिला दें और अगर न दिला सकें तो स्तीफा देकर अपने पद से हट जायें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया, दूसरे देशों में खाद्यान्न उनके डाइट का २० प्रतिशत हिस्सा होता है, जबकि हमारे देश के लोगों के डाइट में खाद्यान्न का हिस्सा ८०, ८५ और ९० प्रतिशत तक होता है ....

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: वे केले सेर भर खाते हैं। आप खिलायेंगे यहां सेर भर केले ? कैसी-कैसी बहकी बातें कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं ? आप हिंदुस्तान के लोगों को क्या पेटू सिद्ध करना चाहते हैं । क्या आप केलोरीज़ की बात कर रहे हैं। सन्तरा और केला खिला रहे हैं, मक्खन और मछली-अण्डे खिला रहे हैं। दूसरे देशों के भोजन की यहां बात कर रहे हैं। क्या दलीलें हैं इनकी, जवाब नहीं है इनका। कहते हैं ८०, ९० प्रतिशत अन्न खाते है। पेटू हैं जैसे वे ।

(शोरगुल - व्यवधान - अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा: अगर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मेरी बात को नहीं सुनना चाहते हैं और सभापति महोदय, आपका हुक्म हो तो फिर बन्द कर दूं बोलना मैं । उनके कहने से जैसा वे कहलाना चाहते हैं वैसा नहीं कह मकता । मुझे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है । देश के लोगों को सही खाने की आदत रखनी है ।देश के लोगों के कर्तव्यों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल :आपको तो जवाब इस सदन को देना है, यहां कही गई बातों का देना है, हम जो जवाब चाहते हैं उन बातों का देना है, देश के कर्त्तव्य तो आप बाहर जाकर बताते रहें । आप जवाब इस बात का दीजिये कि आपने अनाज खरीदने की बात कही थी, वह आपने क्यों नहीं खरीदा ? आपने भाव तै किये पहले उन भावों पर आपने अनाज क्यों नहीं खरीदा,भावों को कंट्रोल क्यों नहीं किया, ऊपर क्यों जाने दिया, इस बात का जवाब दीजिये । इधर-उधर मत जाइये । आप जवाब दीजिए सीधा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं एक एक पॉइन्ट पर जवाब दूंगा । आप सुनने का साहस रखें । मैं उठाये गये हरेक मुद्दे का

Page No. 101

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जवाब दूंगा । मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक एक मुद्दे का जवाब दूंगा । पर मैं मेरी बात अपने तरीके से कहूंगा और आपको सब्र और सन्तोष रखना पड़ेगा और घण्टे दो घण्टे तक भूख-हड़ताल भी रखनी पड़े तो रखनी पड़ेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यूज़लैस चीजें आप मत दोहराइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको सारी चीजें यूज़लैस लगती हैं और खामखां हंगामा करने की इच्छा रहती है ।

एक तरफ खाद्यान्न की कमी, उसकी ज्यादा खपत करने की आदत, देश में योजनाओं के जरिये, जैसा मुख्य-मन्त्रीजी ने बताया, ज्यादा धन का बढ़ जाना और साथ साथ लोगों की खरीद शक्ति का बढ़ता जाना, इनकी वजह से जो कुछ भी आज अनाज है जिसे पहले कम लोग खाते थे, दूसरे अनाज ज्यादा खाते थे वे भी आज गेहूं अधिक खाने लग गये हैं । इस तरह से गेहूं की मांग ज्यादा बढ़ी है । और इस तरह से सारी स्थिति में परिवर्तन आया है और आता जा रहा है । इन सब कारणों से आज जो यह तस्वीर खड़ी हुई है इन योजनाओं द्वारा आये हुये रुपये का असर है । उत्पादन में भी कमी हुई । तो आज हम एक प्रोसेस में से गुजरते गुजरते एक स्टेज पर आये हैं । जिस प्रकार मंहगाई का असर पिछले आठ दस महीनों में पड़ा है उसका असर अन्न पर भी पड़ा है ।

मैं कहूं जिन मुनाफाखोरों और जमाखोरों के बारे में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके साथ इस सरकार की सांठ-गांठ है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस वजह से खाद्यान्नों की कीमतों पर असर हुआ ? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वे कहते हैं वह तरीका उनको मुबारक हो । मुझे इस में कुछ नहीं कहना है । पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक तरफ खाद्यान्न की जितनी मांग है उसकी पूर्ति लोकल प्रोडक्शन से नहीं कर सकते । इम्पोर्टेड व्हीट की और चावल की हमेशा से जरूरत रही है । हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की । जिस तेज रफ्तार से क्रय शक्ति लोगों की बढ़ी है और जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है अन्न की और उसके बीच में जो ट्रेड की एजेन्सी है जिस पर कि सरकार का नियन्त्रण, जो एक कानून के जरिये या ऑर्डर्स के जरिये था वह भी एक समय तक नहीं था और जो वह समस्या होने के बाद लागू करना पड़ा जिसकी वजह से उन व्यापारियों में पैदा हुआ रोष और विरोध सभी इसमें कारण हैं । व्यापार में जो नया दृष्टिकोण इनको अपनाना था और सरकार को सहयोग देना था वह नहीं दिया । चीन के आक्रमण के वक्त में उनके दिमागों में दूसरे प्रकार की भावना थी पर बाद में वह बदलती गई । नतीजा इसका यह हुआ हमारे ऑर्डर को चुनौतियां दी गयीं । हिन्दुस्तान में और भी जगह दी गयीं । राजस्थान में उस ऑर्डर का व्यापारियों ने विरोध किया । डीलर का लाइसेन्स लेने से भी इनकार किया । ऑर्डर की कई धाराओं का विरोध किया गया । इसके बावजूद भी सदन में ऑर्डर लागू किया गया ।

Page No. 102

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बाद में सदस्यों की तरफ से इस प्रकार की दलील आई कि उसको लागू करने के बाद कहते हैं असेम्बली से पास हुआ। वह तो यहां सदन में आया ही नहीं। उसे यहां आने की जरूरत भी नहीं थी। तो मालूम पड़ता है इससे कि माननीय सदस्य का कितना ज्ञान है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): ज्ञान के भण्डार तो ये बैठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने सदन में डिसकशन के लिए नहीं रक्खा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोहनलालजी तो कह रहे थे यहां आया।

इस सदन में जो चर्चायें उठीं उनके बारे में मैंने साफ कहा कि कुछ मूल नीतियों के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दो ही धाराओं का मुख्य विरोध था। धारा ६ जिसके फार्म "बी" में रिटेलर के मार्फत बेचने की व्यवस्था थी और सिक्योरिटी का प्रावधान था, उनमें जो कुछ परिवर्तन किया गया वह सिद्धान्त के रूप में नहीं किया गया, सिक्योरिटी के मामले मे कुछ लोगों को राहत देने के लिये सिक्योरिटी के अमाउन्ट को कम किया गया।

इसके बाद धारा ६ मे जैसा ट्रेड का चैनल था राजस्थान में, जैसी उस ट्रेड की हालत थी, सभी जानते हैं कि २३ जिलों में अकाल की स्थिति थी। वहां धान पहुंचना जरूरी था। एक प्रकार से स्वतन्त्र मूवमेंट होने की वजह से इस कानून में, जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमने राजस्थान के सारे जिलों को तीन किस्मों में विभाजित किया। एक, जिसे डेफीसिट कहें, दूसरा, जिसे सरप्लस कहें प्रोडक्शन में, तीसरा, जिसे न डेफीसिट कहें न सरप्लस। इसमें जयपुर के माननीय सदस्य की नाराजगी इसलिये है कि जैसा उन्होंने जयपुर के व्यापारियों का दृष्टिकोण सदन में रक्खा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह बिलकुल गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मेमोरेन्डम में व्यापारियों ने कहा, वही आपने यहां कहा। उन्होंने कहा कि जयपुर को सरप्लस में रखना चाहिये था। पर हमने इसको सरप्लस में इस लिये नहीं रक्खा कि जयपुर कैपिटल है। जयपुर से आस-पास में और जयपुर के और राजस्थान के कई व्यापारियों द्वारा अगर पहले के ट्रेड चैनल को देखें तो मालूम होगा कि गंगानगर का गल्ला जयपुर में आता और फिर यहां से गंगानगर और जोधपुर वगैरह जाता। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना जरूरी था इसलिये राजस्थान के सरप्लस इलाके से एक होल-सैलर वहां के रिटेल सेलर को बेच सके, इसलिये एग्जम्पशन किया। पहली बात यह है।

दूसरी बात यह है कि....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपने व्यापारियों के सामने सरेन्डर किया है और वह भी इसलिये कि भीलवाड़ा का इलेक्शन जीतना था।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब राजनैतिक कुचाल हैं। माननीय सभापति महोदय, यह राजनैतिक प्रचार हैं चाहे वह एक दफा कहें या दस बार कहें और कितनी ही जोर से बोलें इसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह इसलिए भी सरेन्डर किया कि व्यापारियों के प्रेसिडेंट बिरलाजी से भी बातचीत हो चुकी थी और यह सरेन्डर इसलिए भी किया था कि ५करोड़ के लोन फ्लोट करने का सवाल था। तब आपने सरेन्डर किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे जो होल सेलर की तारीफ में आते हैं और खासतौर से वह गांवों में रहने वाले छोटे व्यापारी जो कि गांव की सरप्लस प्रॉड्यूस को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी मण्डियों को पास-ऑन करते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई कि १०० क्वेन्टल से ज्यादा का स्टॉक वह नहीं रख सकेंगे बल्कि जो कुछ वह इकट्ठा करें वह मण्डियों में पास-ऑन किया जाये। इसलिये हमने उनको होलसेलर की डेफीनेशन से मुक्त किया। और वह लोग जो मण्डियों में अनाज आते ही बोली लगाकर किसानों को पेमेंट करते थे और थोड़े अर्से के लिए अनाज अपने पास में रखते थे और तुरन्त होलसेलर को पास-ऑन करते थे सिवाय इन तीन केटेगरी के हमने इस कानून के अन्दर किसी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं किया और यह तीनों प्रकार के एग्जम्पशन राजस्थान की हालात और यहां के ट्रेड चैनल को ध्यान में रखते हुए की ताकि माल आसानी से डेफिसिट इलाके को सरप्लस इलाके से जा सके। छोटे छोटे गांव जहां कि मण्डियां ऑर्गेनाइज्ड नही हैं, जहां कि किसान सीधे अनाज मण्डियों में ले जाकर बेचने की शक्ति नहीं रखते और हम नहीं चाहते थे कि अपने गांव से दूर दूर जाकर उन लोगों को अपना अनाज बेचना पड़े। इन दिक्कतों को अवाईड करने के लिए हमने इस प्रकार के दो कच्चे और छोटे आढ़तियों और जो गांवों के छोटे व्यापारी थे उनको इस प्रकार की राहत दी। इसलिए यह प्रचार कि यह भीलवाड़ा के चुनाव को जीतने के लिए किया गया था और यह प्रचार कि हमने सरेण्डर किया, बिलकुल गलत है।

(शोरगुल- व्यवधान)

आपके दृष्टिकोण को, राजस्थान की आम जनता, इस बात को, समझती है कि यह सब राजनैतिक दृष्टिकोण से झूठा प्रचार करते हैं और गलत प्रचार करते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह गलत नहीं, बिल्कुल सही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत है।

हमारे यहां ऑर्डर के लागू होने के बाद जिस प्रकार के राजस्थान के हालात थे उसमें चने का और जौ का कन्ट्रोल करने के सिलसिले में हमने भारत सरकार को विशेष तौर से प्रार्थना की। उन्होंने हमारे यहां के हालात को समझा और स्वीकार किया कि राजस्थान का चना जिसके ऊपर दक्षिण भारत और हिन्दुस्तान के कई हिस्से निर्भर करते हैं उन को तकलीफ होगी और कुछ हमारे यहां की अकाल की स्थिति को देखते हुए जब हमने सारी स्थिति भारत सरकार के सामने रखी तो चने और जौ के बारे में एक रेगुलेशन

Page No. 104

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लागू करने की इजाजत उन्होंने हमको दी और उसके तहत यह व्यवस्था है कि ३३ परसेन्ट चना जो होलसैलर्स खरीदेंगे उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ६७ परसेन्ट चना उनको राजस्थान में रिटेलर्स के मार्फत नॉर्मल ट्रेड से बेचना पड़ेगा........

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैंने आपको निवेदन किया कि चना सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि एक व्यापारी ने दूसरे को बेचा उसने एक्सपोर्ट किया और दूसरे ने तीसरे को दिया और उसने भी एक्सपोर्ट किया और इस तरह से सारा का सारा चना बाहर चला गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठिये, सुनिये तो सही ।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से जौ के बारे में एक रेगुलेटिंग ऑर्डर लागू किया गया ।

(व्यवधान - शोरगुल)

उस रेगुलेटिंग ऑर्डर के अनुसार पर २५ परसेन्ट तक जौ यहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है और ७५ परसेन्ट राजस्थान के अन्दर ही रिटेल एजेन्सी के मार्फत बेचना पड़ेगा और इस व्यवस्था पर माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने दो प्रकार के आक्षेप इस सरकार के विरुद्ध लगाये और मैं उनका मुख्तसर जवाब देना चाहता हूं । तो इसके बारे में यह कहा गया जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कि इस आदेश को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को आदेश दिये कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये उसके अन्दर बहुत से कलेक्टरों ने उन आदेशों को लागू करने में देरी की । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास डेट वाइज़ इन्फॉरमेशन मौजूद है कि किस दिन राज्य सरकार ने यह आदेश यहां से जारी किये........

श्री हरिराम चौहान : उन आदेशों में धरा ही क्या था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आदेश यहां से २५ अप्रेल, ६४ को रात को वायरलैस रेडियाग्राम मैसेज से कलेक्टर्स को कन्वे किये थे और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं......

श्री हरिराम चौहान : क्या पड़ा है इन आदेशों में ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के करीब १८ जिलों में २६-२७ तारीख को यह आदेश लागू हो गये और इस प्रकार से कुछ जिलों के अन्दर एक दिन और दो दिन की देरी हुई और उसके बारे में खास तौर से गंगानगर कलेक्टर से जिन्होंने आदेश को लागू करने में देरी की, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है और....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने किस तारीख को जारी किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल ; आपने किस तारीख को आज्ञा दी और किस तारीख को जारी किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ४ तारीख को किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २५ तारीख का वायरलैस का मैसेज ४ तारीख को जारी किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां से देरी हुई उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पूछा जा रहा है या पूछ लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चने और जो के एक्सपोर्ट के बारे में ३३ परसैन्ट और २५ परसैन्ट के आदेश थे उन आदेशों की अवहेलना की और जो बाकी का बचा हुआ चना और जो रिटेल के मार्फत बेचना चाहिए था उसका भी डिस्जपोजल उन्होंने कायदे के मुताबिक नहीं किया—मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों से कि जिस प्रकार से व्यापारियों ने इस बात को नहीं किया और जिन व्यापारियों के ट्रान्जेक्शन....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, सदन का समय समाप्त हो गया है इसलिए समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय माननीय मंत्री महोदय के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाये ।

(स्वीकृति)

सदन का समय मंत्री महोदय के भाषण के समाप्त होने तक बढ़ाया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो ३३ प्रतिशत चना बाहर भेजने के आदेश थे और बाकी का यहां रिटेलर्स के द्वारा बेचे जाने के थे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके अन्दर जिस व्यापारी ने भी आदेशों की अवहेलना की....

श्री सभापति : Order please There is a point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, सदन में अगर किसी तरह से कुछ अव्यवस्था हो, इन्टरप्शन हो, डिसऑर्डर हो तो मैं यह समझता हूं कि उधर बैठने वाले सरकारी पक्ष के लोग चाहे इस बात के लिए मन में प्रसन्न हो रहे होंगे कि हम हूटिंग करके सदन की कार्यवाही में सहयोग दे रहे होंगे लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि डिसऑर्डर और अव्यवस्था को रोकने का काम आसन का है । यदि आप हूटिंग करने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा कि मैं हूं या नहीं लेकिन मेरे ऐसे बन्धु बैठे हुए हैं और फिर वह इन्सटेन्सेस रिपीट हो सकते हैं इसलिए आप हूटिंग मत कीजिए । यह गलत परम्परा है । मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि उधर के बैठे हुए लोग कुछ हूटिंग करते हैं, यह गलत है ।

(शोरगुल)

श्री सभापति : orderplease.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मेरे खयाल से जैसा कि आपने कहा कोई हूटिंग नहीं करेगा यानी सब शान्ति से बैठे रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसीलिए कहता हूं कि इस हाउस में ऑर्डर मेन्टन करना है तो जो कांग्रेस पक्ष ने हूटिंग करने का रवैया अपना रखा है यह बिल्कुल गलत तरीका है।

(कांग्रेस पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

एक माननीय सदस्य : आपको बोलने का ढंग नहीं आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कांग्रेस पक्ष में इस तरह का कोई आदमी नहीं है जो खड़ा होकर जवाब दे सके कि हूटिंग नहीं होगा? मेरा यही पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर था कि हाउस के अन्दर ऑर्डर मैन्टेन करने का काम कांग्रेस पक्ष को अपनाने का है। कांग्रेस पक्ष में से कोई कांग्रेस का सदस्य इस प्रकार का रवैया अपनाता है तो उसको चैक करें।

दूसरी बात, समय बढ़ाने के बारे में है कि सरकार की कोई पॉलिसी एनाउन्स करनी हैं तो पॉलिसी एनाउन्स करें कि हम राजस्थान के फूड प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन कारगर कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनेंगे तो बताऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ध्यान से सुने भाषण को।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जितनी बाते कहीं उनका जवाब दूंगा फिर कारगार बातें बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कोई स्पेसिफिक एनाउन्मेंट कीजिये। क्या करना हैं; क्या करने वाले हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये। एनाउन्समेंट शुरू में थोड़े ही किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर में क्या पहले ही कर दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आखिर में किया जायगा।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि आपकी सारी बातों का जवाब नहीं दूंगा तो फिर आप नाराज होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने राजस्थान को भूखों मार दिया है और अब हमें क्यों भूखों मार रहे हैं। जल्दी से कहिये जो कहना हो वह।

श्री नाथूराम मिधा : जल्दी से कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप शान्ति से सुनिये।

तो २५ प्रतिशत जौ और ३३ प्रतिशत

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चना बाहर जाने के बाद जो राजस्थान के अन्दर बिकना चाहिए था रिटेलर्स के मार्फत नॉरमल ट्रेड एजेन्सी के द्वारा बिकना चाहिए था। माननीय सदस्यों का यह आग्रह था उसी वापिस बचे चने और जौ के इस प्रकार के कई ट्रान्जेक्शन्स और हो गये जिसकी वजह से गंगानगर का बचा हुआ चना सूरतगढ़ की मंडी में पहुंच गया और वहां से फिर एक्सपोर्ट हो गया। तो सभापति महोदय, मैं सदन के उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार जो कार्यवाही हुई है वह कानून के खिलाफ, नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार के कई लोगों के खिलाफ जहां शिकायतें आई हैं। तो टेस्ट किया और उस लोगों के खिलाफ कदम उठाये गये हैं और एक्शन लिया गया है।

श्री रामान्द अग्रवाल : कुल कितने हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी नम्बर बता दूंगा। आप शान्ति से सुनते जाइये। उसके बाद सूरजगढ़ की मंडी के बारे में जो खास तौर से माननीय सदस्य कहते हैं मुझे भी यही जानकारी है जो उनको हुई है, और खास तौर से उन माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सूरजगढ़ मंडी के तमाम ट्रान्जेक्शन्स जो इससे सम्बन्धित हैं उनके बारे में विशेष तौर से हमने हिदायत जारी किये हैं और उनकी जांच-पड़ताल कर दी गई है।

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मुनाफाखोरों, इस प्रकार से गलत काम करने वाले व्यापारियों का जहां तक प्रश्न है उनको बचाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, यह जौ और चने के इस कानून के बारे में जो आक्षेप थे उनके बारे में जो आगे कदम उठाये गये हैं, उनके बारे में जो बातें हुई हैं उनका जवाब पेश करना चाहता हूं।

इस प्रकार से आगे चलते हैं तब इससे भी स्थिति पर काबू नहीं पाया गया और हमारे यहां जौ, चना और गेहूं का जो स्टॉक था और जिस प्रकार का उत्पादन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार से राजस्थान में सैकण्ड फॉरकॉस्ट के आधार पर मैंने जो नोट सर्क्यूलेट किया था उसमें ३२ ।। लाख टन का फोरकास्ट किया गया था और तीसरे फोरकास्ट के जो रिवाइज्ड आंकड़ें, जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट राजस्थान के आंकडों को मिलाकर किये उसके मुताबिक राजस्थान में टोटल ३४-३४।। लाख टन फाइनल फोरकास्ट में आया। यह मैं मानता हूं कि पहले जो फीगर्स दिये गये थे थर्ड फोरकार्स्ट के....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुल कितनी फोरकास्ट होंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन फोरकास्ट होती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फाईनल हो गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब फाइनल है जो सेन्ट्रल ने फीगर दिये हैं वह दे रहा हूं।

इस तरह से राजस्थान की स्थिति को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जब हमने देखा कि इस प्रकार की बातों पर काबू नहीं पा रहे हैं और इम्पोर्टेड व्हीट....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और सप्लीमेन्ट्री फोरकास्ट तो नहीं होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बहुत अक्लमन्द हैं और मैं कम हूं। महरबानी करें खुदा के लिए।

श्री सभापति : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति थोड़े दिन के लिए राजस्थान में आई कि क्रॉप्स के आने के बाद हमारे यहां बरसात का मौसम नजदीक आने लगा तो हमारे यहां उस समय और भी हालत मुश्किल हुई जिसके बारे में राजस्थान में लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन और इस प्रकार की बातें कहने का उन्हें अवसर मिला। वह अवसर आज से महीने, डेढ़ महीने पहिले का है। उस वक्त राजस्थान में इस प्रकार की हालत हुई कि जो इम्पोर्टेड व्हीट हमारे यहां तेज रफ्तार से आ रहा था उसमें कमी हुई। उसमें कमी होने का कारण कोई राजस्थान सरकार या भारत सरकार के करने का हो ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके कई कारण हैं जैसे कि हमारे यहां पर जो शिप्स आ रहे थे उनके लोडिंग और अनलोडिंग में डिफिकल्टी हुई जिनके समाचार आपने पढ़े होंगे। बम्बई में डॉक्स में जिस प्रकार की हालत हुई उसकी वजह से बहुत बड़ा बॉटलनेक इम्पोर्टेड व्हीट का हुआ। जिस तादाद में वह पहुंचना चाहिए था उसके पहुंचने में मुश्किलें रहीं। उसका नतीजा यह हुआ कि इम्पोर्टेड व्हीट की कमी रही जिसकी वजह से प्राइसेज आगे बढ़ने लगीं, क्योंकि व्यापारियों ने उस समय देखा कि सफेद गेहूं जो २३), २४) रु० में बिक रहा था वह वापिस २७), २८) रु० मन पर पहुंचने लगा और जो ऑर्डिनरी गेहूं १६), २०) रु० में बिक रहा था वह लाल गेहूं २३, २४) रु० मन तक पहुंच गया। जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो भारत सरकार के सामने हमने अपनी मुश्किलें रखीं। यह रखने के बाद राजस्थान में हमको एक कदम मजबूरी हालत में उठाना पड़ा। चूंकि इम्पोर्टेड व्हीट आने में देरी होती है और हमारे यहां का कोर्स ग्रेन्स जिसके अन्दर सारे देश की एक पॉलिसी थी कि कोर्स ग्रेन्स के मूवमेंट पर देश का कोई राज्य कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाये और इम्पोर्टेड व्हीट की जितनी राजस्थान में आने की जरूरत थी वह लगातार महीना, २० दिन राजस्थान में नहीं पहुंचा तो राजस्थान सरकार ने मजबूर होकर जो कुछ भी कोर्स ग्रेंस राजस्थान में हैं वह कहीं बाहर न चला जाय, हम कहीं ऐसी स्थिति में न फंस जाये कि हमारे यहां के लोगों को भूखों मरना पड़े, उस स्थिति को खयाल में रखते हुए भारत सरकार की नीति के विरुद्ध और और भारत सरकार से बिना आज्ञा लिये राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कलेक्टर्स को डी०आई०आर० के अन्दर यह हिदायत दी कि आप कोर्स ग्रेन्स को बाहर जाने से रोकें। कोर्स ग्रेन्स की यह आज्ञा जारी करने के लिए हमने १७ तारीख को निश्चय किया और सारे जिलों के अन्दर यह आज्ञा १८-और १६ तारीख को जारी हो गई....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह आप बतायेंगे कि साथ ही आपने अपने उन व्यापारियों को जिनके साथ आपकी सांठ-गांठ थी आपने यह बता दिया कि भारत सरकार के बगैर पूछे किया है और यह ऑर्डर कायम नहीं रहने वाला है ? जितने व्यापारी मिले यह लेकर तो यह आपने कहा जिनसे आपकी सांठ-गांठ थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो यह शब्द कहे हैं वे बिल्कुल असत्य हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने कभी व्यापारियों से बात नहीं की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह केवल कहने का नहीं होता है। तथ्य हैं वे दूसरे हैं। दिल खोलकर नहीं देखा जा सकता है। The facts prove the case.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपने तरीके से निकालिये इन्फरेन्स। अपने तरीके से मैं निकाल कर इन्फरेन्स कह दूं। आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम आपका ट्रायल चाहते हैं, You are food criminal of Rajasthan. आप राजस्थान के फूड क्रिमिनल हैं। आप जैसे आदमियों का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए।

(शोरगुल)

पब्लिक ट्राइल तुम्हारी होनी चाहिये। You will be tried some day.

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे मंजूर है। मेरा होगा तो आप लोगों का भी होगा आप लोग तो चाहते है लोगों को...........

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका ट्रायल होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फेस करने को तैयार हूं। मेरे दामन पर एक भी धब्बा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके दामन पर दाग ही दाग है

(शोरगुल)

श्री सभापति : Shri Handa ! I give you warning.

श्री नाथूराम मिर्धा : जब इस प्रकार इम्पोर्टेड व्हीट के आने की मुश्किल हालत बनी तो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की निश्चित नीति के विरुद्ध, उनकी बिना सलाह लिये यह कदम इसलिये उठाया कि जो अनाज बचा है वह बड़ी तादाद में निकल न जाय क्योंकि आस-पास के प्रान्तों में पंजाब को छोड़ कर, दूसरी सारी कोमोडिटीज के भाव हमारे यहां के भावों से ऊंचे थे, हमारे यहां ही सबसे नीचे हैं। इसलिये काफी पैमाने पर कोर्स ग्रेन बाहर जा रहा था उसको रोकना जरूरी समझा राजस्थान के हित में। उसके बाद निश्चित तौर से एक राजस्थान में ही नहीं और सभी जगह हालत गंभीर थी इसलिये हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने इसको गंभीर मसला समझ कर हिन्दुस्तान के सारे चीफ मिनिस्टर्स और खाद्य मंत्रियों को दिल्ली में बुलाया और उनकी कॉन्फ्रेन्स की गई और

Page No. 110

श्री नाथूराम मिर्धा)

उसमें पूरी फूड स्थिति पर गौर किया गया। फिर कुछ निर्णय उस कॉन्फ्रेन्स में लिये गये उसकी तरफ मैं सदन को नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उन सब बातों को आप जानते हैं। वहां पर निर्णय लिया गया कि व्हीट जोन्स हैं उसी प्रकार रहेंगे। उसके बाद जो अलग चार जोन्स हैं उनको मिलाकर एक कर दिया जाय ऐसा सुझाव था, लेकिन जोन्स ज्यों के त्यों रखने की वजह से हमारे देश की दूसरे स्टेट्स हैं उनको काफी नाराजगी थी लेकिन हमारे यहां की सारी स्थिति पर गौर करके भारत सरकार ने, दो मत होते हुए भी, व्हीट जोन्स को कायम रखा और यह कहा कि व्हीट जोन्स बने रहेंगे, आने वाले क्रोप तक वे इसी प्रकार रहेंगे और मूवमेन्ट अलग अलग तरीके से हो रहा है, वह कायम रहेगा। कोर्स ग्रेन के बारे में डिसीजन लिया सारे स्टेट्स के बारे में कि इस पर जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं वे देश के लिये सही नहीं हैं, उनको राजस्थान सरकार को विद्ड्रॉ करना चाहिये इस कारण हमने उनको विद्ड्रॉ किया है। जब लौट कर आये कॉन्फ्रेन्स से तो हमने ३ तारीख को वापिस कलेक्टर्स को आज्ञा दी चूंकि इसका मूवमेन्ट जारी रखने की देश की नीति है और हमने हां किया है और इम्पोर्टेड व्हीट जल्दी से जल्दी पहुंचाने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया है इसलिये कोर्स ग्रेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के ऑर्डर को विद्ड्रा कर लिया जाय। कलेक्टर्स को कहने के बाद किसी ने ३ तारीख को, किसी ने ४ तारीख को, किसी ने ५ को और किसी ने ६ को यह ऑर्डर विद्ड्रा किया............

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोटा के कलेक्टर ने किस तारीख को विद्ड्रा किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मंत्रीजी इतना क्लेरिफिकेशन और कर दें कि आपने जो अनाज मंगाया या फोरिन व्हीट, राजस्थान को मिलने वाला था उसको डाइवर्ट कर दिया था क्या ?

श्री सभापति : आप स्पष्टीकरण बाद में पूछें।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा में १८ जून को लागू किया और ६ जुलाई को समाप्त किया।

माननीय सभापतिजी, इस ऑर्डर को हटाने के बाद राजस्थान में जैसा मैंने कहा, जो हालत जिसके बारे में बहुत चुल-बुलाहट है, जिसके बारे में माननीय सदस्यों को काफी कहने का मौका मिला है, वह हालत यह थी कि राजस्थान का कोटा जुलाई का इम्पोर्टेड व्हीट का था वह ५० हजार टन के लगभग का था और हमारे प्रिवीयस मंथ्स का एलॉटमेन्ट राजस्थान में था उन सबको मिला कर राजस्थान को १६ जुलाई तक जितना व्हीट मिलाना चाहिये था उसमें करीब ४७ हजार टन के लगभग जुलाई का और पीछे का कोटा मिलाकर हमारे यहा बैकलोग था राजस्थान का ४७ हजार टन के करीब। वक्त वक्त पर मूव-मेन्ट की डिफिकल्टी की वजह से और देश की दूसरी डिफिकल्टीज की वजह से जैसे कान्डला पोर्ट के बारे में शुरू में कहा था कि राजस्थान के लिये उसका एलॉटमेन्ट होगा लेकिन राजस्थान से भी बदतर हालत गुजरात और बिहार में चल रही थी। भारत सरकार ने कहा था कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राजस्थान को १२५ वैगन्स इम्पोर्टेड व्हीट लाने को देंगे उस हिसाब से जुलाई १९–२० तारीख तक करीब २५–३० वैगन राजस्थान में आ रहे थे बाकी हिस्सा बिहार और गुजरात में जा रहा था, क्योंकि हालत वहां की राजस्थान से ज्यादा गंभीर थी । क्योंकि देश एक ही है और जिनकी मुसीबत ज्यादा है उनकी तरफ पहले देखा जाय यह, केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान का कोटा जिस रफ्तार से चल सकता था वह चला लेकिन मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि १९–२० तारीख के बाद हालात में फिर बहुत परिवर्तन आया है । आज राजस्थान में जुलाई का कोटा जिस रफतार से चल रहा है उस रफ्तार से वैगन्स एलॉट किये तो उससे तेज रफ्तार से राजस्थान में मंडियों में अलग अलग जगह पर माल आयगा । हमने ऑफिसर भेजे हैं, रेल्वे के लोगों से को-ऑर्डिनेशन किया है । केन्द्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर और रेल्वे मिनिस्टर साहब ने बहुत मदद की है । इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में ३०-३५ वैगन १९ जुलाई तक चलते थे, आज मैं कहना चाहता हूं कि जुलाई में ४७ हजार का बैकलोग था वह २ अगस्त को सारा का सारा कोटा कांडला से डिस्पोज़ ऑफ हो गया ।

राजस्थान के लिये अगस्त का कोटा जो एलॉट हुआ है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का अगस्त का कोटा पूरा का पूरा अगस्त में ही इम्पोर्ट कर लेंगे । इसका नतीजा यह है कि जिस तेज रफ्तार से इस सदन के माननीय सदस्यों ने खाद्य पर बहस की मांग की थी और कहा था कि कहीं मंडियों में अनाज नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मुश्किल हालत होते हुए भी राजस्थान में चीप ग्रेन शोप्स ३ हजार की तादाद, में कस्बों में, शहरों में, पंचायत कमेटियों के हैड क्वार्टर्स पर जो ६ हजार से १२ हजार की आबादी के बीच के, काम कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिवाय चंद तहसीलों को छोड़ कर इतनी मुसीबत होते हुए भी कोई दिन नहीं था जब कि चीप ग्रेन शोप्स में ग्रेन उपलब्ध नहीं था ।

('झूठ, 'सफेद झूठ' की आवाज व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! order !! please

श्री नाथूराम मिर्धा : विरोधी पार्टियों के आन्दोलन करने के बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बीच में मुश्किल परिस्थिति आई उसके बावजूद भारत सरकार की मदद से राजस्थान गवर्नमेंट ने फूड डिपोज़ चल रहे हैं उनकी व्यवस्था बराबर कायम रखी और इस मुश्किल के वक्त हमने कोई दिन ऐसा नहीं आने दिया जिस दिन अनाज नहीं हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत जगह नहीं था । फूड एडवाइजरी कमेटी, जयपुर के सामने ऐसे कई मसले आये ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! please

श्री हरिराम चौहान : अलवर में नहीं था, बहुत सी जगह नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी है....

श्री हीराभाई : बांसवाड़ा में पन्द्रह दिन तक नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : बांसवाड़ा की पोजीशन मैं बता दूंगा। मेरे पास मौजूद है। आप अभी सुन लें।

श्री हीरा भाई : आज भी वहां नहीं है। आज भी लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद हमारे यहां राजस्थान के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री सभापति : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : इम्पोर्टेड व्हीट के बारे में एक हिदायत कलेक्टर्स को गवर्नमेंट की इस प्रकार की थी कि बाहर से आने वाले लोगों, जो लोग दूर दूर से इस प्रकार गेहूं खरीदने आते हैं उनका एक बोरी इम्पोर्टेड व्हीट तक दिया जा सकता है। लेकिन जब बीच में स्टॉक की कमी आने लगी तो उन हिदायतों के बारे में कलेक्टर्स से जरूर कहा कि थोड़े दिन....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो इतने बड़े पैमाने पर गेहूं देते थे जो बाहर से आने वाले लोग हैं और जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर गेहूं देते थे वह थोड़े दिन के लिए मत दीजिये, बल्कि पांच-दस रुपये के दे दीजिये ...

श्री मोहनलाल सारस्वत : माननीय सभापति जी, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले आप मुझे सुन लीजिये। तो माननीय सभापति, ...

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आप सुनें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, जहां हम ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सभापति महोदय, ..

श्री हरिराम चौहान : वे (श्री मोहनलाल सारस्वत) तार दिखा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो हमारे चीप ग्रेन शॉप्स पर जहां एक बोरी बाहर से खरीदने वालों को देने की बात करते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो सुनने दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरा पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर नहीं सुन रहे हैं, यह क्या परम्परा कायम की जा रही है ?

श्री सभापति : Yes, what is your point of order ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रापकी मार्फत....

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ग्रभी खाद्य मन्त्रीजी ने ग्रपनी ग्रन्न व्यवस्था की विशेषता बताई कि ग्रनाज तहसील तक में गया है ग्रौर बाजारों में बोरियां भरी हुई हैं। मैं सदन के सामने बांसवाड़ा से ग्राया हुग्रा एक तार रखना चाहता हूं....

श्री सभापति : Order please.

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : The Chair has to hear first and then decide whether this is point of order or not.

श्री नाथूराम मिर्धा : Let him...

श्री सभापति : Order please !

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद) : यह पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरा पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है। बहुत गम्भीर मामले में भी हल्ला करते हैं। हम लोग भी तो....

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रापकी ग्राज्ञा से मैं चालू करता हूं।

इसके बाद जैसा मैंने निवेदन किया, राजस्थान के ग्रन्दर...

श्री मोहनलाल सारस्वत : माननीय सभापति महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रन्न की वहां कोई कमी नहीं है ....

श्री मोहनलाल सारस्वत : ग्राप कहते हैं कि ग्रन्न की वहां कोई कमी नहीं है। यह मेरे पास बांसवाड़ा से तार ग्राया हुग्रा है ग्रौर ग्राठ दिन से चूरू जिले में ...

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं चीप ग्रेन शॉप्स के लिए निवेदन कर रहा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर उठाना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रूल ग्राउट कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे तार सदन में रख रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंहगाई के बारे में बताया है....

श्री नाथूराम मिर्धा : तो उन चीप ग्रेन शॉप्स पर इतने बड़े पैमाने पर एक बोरी देते थे वहां मुश्किलात में हालांकि अनाज में क्वान्टिटी कम कर दी, लेकिन हमने कहा कि पांच रुपये,दस रुपये तक का अनाज,जो अनाज खरीदने आयें, उन लोग को दिया जाय। यह हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग गया हो, वह भी भीड़ होने की वजह से। मैं उन हालत के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसी इलाके में किसी चीप ग्रेन शॉप की इस प्रकार की हालत ज्यादा नहीं रह पाई है। और अब तो स्थिति यह है कि हमारे पास खाद्यान्न काफी मात्रा में सेन्ट्रल गोडाउन्स और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर मौजूद है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : फीगर्स दीजिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं इस बात को साबित करने को तैयार हूं....

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि करने पर)

आप तालियां बजा देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अलावा, सभापति महोदय, जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार के जुलूस हुए, मैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदर्शन, जो भूख-हड़ताल, जो जलूस का नमूना मैंने देखा, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यहां चौपड़ के पास एक तम्बूडिया में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लाज नहीं आती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। I give you warning.

श्री रामानन्द अग्रवाल : शर्म नहीं आती। इस तरीके की भावना आप जाहिर कर रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : How contemptuous you are.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी गाड़ियां रोक ली जायं, आप यहां इस तरह कन्टेम्प्चूअस एटीट्यूड पब्लिक रिसेन्टमेंट के लिए जाहिर करते हैं, You want to create disorders. You want to provoke disorders.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको तथ्य बता रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लोगों के प्रदर्शन, लोगों की भूख-हड़तालों के प्रति आप इस प्रकार मजाक उड़ाना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं जनता के उन प्रदर्शनों का सही चित्र रखना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You are abusing Mahatma Gandhi. You are abusing his soul.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं वह सच्चा चित्र रखना चाहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जिसे जनता ने देखा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : You are forcing Janta to violence,

Page No. 115

श्री सभापति : Order please !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप इस तरह के प्रदर्शनों के लिए कन्टेम्प्चूअस....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पूरा जोर लगा दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is contemptuous. You should be ashamed.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रदर्शन, एक जुलूस जो एक पार्टी ने निकाला था और जितना उसमें जनता का सहयोग था और जो मैंने उसका सच्चा चित्र देखा है, वह आपके समक्ष कहना चाहता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा: अपने विचार प्रकट करने की मुझे इजाजत है । माननीय सदस्यों ने जो इतनी बातें कहीं, मैंने उन सबको सब्र से सुना है; आप भी सब्र से सुनें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी जेब में तरावट है इसलिए कह रहे हैं। आपकी जेब तर हैं जबकि जनता भूखों मर रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक प्रजा समाजवादी प्रदर्शन....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इस तरह हमें मजबूर कर रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों ने देखा होगा । मैंने भी देखा । उसमें एक बुजुर्ग नेता, और उन बुजुर्ग नेता की धर्मपत्नी उनके साथ, एक डाढ़ी वाले कोई महानुभाव थे और उनके साथ पच्चीस छोरे । यह जनता का प्रदर्शन शहर के चक्कर लगाता लगाता एसेम्बली के सामने आया....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप को शर्म आनी चाहिये । डूब मरना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे सुन लीजिये । आपने कहा वह मैंने सुना है । आप मुझे सुन लीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तरह की बकवास नहीं सुनेंगे । बैठ जाइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा: अभी नहीं बैठूंगा, अभी मेरा हक है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस तरीके के प्रदर्शन चाहते हैं, जिसमें आपकी गाड़ियां रोक ली जायं....

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको इस तरह के प्रदर्शन से तसल्ली नहीं है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी गाड़ियों को रोक लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे आपके कहने से नहीं आने वाले हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको कारों पर नहीं आने दें । जिस तरीके से विद्यार्थी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आंदोलन में लोगों ने किया वैसे कोठियां जला दें; इस तरीके के प्रदर्शन आप चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरीके की हालत पैदा करेंगे तो उठा कर जेल में फेंक देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शर्म आनी चाहिये। इस तरीके से आप प्रदर्शनों की मजाक उड़ाना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरीके की हालत पैदा करेंगे तो उठा कर जेल में फेंक देंगे।

माननीय सभापतिजी, एक प्रदर्शन का चित्र आपके सामने रखा जो मैंने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो दुनिया ने देखा, और माननीय सदस्यों ने देखा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री हरिराम चौहान : हमारे खाद्य मन्त्री....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इस सदन में आता है........

(१.२६ म० प०)

श्री रामानंद अग्रवाल को विधानसभा से निलम्बित करने हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : माननीय चेयरमैन महोदय, पहले मैंने जो एक रिज़ोल्यूशन मूव किया है उसका डिस्पोजल होना चाहिये। मैंने रिज़ोल्यूशन मूव किया था कि श्री रामानन्द हाउस को परसिस्टेन्टली इन्टरफियर कर रहे हैं: इस लिए मैंने निवेदन किया था कि उनको सदन की कार्यवाही से सात रोज के लिए अलग किया जाय। इस बारे में पहले डिसीजन होना चाहिये।

(विरोधी पक्ष से नहीं, नहीं, नहीं की आवाज)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : चेयरमेन महोदय,....

श्री सभापति : क्या सदन की मन्शा है कि श्री रामानन्द अग्रवाल को सदन से सात दिन के लिए बाहर निकाला जाय ?

(विरोधी पक्ष से नहीं नहीं की

आवाज सरकारी पक्ष से हां हां की आवाज)

श्री मानिकचंद सुराणा : on a point of order मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : There cannot be a point of order.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठ सकता जब तक फैसला नहीं हो जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा : देखिये

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अब इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : on a point of order मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय मन्त्री ने कोई प्रस्ताव रखा है तो हम उस पर फुल फ्लेज्ड डिबेट करने के लिए तैयार हैं और उस प्रस्ताव पर अपनी राय जाहिर करने से पहले कोई तरह न वोटिंग पर रखा जा सकता है और न उस पर ओपनियन जानी जा सकती है। यदि मन्त्री महोदय अपने प्रस्ताव को इन्सिस्ट करते हैं तो इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष राय जाहिर करने के लिए रख दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से प्रस्ताव रखने से न तो जनतन्त्र की जड़ें मजबूत हो सकती हैं और न प्रदर्शनकारियों को....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : There cannot be a point of order, when the motion is already......

श्री रामानंद अग्रवाल : सात दिन के लिए, सात महीने के लिए निकाल दीजिए। इस तरह हमारा मुंह बन्द नहीं हो जायगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : हम इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : Order please.

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं इस प्रस्ताव के विरोध में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, अब देखिये क्या हो रहा है।

श्री सभापति : Order please !

श्री मानिकचन्द सुराणा : I want to speak against the resolution, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about the motion, , Sir ?

श्री सभापति : Order please. There cannot be any discussion on the motion.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बिना डिस्कशन के सदन में मोशन पास नहीं किया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair has given its observations, Sir.

श्री सभापति : Kindly take your seat.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा से सदन में कोई अच्छा वातावरण उत्पन्न नहीं होगा और हमारे चीफ मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा कि

Page No. 118

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
में कोई प्रस्ताव लाकर बिना डिस्कूशन के पास हो जावेगा तो इसका वे इस पर ध्यान दें। यदि सदन में इस तरह जनतन्त्र पर बहुत असर पड़ेगा और लोगों की जनतन्त्र के प्रति कोई निष्ठा नहीं रहेगी।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह समझते हैं कि जिस तरह से जूलूस जनता का आपके यहां आया आप द्वारा उसको मजाक उड़ाई जावे !

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : (कई अन्य माननीय सदस्य एक साथ बोलने से अश्रव्य व व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : चीफ मिनिस्टर जो पार्टी लीडर हैं और वे पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर को अच्छी तरह से जानते हैं। वे पुस्तकों को पढ़े और उनको मुलाहिजा करें तो उनको मालूम होगा कि अगर हाउस में कोई डिस-ऑर्डर हो या बिहेवियर ठीक नहीं हो तो सबसे पहले सभापति का यह फर्ज है कि वह उस सदस्य को वार्निंग दे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई वार्निंग दो हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रामानन्द जी को कोई वार्निंग नहीं दी गई और कोई आपने चेतावनी नहीं दी है। आप अपनी प्रोसिडिंग्स में देख सकते हैं। इस तरह से वार्निंग के अभाव में सदस्य के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही की जाती है। अगर की जाती है तो यह किसी रूप से जनतन्त्र की स्वच्छ परम्पराओं को आगे नहीं बढ़ावेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, इस सत्र में दुर्भाग्य से कई बार डिबेट के बीच में ऐसे अवसर आये हैं कि जब इस पक्ष से बोलने को कोई खड़ा होता है तो उसको न बोलने दिया जावे, इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा की जाती हैं। अभी जो प्रस्ताव मूव हुआ है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थितियें सदन में आवें। हम मिल-जुल कर आजादी से अपने विचार कहें। लेकिन हर एक को आजादी होनी चाहिये कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके, अगर हम स्वस्थ परम्पराएं बनाना चाहते हैं तो, मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं वे भी इसमें पूरी तरह से सहयोग देकर चलेंगे। जिससे इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और कार्यवाही चलना असंभव हो जावे और जवाब भी नहीं दिया जा सके ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिये जो रिजोल्यूशन इस पक्ष के माननीय सदस्य ने मूव किया है इस पर वे ज्यादा प्रेस नहीं करके माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना मोशन वापिस ले लें, लेकिन मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी अपनी विवेक बुद्धि से सारी कार्यवाही में सहयोग दें और सदन को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये मजबूर नहीं होना पड़े, ऐसी स्थिति न आने दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवालः सभापति महोदय,........

माननीय मंत्रीजी सुनना चाहते हैं फिर समझ में नहीं आता कि किसी भी माननीय सदस्य को इससे क्या एतराज हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि चीफ मिनिस्टर ने स्वस्थ परम्पराओं का जिक्र करते हुए अभी कहा। जैसा चीफ मिनिस्टर ने कहा, मैं प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि उसका कितना औचित्य है और कितना नहीं। उन्होंने तो केवल बहुमत के आधार पर इस प्रकार के मोशन को रखने की हिम्मत की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा होती हैं इसको रोकने के लिए, मुख्य मंत्रीजी खुद या अपनी केबिनेट मिनिस्टरों में से किसी सीनियर मिनिस्टर पर इस प्रकार की जिम्मेदारी डालें कि इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने दें। आप देखेंगे कि चीफ व्हिप है उनको सदन में बैठने की फुर्सत नहीं। व्हिप है वे किसी काम में व्यस्त रहते हैं और आपको उद्‌घाटनों से फुर्सत नहीं मिलती। सदन में कोई बैठते नहीं हैं। यहां पर हूटिंग की परम्परा है। कई बार उधर से होती हैं। जब सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं होता है तो उसके लिये कहते हैं तो हूटिंग करते हैं। उसको विदड्रॉ करने के लिये कहा जा सकता है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि हर बात पर कोई भी सदस्य हूटिंग करे, आवाजें कसे। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिये, आप भी ऐसी व्यवस्था करें ताकि हाउस में ऑर्डर मेन्टेन हो। यह व्यवस्था आपने नहीं की है। जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं वे शांति से व्यवहार करें और इस प्रकार का हूटिंग नहीं होना चाहिये ऐसी व्यवस्था आप करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि आपने उल्टी जिम्मेदारी हम पर डालने की कोशिश की है। मैं यह कहूंगा कि जब मिनिस्टर बोलने के लिये खड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि वे अपना जवाब नहीं दे सकें, जब इसके लिये माननीय सदस्यों से कहा जाता है तो उल्टी जिम्मेदारी इस तरफ डालने की कोशिश की जाती है यह उचित नहीं होगा। हमें इस बात को ध्यान में रख कर चलना चाहिये की सदन की कार्यवाही चलना असंभव नहीं हो और इसके लिये सदन के सभी माननीय सदस्य सहयोग देकर, चलें तो सदन की कार्यवाही को चलाना संभव होगा। अन्यथा संभव नहीं होगा।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने अभी कहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या आप इस मोशन को विदड्रॉ करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसे विदड्रॉ करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि........

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हूं। अभी यह फैसला हुआ है आपके हुक्म से और यह रिज़ोल्यूशन विथड्रा कर लिया गया इसके लिये मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाया जाय और उस पर डिस्कशन नहीं करने दिया जाय, इसके प्रोस्टेट में हम वाक आउट करते हैं और प्रोस्टेट करते है। कि इस प्रकार का रिज़ोयूशन सोच समझ कर लाया जावे। इस प्रकार के रिजोल्यूशन को लाना विरोधी दल के सदस्यों की इज्जत को गिराने के काम हैं और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने की बात है। इसकी प्रोस्टेट में हम हाउस से वाक आउट करते हैं। हम मिनिस्टर साहब की पूरी स्पीच को सुनना चाहते थे मगर डेमोक्रेसी में परिस्थितियें ऐसी पैदा हो गई जिससे हम उनके भाषण का बाईकाट करें और आज की कार्यवाही से वाक आउट करते हैं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: सभापति महोदय, मुझे सबसे बड़ा दुख यह हुआ कि एक सीनियर मिनिस्टर जूनियर मिनिस्टर से कानाफूसी करते हैं और उसके बाद सेक्रेटी को कह कर चेयर को इन्फ्लुअएन्स करने की कोशिश की जाती है जो सदन का बड़ा भारी अपमान है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार की चीजें यहां पर चलती हैं और चेयरमैन को इन्स्ट्रक्शन दी जाती है। इसके विरोध में मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is insult of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, आज जिस प्रकार प्रजातन्त्र की हत्या हुई है उससे पहले ऐमी प्रजातन्त्र की हत्या कभी नहीं देखने में आई। एक जूनियर मिनिस्टर से एक सीनियर मिनिस्टर घन्टे भर तक बात चीत करे और डराने के लिए धमकाने के लिए रिज़ोल्यूशन लाते हैं। मन्त्री जी का अधिकार है उत्तर देना। अगर उनके पास उत्तर नहीं है तो क्रुअल मजोरिटी के आधार पर इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाया जाय। यह क्या मजाक थी कि चीफ मिनिस्टर आये और उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद प्रस्ताव को वापिस ले लिया ? क्या इससे आप सदस्यों को डराना चाहते हैं। स्ट्रेच करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ? अतः हम वाक आउट करते हैं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, This motion is against me. Therefore, I want to make a statement on that,

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि........

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मैंने चीफ मिनिस्टर और खाद्य मन्त्री जी के खिलाफ आरोप लगाये....

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(शोरगुल)

(खाद्य मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा और रामानन्द अग्रवाल दोनों एक साथ बोलते रहे)

श्री रामानंद अग्रवाल : मैंने मुख्य मन्त्री के खिलाफ आरोप लगाये, खाद्य मंत्रीजी के खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की........

श्री नाथूराम मिर्धा : बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बांसवाड़ा में खाद्यान्न नहीं हैं........

श्री रामानंद अग्रवाल : गुड़ के घोटाले के बारे में जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग की पर सरकार जुडिशियल एन्क्वायरी कराने के लिये तैयार नहीं इनकी पब्लिक में एन्क्वायरी होगी। मैंने इस प्रकार की मांग की। उसे दबाने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव हमें दबाने के लिये रखा जाता हैं सरकार के इस प्रकार के रवैये के खिलाफ मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : बांसवाड़ा में बराबर चीप ग्रेन शाप्स से सरकार द्वारा अनाज का वितरण किया जा रहा है........

श्री हरीराम चौहान : सभापति महोदय ....

(शोरगुल)

श्री सभापति : आप जायं तो शान्ति से बाहर जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस जिले के अन्दर बराबर अनाज दिया जा रहा है ....

(शोरगुल)

श्री हरीराम चौहान : हमें यहां बोलने का अधिकार है। हमें दबाने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है कि ७ रोज तक के लिये उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाय.........

श्री सभापति : आप जायं तो शांति से बाहर जांय।

नाथूराम मिर्धा : वहां ८४० टन अनाज बांट चुके हैं........

श्री हरीराम चौहान : इस तरह दबाने की कार्यवाही की जाती है तो आप साफ क्यों नहीं कह देते कि हम प्रजातन्त्र नहीं चलाना चाहते............

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्य के पास नहीं है, आज बांसवाड़ा जिले में खाद्यान्नों की किसी तरह की कमी नहीं है। बांसवाड़ा से आने वाले इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य को इस बात की पूरी जानकारी है........

श्री हरीराम चौहान : सरकार के इस प्रकार के रवैये के खिलाफ मैं इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि मैंने निवेदन किया इम्पोर्टेड व्हीट कांडला के बन्दरगाह से राजस्थान को चलता है और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय चेयरमैन महोदय, जो मुकुट बिहारी जी ने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं । जहां तक आसन का सवाल है, आसन इस प्रकार से से इन्फ्लुएन्स्ड नहीं होता । विशेषतया सदन में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये । मैं और मेरा दल उनमें से है जो आसन का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और कभी इस प्रकार की बात पैदा नहीं होने देना चाहते जो आसन के सम्मान के खिलाफ हो । जहां तक कानाफूसी और सैक्रेटरी का सवाल है, मैं उनकी इन बातों से सहमत नहीं हूं ।........

श्री निरंजननाथ आचार्य : He must withdraw.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास यदि मुख्य मंत्रीजी की तरह मेजोरिटी होती तो मैं माननीय आचार्यजी को नेम करता कि उनको हाउस से सस्पेन्ड किया जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : A reference to this effect cannot be made, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने रूल्स जानते हैं उतने मैं भी जानता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी जानता हूं, इसीलिये मैंने निवेदन किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो कहा वह आप समझे ही नहीं, मैंने यह कहा था कि सैक्रेटरी साहब और काना फूसी का सवाल हैं उसके बारे में जो उन्होंने कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं । आप कानों से सुनिये और दिमाग से समझिये, पर अफसोस यह है कि आप समझते नहीं और न समझने की कोशिश करते हैं और अपने आपको न मालूम क्यों ऐसा समझते है कि—

दमदमी में दमदमी और दमदमी में दम ।
आधी अकल में सारी दुनियां आधी अकल में हम ।।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और फलाने फलाने गये गुम ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सही बात कह रहा हूं । जब सुखाड़ियाजी यहां हाउस में नहीं रहते तो ये यह दिखाना चाहते हैं कि मैं हाउस को कन्ट्रोल कर रहा हूं । पर आपका मक्खन लगाने से प्रोमोशन नहीं होने वाला है ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह मक्खन वक्खन तो आप ही लिये फिरते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन में ऑर्डर मेन्टेन करना चीफ व्हिप का काम हैं और मुझे अफसोस है कि चीफ व्हिप सदन में एक मिनिट भी नहीं बैठते ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि चीफ व्हिप

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पहले वह थे, अब मैं हूं, मै हर दम यहां बैठा रहता हूं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी नहीं बैठते ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप जितना बैठते हैं, उससे ज्यादा ही बैठता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की कार्यवाही चलाने के सम्बन्ध में लोकसभा के और इस सदन के निर्देश हैं कि चीफ ह्विप का कर्त्तव्य है कि सदन की अन्य पार्टियों के ह्विप्स से कॉन्टेक्ट करे और सदन की कार्यवाही में बाधा होती हो तो उनसे कान्टेक्ट करके उस बाधा को दूर करे । मुझे अफसोस है कि आचार्यजी पीछे से आये, फूंक मार गये । किन्तु मुझे पूरा भरोसा है कि श्री रामप्रसादजी आचार्यजी के इन्फ्लुएन्स में नहीं आयेंगे और अपनी बुद्धि से ही सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास करते रहेंगे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Mr. Laddha is the Chief Whip and he is always in the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों अशोक हो रहे हैं । सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चले इसमें मैं पूर्णतया मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं पर मेरा इतना मतभेद है कि जितनी जिम्मेदारी हम लोगों पर सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से चलाने की है, जितना हमारा सहयोग जरूरी है उससे ज्यादा सहयोग कांग्रेस पक्ष का रहना चाहिए । वे यहां अभी उपस्थित हैं नहीं, उनके बोलने से पहले ही कहने वाला था कि क्योंकि सदन में कांग्रेस पार्टी ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर सकती इसलिये मैं जाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, आसन के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए जिस तरह का रवैया रूलिंग पार्टी द्वारा अपनाया जाता है, मुझे उन सब मेम्बर से लेना देना नहीं है, मैं प्रोसीजर की बात रखता हूं, एक मेम्बर को पहले वार्निंग दी जाय, फिर विथड्रॉ करने को कहा जाय और उसके बाद नेम किया जाय, न कि एक दम इस तरह का प्रस्ताव रख दें । आप हांडाजी के खिलाफ रखते तो समझ में आ सकता था । विथड्रॉ करने का कहा नहीं, नेम किया नहीं और वैसे ही रिजोल्यूशन रख दिया, ऐसी भावनाओं के साथ न मैं शामिल हूं और न होना चाहता हूं, आप स्वस्थ ढंग से सदन की कार्यवाही चलायें । मैं आसन को और मुख्य मंत्रीजी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में, शान्ति और व्यवस्था में जितना वे विश्वास रखते हैं उनसे ज्यादा विश्वास रखते हुए आपको सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दूंगा, सहयोग में कहीं कमी आय तो आप बैठ कर बात करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो सरकारी पक्ष का आज रवैया रहा है उससे मैं बड़ा असंतुष्ट हूं । मुख्य मंत्रीजी ने भी कोई आश्वासन इस प्रकार की व्यवस्था करने का नहीं दिया है इसलिये मैं अपनी पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री सतीतचन्द्र अग्रवाल)

मैं स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस रवैये से असंतोष प्रकट करने के लिये सदन से वाक आउट करें।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय चेयरमैन महोदय, आसन के प्रति आस्था और विश्वास, हम अपना धर्म समझते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं समझेंगे कि आसन की तरफ से व्यवस्था दी जाय उसका सम्मान नहीं करें। पर कुछ इस प्रकार की कार्यवाहियां सदन में हुई हैं, उनसे हमें बड़ा असंतोष है माननीय सदस्यों को जो अधिकार सदन में बोलने का दिया हुआ है उस अधिकार पर आघात करने के लिये जो रिजोल्यूशन इस प्रकार का रखा गया उससे हमें असंतोष है। ऐसी कौनसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से रूल्स के खिलाफ इस तरह का रिजोल्यूशन रखा गया। वार्निंग देने के बाद यह सारी कार्यवाही करने के बाद यह सारी कार्यवाही की जानी चाहिये। नियमों में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी.... ...

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर.... ..

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस दृष्टिकोण से हम इसमें सहयोग प्रदान नहीं करना चाहते। मैं यह फिर विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दल की ओर से और व्यक्तिगत तौर से मेरी ओर से कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती कि जिससे आसन के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो। पर सरकारी पक्ष की ओर से जो दमन की नीति, दबाने के दृष्टिकोण से इस प्रकार का प्रस्ताव ला कर बरती गई उसके विरोध स्वरूप मैं अपनी पार्टी के साथ इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री केसरीसिंह (पाली) और श्री केसरीसिंह राठौड़ के अतिरिक्त स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के आज के खाद्यान्न के स्टॉक्स के बारे में जो स्थिति आज से कुछ दिन पहले थी उसमें बहुत सुधार हुआ है। राजस्थान के अन्दर आज इम्पोर्टेड व्हीट कांडला से आ रहा है। उस इम्पोर्टेड व्हीट की रफ्तार काफी तेज गति से चल रही है और मैं आपके जरिए इस सदन के माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि हमारा अगस्त का कोटा जो करीब ५० हजार टन के लगभग है निश्चित अगस्त के अन्त तक, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, मिल जायगा। इसलिए हमारा पिछला स्टॉक ४७ हजार टन और अगस्त का ५० हजार कुल मिला कर ८०—६० हजार टन हो जाते है। वह काफी बड़ी तादाद है राजस्थान के अन्दर जो बीच में यह स्थिति पैदा हुई और जिसकी वजह से इस सदन में बैठने वाले राजनैतिक दलों को एक बहुत बड़ा मौका मिला, वह स्थिति राजस्थान के आने वाले कुछ दिनों में नहीं रहने वाली है। क्योंकि स्थिति में सुधार होगा हम आशा करते हैं और जैसा खयाल है आने वाली खरीफ की फसल तक राजस्थान के और इलाकों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खाद्यान्न की किसी प्रकार की तकलीफ लोगों को न हो इस बात की व्यवस्था भी करेंगे। जहां पर ज्यादा दुकानें खोलने की आवश्यकता है वहां इस प्रकार की ज्यादा दुकानें सहकारी संस्थाओं के मार्फत उन इलाकों के अन्दर खोलेंगे। कलेक्टरों को इस बात के आदेश दिए जा चुके हैं कि इस बात की व्यवस्था जहां पर चाहें कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम राजस्थान के अन्दर जो लोग सस्ते गेहूं लेकर खाने की इच्छा करते हैं उनको यह सुविधा मिलेगी। ज्यादा दुकानें खोलकर उसमें कुछ मात्रा में बढ़ोतरी करेंगे जो कुछ कठिनाइयां इन कुछ दिनों में कम स्टॉक्स की वजह से हुई हैं उनके बारे में हम पूर्णतः जागरुक हैं और उनको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि स्थिति के अन्दर इस माह के अन्त तक काफी सुधार हो जायगा और राजस्थान के अन्दर जो कुछ तकलीफ लोगों को थी जिस की वजह से इस प्रकार परेशान करने का अवसर विरोधी पार्टियों को मिला, वह खत्म हो जाएगी। वे लोग इस सदन में पिछले कई दिनों से इस सदन की कार्यवाहियों में जितना भी उनसे बन सकता था, बाधायें डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्टरप्शन्स करते हैं, अपनी बात कह देते हैं और दूसरों की बातें सुनने की क्षमता भी नहीं रखते, यह कहीं का न्याय नहीं है राजस्थान की आम जनता चाहे गांवों में रहती हो, चाहे शहरों में रहती हो, हम यह चाहेंगे कि उनको १६) रु० मन में इम्पोर्टेड व्हीट मिले और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और उन लोगों को इस प्रकार की दिक्कत हो ऐसी स्थिति कभी भी राजस्थान में पैदा नहीं होने देंगे।

जहां तक दूसरे प्रकार के गेहूं के भावों का प्रश्न है, हमने अभी दो कानून लागू किए, एक तो मैक्सीमम प्राइस फिक्सेशन और दूसरा कानून राजस्थान के जिन लोगों के पास अमुक क्वान्टिटीज का स्टॉक हो उनको डिक्लेयर करना होगा। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का वातावरण बनता जा रहा है व्यापारी किसानों से मिलकर बहुत सा गेहूं का स्टॉक रिकार्डस में दिए हुए स्टॉक के अलावा, छिपाकर रख देते थे और इसकी वजह से जितना स्टॉक गेहूं का बाजार में आना चाहिए था और वाजिब भाव पर बिकना चाहिए था वह स्थिति राजस्थान में नहीं बनने पा रही थी, इस बात को ध्यान में रख कर और भारत सरकार से सलाह करके राजस्थान के अन्दर डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक का कानून लागू किया था, गेहूं की कीमतें निर्धारित की जिसके बारे में सदन के कई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा। राजस्थान में सफेद गेहूं के ६४) रु० प्रति क्विंटल और लाल गेहूं को ५३ रु० प्रति क्विंटल के भाव लागू किए गए हैं जो कि राजस्थान की रिटेल की कीमतें हैं। इस बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे मुख्य मन्त्री से स्पेसिफिकली पूछा कि ये कीमतें होलसेल की है या रिटेल की। होलसेल प्राइसेज व्यापारियों ने जो जयपुर में तय की हैं लाल गेहूं की वह ५५ रु० प्रति क्विंटल है और सफेद गेहूं की ६८) रु०, तो उन्होंने कहा कि कुछ मार्जिन रख कर उनको रिटेल प्राइसेज ७०) रु० सफेद गेहूं की और ५५) ५६) रु० लाल गेहूं की रीटेल में पड़ती हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि हमारा

Page No. 126

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कीमतें रिटेल की हैं कि लाल गेहूं और दूसरे प्रकार गेहूं उसकी दर ५३ रु० याने २०) रु० मन के हिसाब से कन्जूमर को मिलेगा और सफेद गेहूं ६४) रु० क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। ये काफी वाजिब भाव हैं। अगर इससे कम भाव तय कर दिए जांय तो समस्या का हल नहीं निकलता क्योंकि किसानों ने व्यापारियों को माल बेचा है, उन भावों में अगर व्यापारी को नुकसान पड़े तो यह उचित बात नहीं है । पिछले तीन चार महीनों से जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको देखकर गेहूं की कीमतें वाजिब फिक्स की गई हैं, भारत सरकार से सलाह करके फिक्स की गई हैं और आज तक आसपास के हमारे इलाकों में इस प्रकार प्राइ-सैज नहीं लागू किए गए हैं तो राजस्थान ने पहल की। इन दोनों कानूनों का उद्देश्य यह है कि जो अनाज किसानों और व्यापारियों के पास में है उनको हम इन भावों पर जनताको अवेलेबल करवायें । जो लोकल ग्रेंस को खाना चाहें तो उसमें यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर किसी के पास में ऐसा गेहूं है और कोई आदमी अगर उस गेहूं को खरीदना चाहता है तो इन कीमतों पर राजस्थान की जनता को गेहूं बेचनें चाहिए। अगर ज्यादा कीमतें चार्ज करें तो उनके खिलाफ प्रॉफिटियरिंग का चार्ज लगाया और ऐसे लोगों के खिलाफ डी० आई० आर० के तहत कार्यवाही की जायगी ।

इसके बाद एन्फोर्समेंट करने के लिए सरकारी आदेश सरकारी कर्मचारियों को जारी कर दिये गए हैं। खाद्यान्न विभाग को मजबूत करने के लिए कुछ एन्फोर्समेंट ऑफीसर्स, इन्स्पेक्टर्स और दूसरे प्रकार के लोगों को, जिनकी आवश्यकता है उनको नियुक्त किया जायगा। क्योंकि इस विभाग को मज-बूत करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि हमारे यहां पर कई प्रकार के ऑर्डर्स और नियम बने हुए हैं उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाय, इस बात को देखने के लिए राज्य सर-कार की तरफ से महकमें को स्ट्रेंग्थन करने की बात को हाथ में ले चुके हैं और उस कार्य-वाही को तुरन्त पूरा करेंगे और इसका इम्प्ली-मेंटेशन जल्दी से जल्दी और सही से सही तरीके से करेंगे। राजस्थान की जनता को जो दूसरे प्रकार का खाद्यान्न अवेलेबल है उनको दिलाने की व्यवस्था हम राजस्थान में करना चाहते हैं।

तो जिस व्यवस्था की समय समय पर करने की सरकार को जरूरत थी वह की गई। सारे कदम समय पर उठाये गये। सारे देश की नीतियों को सामने रखकर इन सारी बातों। को किया गया। इसके बावजूद भी हमारे विरोधी पक्ष के लोगों का विरोध रहता है और उनका काम है विरोध करना मगर किसी तरीके से करें। प्रजातन्त्र का एक तरीका है उसका सहारा लेने के बजाय इस सदन को रंगमंच बनाने मे न सदन की प्रतिष्ठा बढ़ती है और न हम लोगों की बढ़ती है। उन्होंने एक मांग की कि जिलों के अन्दर एडवाइजरी कमेटियां बनाई जानी चाहिये। इस बारे में मैं पिछले सत्र में भी कह चुका था कि जिलों में कमे-टियां बनाई गई हैं। कई कमेटियां आज मीटिंग करती हैं, कई-कई जिलों के अन्दर दो तीन और चार मीटिंग्स, कई जिलों के अन्दर हर पखवाड़े को मीटिंग्स हो रही हैं। कई माननीय सदस्य तो उन कमेटियों में शरीक भी नहीं होते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२.०० म० प०)

और मैं माननीय सभापति महोदय मुख्य मंत्री जी से बात कर चुका हूं कि मैं चाहता हूं कि स्टेट लेवल की एक फुड एडवाइजरी कमेटी बने जिसमें विरोधी पक्ष के नेता लोगों को एक टेबल पर बिठाकर उन बातों में उनसे बात करने का मौका मिले, हम उस सुझाव को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। जो सद्भावना से, सही सुझाव है और सरकार के सामने जो रखना चाहते हैं उन पर अवश्य सरकार को विचार करना चाहिये और सरकार विचार करेगी। स्टेट लेवल की कमेटी का गठन भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार तुरन्त करेगी और समय समय पर उसके जरिये जो बात होगी वह करेगी।

माननीय सभापति महोदय, देश की इस जटिल समस्या में जितनी बातें हैं और जिस प्रकार लोगों को कठिनाइयां और नुकसान हो रहा है, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि फिक्स्ड इनकम वाले लोगों को इम्पोर्टेड व्हीट के जरिये राहत मिलती है, उन लोगों को दूसरी चीजों के भाव ऊपर चढ़ जाने से दिक्कतें हो रही हैं। मैं उसे महसूस करता हूं। जो सेलेरीड लोग हैं जिनको नाप तोल कर तनख्वाह मिलती है और जिनकी नाप तोल के माफिक फिक्स इनकम है, यदि हम गत पांच छः महीने के प्राइस इन्डेक्स देखें, सारे अलग अलग कमोडिटीज के हैं, वे काफ़ी परेशानी में डालने वाले हैं। आज बॉम्बे में ११०) और १२०) क्विन्टल है। जैसा कहते हैं कि पुराना जमीन में होर्ड किया हुआ है उस व्हीट की प्राइस कोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जिसके पास अनाज है अपना वह खुद अपना अनाज खाती है, और जिसके पास नहीं है वह अपना इम्पोर्टेड व्हीट लाकर खाती है। जो लोग मजदूर हैं, लैंडलेस किसान हैं, लेबरर्स हैं या मिडिल क्लास या छोटे तबके के लोग हैं वे सब यह जो इम्पोर्टेड व्हीट है जो १६) मन पर मिल रहा है वह उनको काम में ला रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद आसाम फ्लोर मिल्स की बात कही और विरोधी दल के व्हिप ने कही। कुछ आक्षेप किये थे मैं चाहता हूं कि जो सारी स्थिति है वह थोड़े रूप में मैं आपके सामने रख दूं। आसाम फ्लोर मिल्स से कोई सम्बन्ध राजस्थान सरकार का आज से १५ २० रोज पहले से नहीं था। उसको भारत सरकार ही सीधा कन्ट्रोल करती है। वहां के डिप्टी डाइरेक्टर फुड, दिल्ली में उनका हैड क्वार्टर है, नार्दर्न रीजन है जिसमें राजस्थान भी आता है, वे उसको कन्ट्रोल करते थे। भारत सरकार से इम्पोर्टेड व्हीट का कोटा मिलता है। इससे वे सूजी, मैदा, आटा बनाते हैं। भारत सरकार की ओर से उनकी रेट्स उन चीजों की फिक्स थीं और उसको बेचने का और उसकी देख रेख का सारा काम उनके हाथ में था। जब हमें यह मालूम हुआ कि जयपुर के व्यपारी ऊंचे भावों पर, ब्लेक मार्केट के तौर पर, अधिक पैसा देकर आटा खरीद रहे हैं, खरीद लिया है तो मैंने और मुख्य मंत्री जी ने जब हमारा वहां (दिल्ली में) सम्मेलन हुआ तो हमने उनके सामने यह प्रश्न रखा। हमने कहा कि नियंत्रण ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनसे हमारा कोई सम्बन्ध

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं हैं। एक तो कोटा में है और एक आसाम फ्लोर मिल्स है और एक नया खुला है, काम अभी शुरु नहीं हुआ है, पहले हुआ था थोड़ा हमारे फुड कमिश्नर की नॉलेज जो भाव राजस्थान के लिए फिक्स्ड हैं उन्हीं भावों पर वे चीजें बिकनी चाहिये। २५ जुलाई से यह कंट्रोल हमारे हाथ में आया है और उसके बाद में आटा और दूसरी चीजें निश्चित मूल्यों में बेची जा रही हैं और कलेक्टर की सिफारिश पर अलग इलाकों में दिलायी गयी हैं और कन्ट्रोल रेट पर दिलायी गई हैं और जिलों में बिक रही हैं। जब उस पर नियन्त्रण हुआ था उससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी इसके लिए यहां तक कह देना कि ७५- रुपया महीना कमाता है और उनसे २५- हजार रुपया हम लेते हैं, मैं तो उस आदमी को शक्ल से भी नहीं जानता। मिलने का कभी काम ही नहीं पड़ा। एक भी मिल वालों से नहीं मिला, उन बातों इस प्रकार कहना और बार बार कहना कि इस्तीफा दे दें सिवाय राजनैतिक प्रदर्शन के और कुछ नहीं है। जितना राजनैतिक प्रदर्शन करके जितना सहयोग जनता का चाहते थे क्या मिला ? जनता जानती है। जनसंघ ने धरणा दिया पहले दिन १०८ आदमी बैठे और दूसरे दिन ३००—४०० आदमी बैठे। कौन बैठे ? माननीय सदस्यो ने ठीक कहा है, सब जानते हैं। वे ही लोग बैठे जो या तो व्यौपारी हैं, या जो ब्लेक मार्केट करते हैं, या मुनाफाखोर हैं। पांच सात महिलायें बैठी थीं गोटे के औरने पहिन कर। उनसे पूछो कि गेहूं नहीं है घरों में ? भूखहड़ताल और एकासना करने के लिए यहां आकर बैठ गयी। जनता सब जानती है। जनता नहीं समझती हो ऐसी बात नहीं है। जलसों से और प्रदर्शनों से जनता भुलावे में आजाय और न समझती हो ऐसी बात नहीं हैं। जनता जानती है कि देश के सामने मुसीबत है। देश के सामने आगे भी ऐसी मुसीबतें आई हैं तो उनको बड़ी धीरता से वहन किया है। परमात्मा और कुदरत यदि साथ न दे तो इन्सान की बनी हुई सरकार एक दायरे में ही काम कर सकती है। खरीफ की फसल राजस्थान चूंकि में, दो तीन वर्षा हो चुकी है और जिस प्रकार वह जमी है, वह सन् १९६०-६१ में जो राजस्थान में सबसे बेस्ट प्रोडक्शन इयर था ५४ लाख टन हुआ था, उस प्रकार की खरीफ जमी है तो रेन फॉल और एतिहास के कारण मार्केट में अच्छे रूप में आ जाती है तो आने वाले अक्टूबर और नवम्बर महीने में आज जो हमारी खाद्यान्न की स्थिति है उसमें बहुत काफी सुधार हो जायगा। हिन्दुस्तान में खरीफ की फसल काफी अच्छे पैमाने पर है और इस साल काफी चांवल बोया गया है।

चीनी और गुड़ का मैं जिक्र नहीं करूंगा। शुगर केन पिछली बार शुगर की कमी को काफी देखते हुए काफी बढ़ी है। जो एक्स्पेक्टेशन्स हैं आने वाले साल में, वे यह हैं कि आसानी से ३१. से ३३ लाख टन से कम नहीं होगी जब कि शुगर प्रोडक्शन इस साल २४ लाख टन ही था। देश के अन्दर चीनी की कुल आवश्यकता २५ लाख टन के करीब है। उसको यदि हम ध्यान में रखें तो आज जो स्थिति खाद्यान्न और अन्य चीजों की बन रही है वह आगे आने वाली फसल के बाद काफी सुधर जायगी और उम्मीद है कि कन्ट्रोल जैसी स्थिति नहीं होगी और जो मुसीबतें हम देख रहे हैं उनको पूरा कर सकेंगे इस प्रकार का मेरा अन्दाजा है।

श्री नाथूराम मिर्धा)

माननीय सभापति महोदय, ये सारी बातें कहने के बाद विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जैसा कहा मैंने उनके बहुत से पॉइन्ट्स का जवाब देने की कोशिश की। दुर्भाग्य है कि बहुत से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मेरी बात सुनने के लिए सदन में नहीं ठहरे। मुझे दुख है कि जिस धैर्य से और गम्भीरता से उनकी मैंने कड़वी से कड़वी बात को सुना वे भी मेरी बात को सुनते।

मैं ज्यादा समय न लेकर एक बात मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की और हमारे प्रान्त की जो परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला करते हुए, लोगों को सही बात समझाते हुए लोगों में विश्वास की भावना बनाये रखना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी, मेरा यह ख्याल है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले सही माने में कम्युनिस्ट हों डेमोक्रेटिक तरीके से हों लेकिन वैसी नहीं है।

इस देश के कम्युनिस्टों का जो रवैया रहा है क्योस पैदा करने का उसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। दुनिया के इतिहास में कम्युनिज्म आया है ६० वर्ष तक लोग जंगलों में रहकर गुरिल्ला वार करते थे और उसके जरिये उन्होंने कम्युनिज्म हासिल किया है। हमारे यहां तो कल के सेठ कल के जमींदार एक दो कम्युनिज्म लिट्रेचर की किताबें पढ़ लीं और अपने आपको कम्युनिस्ट कहने लग गये। सदन में उनको छूट है वे चाहे जिस प्रकार की बातें कह दें क्योंकि यहां की बात का नोटिस नहीं लेते। अगर सदन के बाहर इस प्रकार की कुछ भी बातें कह दें तो जनता ठोकने लग जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके अलावा यह पार्टी ऐसी भी है जिसका जनतन्त्र में विश्वास नहीं है वह तो चाहती है कि देश में किसी प्रकार भी क्योस पैदा हो और वह भी डेमोक्रेसी का लाभ उठाकर क्योस इस देश में करना चाहते हैं। लोगों की भावनायें भड़कायें, टैक्सशन की पॉलिसी लेकर जनता को उभाड़ें किसी तरह यह सरकार नीचे उतर जाय और क्योस पैदा हो, उनकी तो यह पॉलिसी है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय हांडा तो इसी कारण दूर हटते जा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके खुद आपस में ही फूट है। उनकी आपसी हालत तो और भी बहुत खराब है।

दूसरी पार्टीज के माननीय सदस्य जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं जो प्रजातन्त्रीय प्रणाली के अनुसार अपनी बातें रखते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी जो भी उनको कहना हो परिमार्जित और प्रजातन्त्रीय ढंग से कहें। हम हमेशा उनकी सुनते हैं और जहां हमें ठीक मालूम होती है उसके अनुसार करते भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस खाद्यान्न के बारे में जो बहस चल रही थी उसको वाइन्ड अप करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २ बजकर १३ मिनिट पर दिनांक १४ अगस्त, १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्नोत्तर काल समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चरनोट भूमि, जिला झालावाड़

२२६. श्री गोविन्दसिंह, (पिड़ावा)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि हर गांव में १० बिस्वा प्रति मवेशी के हिसाब से चरनोट दी जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तहसील गंगधार, पचपहाड़ व झालरापाटन (जिला झालावाड़) में बजाय १० बिस्वे के ६½ बिस्वा फी मवेशी के हिसाब से चरनोट दी गई है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार चरनोट का रकबा बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता

पर्यटकों को सुविधाएं

२३०. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक विदेशी पर्यटक राज्य में आये ? यदि हां, तो कितने और इनसे कितनी आय बढ़ी ?

(२) टूरिज्म को बढ़ाने के लिये राज्य की क्या योजना है ?

·(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

(३) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में उदयपुर ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है ?

(४) यदि हां, तो पर्यटकों के ठहरने, यातायात, आदि की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां । १९६३ मे विदेशी पर्यटकों की संख्य २५००० थी । सन् १९६२ में इन विदेशी पर्यटकों से पर्यटक व्यवसाय को लगभग ४२ लाख रुपये की तथा सन् ६३ में लगभग ५० लाख रुपये की आय होने का अनुमान है । और इस प्रकार सन् ९६३ मे १० लाख रुपये की आय अधिक हुई ।

(२) पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य की निम्न योजनाएं हैं :—

(अ) पर्यटकों के ठहरने के लिए सुव्यवस्थित स्थानों एवं वहां उचित व्यवस्था का करना ।

(ब) पर्यटकों के लिए राजस्थान में आकर्षक स्थानों पर जाने व आने के लिए यातायात की उचित व्यवस्था ।

(स) सुन्दर एवं आकर्षक स्थानों पर पर्यटकों के रहने एवं वहां पर आने जाने के लिए उचित व्यवस्था एवं वांछित संभव साधनों का उपलब्ध करना ।

(द) पर्यटकों के आकर्षण हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य साधनों द्वारा समुचित प्रचार का व्यवस्था ।

(इ) पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु विदेशों के ट्रेवल एजेन्टस् को राजस्थान में उपलब्ध स्थानों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एवं उचित व्यवस्था से उन्हें अवगत कराया जाना तथा समय समय पर उन्हें यथा सम्भव सुविधा का दिया जाना ।

(ई) बहुत सी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की गई हैं और समय समय पर पर्यटकों की सुविधा हेतु यथा संभव सभी कदम उठाये जा रहे हैं ।

(श्री मुख्यमन्त्री)

(३) जी हां

(४) उदयपुर में पर्यटकों के ठहरने के लिए वर्तमान में उपलब्ध आनंद भवन सर्किट हाउस में सुधार और स्थान उपलब्धि को बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मी निवास जो केन्द्र सरकार के पास है उसमे भी सुधार व स्थान-वृद्धि की योजना में शामिल है। राजस्थान वित निगम द्वारा और शहरों के साथ उदयपुर के होटलों की भी वृद्धि के लिए ऋण दिया गया है। यातायात के लिए टूरिस्ट विभाग की ओर से बड़ी विदेशी गाड़ी टैक्सी के तौर पर उपलब्ध है। फिर भी सरकार यातायात की सुविधाओं को और बढ़ाने के हेतु उचित कदमों पर विचार करेगी।

भूतपूर्व मंत्रियों पर सरकारी बकाया।

२३१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मत्स्य यूनियन के भूतपूर्व मंत्रियों की ओर राज्य सरकार की कोई रकम बकाया है ? यदि हां, तो किस किस की तरफ और कितनी कितनी है ?

(२) यह रकमें किस बात की बकाया है और कब से बकाया है ?

(३) इन रकमों की वसूली के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये है ?

उत्तर

(१) इस विषय में प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, मोटर गेरेज की निम्न लिखित रकम बकाया है :-

नाम	रकम
१. श्री गोपीलाल यादव	७:० :०
२. श्री शोभाराम	२५.५०
३. श्री मंगलसिंह	५७१.०८

(श्री मुख्य मन्त्री)

४. श्री चिरंजीलाल	१५०.००
५. श्री भोलानाथ	३८.५०
६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी	३४६.०८

(२) यह रकम पेट्रोल व तेल की कीमत व प्रोपलशन चारजेज इत्याद के विषय में सन् ४८-४९ के समय की है।

(३) सम्बन्धित मंत्रियों को गेरेज सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा वसूली के लिये लिखा जाता रहा है, और कुछ रकम वसूल भी हुई है। बाकी रकम की वसूली के लिये, मुख्य सचिव ने भी सम्बन्धित मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। दो भूतपूर्व मंत्रियों ने बकाया सम्बन्धी विवरण चाहा है, जिसे शीघ्र भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। गेरेज की भूतपूर्व राजाओं एवं मंत्रियों की ओर जो बकाया हे उन मामलों को एक कमेटी के सुपुर्द किया गया है जो उनकी जांच कर के सुझाव देती है कि बकाया वसूल के लिये क्या किया जाय।

———

❀ शुद्धि–पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक १३ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१--२	शीर्ष	षष्ठम	छठा
५	१२	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
१२	२२	उप-मन्त्र, सिंचाई	उप-मंत्री, सिंचाई
१३	शीर्षक	-१३ अगस्त १९६३	-१३ अगस्त, १९६४-
१४	६	श्री चतुभुज उपाध्याय	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१६	शीर्ष	(श्री गोविन्द सिंह)	(श्री गोविन्दसिंह)
२०	१९	(श्र	(श्री
२१	शीर्षक	१३ अग त	१३ अगस्त,
२२	७	उपमंत्री, सिंचई	उप-मंत्री, सिंचाई
२५	अन्तिम से ७	श्री रामप्रसाद	(श्री रामप्रसाद
३३	१६	जयपुर : ५५७१	जयपुर) : ५५७१
,,	२३	भी दुर्गालाल	श्री दुर्गालाल
३९	अन्तिम से ५	(रायासहनगर)	(रायसिंह नगर)
३६	अन्तिम से ८	बढादार	वाढदार
४७	८	श्री रामप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
४८	१९	श्री जुमरसिंह	श्री जुझारसिंह

(२)

१	२	३	३
४६	१४	(कलायत)	(कोलायत)
५१	शीर्ष	— ———	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
,,	१८	(९.०० म० पू०	(९.०० म० पू०)
५८	१६	श्री भैंरवलाल	श्री भैरवलाल
५६	शीर्ष	(श्री कृष्णकुमार गोयल	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
६१	शीर्ष	१९३४	१९६४
,,	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री मंत्री राजस्थान कैनाल)
६५	,,	(श्री जोधसिंह चौहान)	(श्री राजस्व मंत्री)
,,	३.	[कृपया परिशिष्ट देखिये)	(सूची अनुपलब्ध)
६७	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(नागरिक रसद मंत्री)	(श्री नागरिक रसद मंत्री
६८	१०	मल्यांकन	मूल्यांकन
६९	१६	चित्तौड़-	(चित्तौड़-
७३	शीर्षक	सदन की मेज पर-१३ अगस्त, १९६४-रखे जाने वाले पत्र	अतारांकित प्रश्नोत्तर -१३ अगस्त, १९६४-सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
७५	,,	राज्य की खाद्य स्थिति—१३ अगस्त, ६४-पर वार विवाद	सदन की मेज पर-१३ अगस्त, ६४-डूंगरपुर राज्य देवस्थान
,,	१८	विधेयक, १९६४ का पुरः स्थापन	विधेयक १९६४ (पुरः स्थापित)
७७	शीर्षक	स्थिति	स्थिति
८३	शीर्ष	(श्री थुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
८५	,,	(श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
८८	२२	(डीडवाना	(डीडवाना)
८९	शीर्ष	(श्री मोतीराम चौधारी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
९३	,,	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री जगनसिंह)
,,	अन्तिम से ४	रतनगढ)	(रतनगढ़)

१	२	३	४
१०१व १०३	शीर्ष	———	(श्री हरिराम चौहान)
१०४	४	श्री मानिकचन्द सुरांना	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	२४	श्री हरिराम चाहान	श्री हरिराम चौहान
१०७	शीर्ष	श्री रघुनाथ बिश्नोई)	(श्री हरिराम चौहान)
,,	१८	(रायपुर-पाली)	(रायपुर)
१११	शीर्ष	———	(श्री मांगीलाल रिणवा)
,,	अन्तिम से ५	श्री विट्टल	श्री विट्ठल
११२	शीर्षक	विवाद—	विवाद
१२३	१	मोतीलाल चौधरी	श्री मोतीलाल चौधरी
१२६	शीर्षक	बाद	बाद
१४५	७	(लूंणकरणसर)	(लूणकरणसर)
,,	१६	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
१४७	अन्तिम से ३	श्रा श्रबणलाल	श्री श्रवणलाल
१५३	,, ,, ५	श्री उमरावसिंह ढ़ावरिया	श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया
१६७	शीर्ष	————	(श्री मथुरादास माथुर)
१६८	अन्तिम से४	(अलबर)	(अलवर)
१७०	१६	श्री मथरादास माथुर	श्री मंथुरादास माथुर
१७४	शीर्षक	बिवाद	विवाद
,,	अन्तिम से ५	श्री मानिकवन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१७५	१८	श्री मथरादाम माथुर	श्री मथुरादास माथुर
१७६	शीर्षक	विवाद	विवाद
१७७	शीर्ष	(महाराबल श्री लक्ष्मणसि)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१८०	२५ के बाद	———	क्रय विक्रय संघ को जांच हेतु याचिका को प्रस्तुति
१८१ से १९० तक	शीर्षक	राज्य की खाद्य स्थिति -१३ अगस्त, ६४- पर विवाद	क्रय विक्रय संघ की जांच -१३ अगस्त, ६४- हेतु याचिका की प्रस्तुति
१८५	शीर्ष	———	(श्री मानिकचन्द सुराणा)

१	२	३	४
,,	१३	कई	अनेक
२०६	१०	श्री नारथूाम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	२०	श्री रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
२१२	अन्तिम से ४	श्री नाथूराम मिधा	श्री नाथूराम मिर्धा
२१३	१७	श्री रामान्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२१६	शीर्ष	श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
२२०	१	श्री मानिकचन्द सुरणा	श्री मानिकचन्द सुरणा
२२५	८	श्री नाथूराम मिर्वा	श्री नाथूराम मिर्धा
२३०	१३	हाडा	हांडा
२३४	४	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२४१	४	श्री रामानन्द अग्रवाल	———
,,	अन्तिम से ४	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
२४२	६,१५,२५	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	१३	नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२४३	६	श्री सतीशन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२४	श्री निरंजननाथ ग्राचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
२४४	२२	श्री निरजन नाथ आचार्य	,, ,, ,,
२४७	शीर्ष	(श्री सतीतचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२४८	६व१०के बीच	———	खाद्य स्थिति पर वाद विवाद (पूर्व क्रम से)
२४६-२५८	शीर्षक	सदन से निलम्बित करने विषयक	खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद
२५२	शीर्षक	वाद-विवाद	
२५५	,,	विषमक राज्य की खाद्य स्थिति-१३ अगस्त, ६४-पर वाद विवाद	विषयक सदन से निलम्बित करने -१३ अगस्त, ६४- विषयक प्रस्ताव
२५७	शीर्ष	श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
२५६	२	प्रश्नोत्तर काल समयमें	जो प्रश्न समय में

❀ नोटः—विस्तृत शुद्धि पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।